Thursday 05, August, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Digitized On
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 55, गुरुवार, 5 अगस्त, 1971/14 श्रावण, 1893 (शक)
No. 55, Thursday, August 5, 1971/Sravana 14, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र संख्या S. Q. Nos.		
1591 बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सर्वेक्षण और उसके लिए जापान से सहायता	Survey for conversion of Barren Land into Cultivable Land and Japanese Aid therefor	1—4
1592 राष्ट्रीय कृषि आयोग को और काम सौंपा जाना	Entrusting of further work to National Commission on Agriculture	4—6
1593 बुदनी में आर० एस० 0-09 ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ-समिति	Expert Committee for testing RS -09 Tractors at Budni	6
1596 सिंचाई की छिड़काव प्रणाली	Sprinkler Method of Irrigation	6—9
1597 द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था	Provision of Employment to Uneducated Unemployed under Crash Programme	9—13
1599 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को सांविधिक रूप देने के लिए विधान बनाना	Legislation to give Statutory sanction to Ordinances promulgated by West Bengal Government	13—17
1601 वर्ष 1971-72 के दौरान नेफा के पर्वतीय क्षेत्रों में धान तथा अन्य फसलों का उत्पादन	Production of Paddy and other Crops in Hilly Areas of NEFA during 1971-72	17
1602 बंगला देश के शरणार्थियों पर अतिरिक्त व्यय हेतु धन का नियतन	Allocation of Fund for Additional Expenditure on Bangla Desh Refugees	17—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1594	आसनसोल कोयला क्षेत्र के बारे में समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee on Assansol Coal Belt	19
1595	भारतीय खाद्य निगम केरल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Food Corporation of India, Kerala	19—20
1598	डेरी-उद्योग के लिए अधिक उत्पादन वाला "पैकेज कार्यक्रम"	High Yielding Package Programme for Dairying	20
1600	समाचार पत्रों तथा समाचार ऐजेंसियों में कर्मचारी संस्थाओं का महासंघ	Confederation of Employees Associations in Newspapers and News Agencies	20—21
1603	बीज निगम द्वारा मैसूर राज्य में स्थापित संयंत्रों की कार्यक्षमता	Working Capacities of Plants set up by Seeds Corporation in Mysore	21
1604	दुर्गापुर इस्पात आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया सत्याग्रह	Satyagraha Launched by Durgapur Steel Officers' Association	21—22
1605	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा तम्बू को बल्लियों की खरीद	Purchase of Tent Poles by DGS & D	22—23
1606	जादुगुडा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Uranium Corporation of India Ltd. Jadugudal	23
1607	खारी पानी में धान की खेती करने सम्बन्धी अनुसन्धान	Research on Paddy Cultivation under Saline Water	23
1608	उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि सेवा केन्द्र	Agro-Service Centres in U. P. and Bihar	4
1609	आयातित होल्स्टन फ्रेसियेन ओसरों (होफर) पर खर्च	Expenditure on Imported Hoistein Fresian Heifers	24—25
1610	कोयला खान का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coal Mines	25
1611	कपास के संकर बीच एच-4 को खेती के अन्तर्गत भूमि तथा रुई के मामले में आत्मनिर्भरता	Area under Hylorid Cotton Seed varie.y H. 4 and Self sufficiency in Cotton	25
1612	राज्यों में रागी की खेती	Ragi Cultivation in States	25—26

1613	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अमरीका तथा रूस के साथ करार	Hindustan Steel Ltd. Agreement with U.S. and U.S.S.R.	26—27
1614	भारत में विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण सम्बन्धी करार का विरोध	Opposition to Agreement on Air-borne Mineral Survey in India	27—38
1615	बंगला देश के शरणार्थियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय पैनल	National Panel for Welfare of Bangla Desh Refugees	28
1616	भारत में स्वर्ण उत्पादन	Production of Gold in India	28—29
1617	सरकारी उपक्रमों में मजदूरों को अंशधारी बनाये जाने की योजना	Scheme for Workers to hold shares in Public Sector Undertakings	9
1618	बाईलारस ट्रैक्टरों का उत्पादन और आयात	Manufacture and Import of Byelarus Tractors	29—30
1619	एक समान भूमि सम्बन्धी कानून लागू करने और भूमि सुधार नीति को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के बारे में पंजाब के संसद सदस्यों का अभ्यावेदन	Representation from Punjab M.P's for intrcduction of Uniform Land Laws and Speedy Implementation of Land Reforms	30
1520	वसूली अभियान के दौरान असामयिक वर्षा के कारण अनाज की क्षति के लिए उत्तरादायित्व	Responsibility for damage of Food grains due to untimely rains during Procurement Drive	30—31

अ० ता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7010	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा पाथेर खेड़ा कोयला क्षेत्रों में कोयला निकाला जाना	Extraction of Coal from Pather Khera Coal-fields by National Coal Development Corporation	31—32
7011	पंजाब में कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति	Graduates and Post Graduates in Agriculture in Punjab	32—33
7012	काकेरी शहीद शिक्षा संस्था चिद्दपुरी शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा आवटित निधि का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of Funds allotted to Kakori shaheed Education Society, Chidipuri, Shahjahanpur, U.P.	33
7013	तराई विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों के स्वामित्व के भूमि	Land owned by Members of Board of Directors of Tarai Development Corporation	34
7014	शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश, में कृषि सेवा	Agro service Centre in Shahjahanpur, Uttar Pradesh	34

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7015	आर० एस० 0-09 दोषयुक्त ट्रैक्टरों को वापस करना	Return of RS-09 Defective Tractors	34—35
7016	पंजाब में भूमि का कटाव	Soil Erosion in Punjab	35—36
7017	पंजाब के ग्राम सेवकों तथा सेविकाओं के संघ की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Union of Gram Sewaks and Sevikas from Punjab	36
7018	पंजाब में, धूत सोसाहा धूरियन सरेंन सम्पर्क सड़क पर मिट्टी का कार्य	Earth work on Dhoot Sosaha Dhurian Sarain Link Road in Punjab	36
7019	मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में अभाव की स्थिति	Scarcity in Rewa Region, Madhya Pradesh	36—37
7020	पूर्वी बंगाल से आसाम में आये शरणार्थी	Refugees in Assam from East Bengal	37
7021	बंगला देश के गैर-रजिस्टर शरणार्थी	Unregistered Evacuees from Bangla Desh	37
7022	विदेशी सहयोग से मत्स्यपालन तथा मछली विकास परियोजना	Pisciculture and Fishery Development Projects with Foreign Collaboration	38—40
7023	मत्स्य पालन तथा मछली विकास के लिये आसाम को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Assam for Development of Pisciculture and Fisheries	40—41
7024	अग्नि गुंडाला खनिज पट्टी, आन्ध्र प्रदेश के कार्य में प्रगति	Progress of work at Agnigundala Mineralised Belt, Andhra Pradesh	41—43
7025	आन्ध्र प्रदेश में पुली वेन्डला चट्टो एस्बेटास के लिये ड्रिलिंग	Drilling for Asbestos in Pulivendla Belt in Andhra Pradesh	43
7026	आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टास के उत्पादन के बारे में भारतीय खान ब्यूरों द्वारा अनुसन्धान कार्य	Research assignment by Indian Bureau of Mines Re-production Asbestos in Andhra Pradesh	44
7027	सिधी जिले (मध्य प्रदेश) में कोयले पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries based on Coal in Sindhi District (M.P.)	44—45
7028	क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त, बम्बई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें	Complaints of Corruption against Regional Provident Fund Commissioner Bombay	45
7029	केला विकास निगम की स्थापना	Setting up of Banana Development Corporation	45—46
7030	पश्चिम बंगाल में सरकारी सम्पदा पुस्तिका नियमों के अन्तर्गत गवर्नमिंट खास लैण्ड के बारे में समझौता	Settlement of Government Khas Laud under Government State Manual Rules in West Bengal	46

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7031	पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में कदमतला में गवर्नमिंट खास लैण्ड का गिराया जाना	Demolition of Government Khas Land in Kadamtala in Distt. Cooch-behar, West Bengal	46
7032	कृषि जोतों की गणना	Census of Agricultural Holdings	47
7033	श्रमिक विवादों का न्याय-निर्णय	Adjudication in Labour Disputes	47
7034	बेरोजगारी की सम्स्या को हल करने के लिये पश्चिम बंगाल को धन सम्बन्धी सहायता	Pecuniary Assistance to West Bengal to Solve Unemployment Problem	47
7035	पश्चिम बंगाल में रोजगार क्षमता में वृद्धि	Increase in Employment Potentialities in West Bengal	47—48
7036	कर्मचारी भविष्य निधि के दावों के निपटान में कथित भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in Settlement of E.P.E. Claims	48
7037	महाष्ट्र और तामिलनाडु में खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Free Sale Sugar in Maharashtra and Tamil Nadu	48—49
7038	खुम्भी की खेती	Mushroom Cultivation	49—50
7039	मैसर्स रायल टिम्बर कारपोरेशन, डाकघर झरिया धनवाद द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के रिकार्ड प्रस्तुत न किया जाना	Non Production of Employees Provident Fund Records by M/s Royal Timber Corporation Jharia, Dhanbad	50
7040	राज्यों में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये अधिक निधि की मांग	Request for more Funds for implementation of Crash Programme for Rural Employment in States	50—51
7041	उर्वरक प्रयोग के बारे में कृषक संसदीय फोरम	Farmers Parliamentary Forum on the Use of Fertiliser	51
7042	सिक्किम में तांबा निकालने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of a Copper Extraction Factory in Sikkim	51—52
7043	दार्जिलिंग जिले में तथा समीपस्थ स्थानों पर ताम्बे और जिंक के निक्षेपों के बारे भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey Re: Deposits of Copper and Zinc in Darjeeling District and nearby Places	52
7044	सम्भलपुर, उड़ीसा में जामेनकिरा ब्लाक में मिट्टी सम्बन्धी कार्य (अर्थ वर्क) के लिये धन का आवन्टन	Allocation for earth work to Jamenkira Block in Sambalpur, Orissa	52—53

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7045	नेफा में वन्यजीवन का संरक्षण	Preservation of Wild Life in NEFA	53
7046	हरियाणा पंचायतों के चुनाव	Election to Panchayats in Haryana	53
7047	बंगला देश में शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सहायता	U. N. assistance for Bangla Desh Refugees	54
7048	अभ्रक उद्योग में गिरावट	Decline in Mica Industry	54
7049	पम्पसेटों के प्रयोग की तुलना में नलकूप सिंचाई का लाभ एवं हानि सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey on 'Economics of tube-well Irrigation' versus use of pumpsets	54—55
7050	केरल में धान और नारियल की काश्त के लिये रूसी सहायता	Soviet aid for cultivation of Paddy and coconut in Kerala	55
7051	एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी, त्रिपुरा	Apex Marketing Society, Tripura	55
7052	पश्चिम बंगाल के औद्योगिक कारखानों में घेराव की घटनायें	Incidents of gherao in industrial establishments of West Bengal	56
7053	आन्ध्र प्रदेश में पिग आयरन प्लाट के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना से संबंधी मिशन का दौरा	Visit by exploratory mission from United Nations Development Project re. Pig Iron Plant in Andhra Pradesh	56
7054	भारत अभ्रक उद्योग संघ डोमचोच, हजारीबाग की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Mica Industry Association of India Domchorch, Hajari Bagh	56—57
7055	मध्य प्रदेश में नलकूप लगाने और उनके कार्यकरण के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for installation of tube wells and their working	57—58
7057	मत्स्यपालन के लिये राजस्थान में मछली के अण्डों का आयात	Import of fish eggs in Rajasthan for Fisheries	58
7058	उर्वरक का आयात	Import of Fertilizers	58—59
7059	गहन खेती करने वाले राज्य	Intensive farming in States	59—60
7060	सहकारी ऋण की बकाया राशि में वृद्धि	Increase in overdues of Co-operative Loans	60—62
7061	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में पूंजी निवेश	Investment in Hindustan Zinc Limited	62—63
7062	केरल में मछुओं की कोलोनी के निर्माण के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for construction of Fishermens Colony in Kerala	63

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7063	भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेन्द्रम, केरल के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि के दावे	Employees Provident Fund Claims in Provident Fund Commissioners office Trivendrum, Kerala	63—64
7064	राजस्थान में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया जाना	Extensive survey by Geological survey of ndia in Rajasthan	64—65
7065	भीलवाड़ा जिले में अभ्रक श्रम कल्याण केन्द्रों के लिये किया गया धन का नियतन	llocation made for mica Labour Welfare Centres in Bhilwara District	65—66
7066	कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनवाद द्वारा मंजूरी के बिना की नई नियुक्तियां	Appointments made by Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad without sanction	66
7067	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन जोनल निरीक्षालयों के कार्यालय	Zonal Inspectorate Offices under E.P.F. Organisation	67
7068	भूतपूर्व कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद द्वारा सरकारी मकान का खाली किया जाना	Vacation Official of Residence by Ex-Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad	67
7069	स्नातकोत्तर कृषि वैज्ञानिकों में बेरोजगारी	Unemployment of Post-Graduates and Agricultural Scientists	68
7070	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें	Loan requirements of Farmers by end of Fourth Plan	68—69
7071	नेफा के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिये सुधरे हुये औजारों तथा उपकरणों का प्र	Use of Improved Tools and Equipment for Agriculture in Hilly Areas of NEFA	69
7072	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के निर्णय की क्रियान्विति	Implementation of decision to have Workers' participation in Management of Public Undertakings	69
7073	पेड़ों के जल्दी उगने वाली किस्मों के बागान लगाने को योजना	Schemes for raising plantations of quick growing species of Trees	69—70
7074	कृषकों के प्रशिक्षण पर व्यय	Expenditure on Training of Farmers	70—72
7075	खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Food Articles	72—74

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7076	हरियाणा में गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Construction of Warehouses in Haryana	74—75
7077	कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण	Training to Agricultural Labours	75
7078	पश्चिम बंगाल में फालतू भूमि का अर्जन और वितरण	Acquisition and distribution of surplus land in West Bengal	75
7079	पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Cinema Workers in West Bengal	75—76
7080	दुग्ध परिष्करण संयंत्रों का आयात और उनकी क्षमता	Import of milk Processing Plants and their capacity	76
7081	भारत में दूध की औसत दैनिक खपत में कमी	Fall in average daily consumption of milk in India	76—77
7082	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये शिविरों में अस्थायी नियुक्ति	Temporary appointments in camps for Bangla Desh refugees	77
7083	मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषी को सुधरी हुई प्रणाली का लागू किया जाना	Introduction of improved methods of cultivation in Hill areas of Manipur	77
7084	कृषि उपकरण और उर्वरक खरीदने के लिये मनीपुर के किसानों को ऋण	Loans to Agriculturists of Manipur for purchase of Agricultural Equipment and Fertiliser	77—78
7085	मनीपुर में कृषि सहकारी समितियों का पूंजीकरण	Registration of Farming Cooperatives in Manipur	78
7086	समुद्री तथा अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों के विकास के बारे में उप-समितियों के प्रतिवेदन	Reports of Sub-committees on Development of Marine and Inland Fisheries	78—79
7087	भारतीय मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत रिक्शा श्रमिकों को श्रमिक माना जाना	Consideration of Rikshaw workers as workmen under the Indian Trade Union Act	79—80
7088	विदेशों से आये शरणार्थी	Refugees from Foreign Countries	80
7089	पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में निहित खास और बेनामी भूमि का क्षेत्रफल तथा भूमिहीन और छोटे किसानों को उसका वितरण	Acreage of vested khas and benami land and their distribution to landless and small peasants in Maldah, West Bengal	80

7090	पंचायतें निदेशक, पश्चिम बंगाल का स्थानान्तरण	Transfer of Director of Panchayat West Bengal	81
7091	टैक्सटाइल एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज रिसर्च आर्गेनाइजेशन, बड़ौदा में कम्पनी नियत तथा श्रमिक कल्याण नियमों का पालन	Observance of Company Rules and Labour Welfare Rules in textiles and allied industries research organisation, Barada.	81
7092	टैक्सटाइल एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज रिसर्ज आर्गेनाइजेशन, बड़ौदा द्वारा कर्मचारियों को भविष्यनिधि के अंशदानो की राशि का जमा किया जाना	Deposit of Employees provident fund, contributions by Textiles and Allied Industries Research Organisation, Baroda	81
7093	माना शरणार्थी शिविर, रायपुर, मध्य प्रदेशों में सफाई कर्मचारियों को शिविर भत्ता देना	Camp allowance to scavengers in Mana Refugee Camp, Raipur, Madhya Pradesh	82
7094	दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिये योजना	Plan for increase in milk production	82
7095	गत दस वर्षो में श्रमिकों की संख्या में कमी होना	Decline in number of workers during last decade	83
7096	मैसूर में बेरोजगारी	Unemployment in Mysore	83—84
7097	कपड़ा उद्योग पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Employee's Provident Fund dues with Textile Industry	85
7098	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के ठेकेदारों के अधीन काम कर रहें श्रमिक	Labourers working under Contractors in National Coal Development Corporation	86
7099	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की सेन्ट्रल इंजिनियरिंग एण्ड डिजाइन व्यूरो द्वारा इस्पात सयत्र का डिजायिन और इंजीनियरिंग सम्बन्धी कार्य करना।	Designing and Engineering of Steel Plants by Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd.	86
7100	मध्य प्रदेश में कारखानों अथवा कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग	Misuse of EPF by Factories or Companies in Madhya Pradesh	87
7101	बंगला देश से भारी संख्या में आये शरणार्थी	Influx of Refugees from Bangla Desh	87

7102	मध्य प्रदेश में गांधी सागर बाँध स्थल पर पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को बसाया जाना	Rehabilitation of Bangla Desh Refugees on Gandhi Sagar Dam Site in Madhya Pradesh	88
7103	कपास मूंगफली, तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Steps for increase in Production of Cotton, Groundnut, Oilseeds and Sugarcane	89
7104	बिल्लेट्स का आयात	Import of Billets	90
7105	राष्ट्रीय नीति के अनुरूप भूमि में सुधार करने के बारे में राज्य सरकारों के विचार	Views of States on bringing Land Reforms in Line with National Policy	90—91
7106	पश्चिम बंगाल में पतमोहना कोयला खान की छत का गिरना	Collapse of roop of Patmohana Colliery in West Bengal	91
7107	भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of deputationists in Food Corporation of India	91—92
7108	पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों सम्बन्धी विकास एजेंसी और सीमान्त किसान कृषि श्रम योजना में मालदह और कूच बिहार का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Maldah and Cooch. Behar under Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Agricultural Labours Schemes in West Bengal	92—93
7109	आन्ध्र प्रदेश में दलालों के माध्यम से धान का खरीदा जाना	Purchase of Paddy through brokers in Andhra Pradesh	93—94
7110	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी में प्रतिनियुक्त अधिकारी	Officers on Deputation with Triveni Structurals Ltd. Naini	94
7111	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी में भर्ती और पदोन्नति के आधार	Recruitment and Promotion in Triveni Structurals Ltd. Naini	94—95
7112	राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संग से ज्ञापन	Memorandum from National Coal Organisation Employees' Association	95
7113	केरल के भूगर्भीय मानचित्र का प्रकाशन	Publication of Geological map of Kerala	96
7114	तुमकुर जिला, मैसूर में ग्राम्य रोजगारी सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Rural Employment in Tumkur District, Mysore	96
7115	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Public Sector Steel Plants	96—97

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7116	मध्य प्रदेश में बीजों का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of Seeds in Madhya Pradesh	97
7117	मध्य प्रदेश में तिमरिनि में इमारती लकड़ी का उत्पादन	Timber production in Timarni, M.P.	97
7118	मध्य प्रदेश में धान की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि	Increase in per acre yield of paddy in Madhya Pradesh	98
7119	मध्य प्रदेश में 1970-71 के दौरान बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल	Acreage of land under major and minor irrigation projects in Madhya Pradesh during 1970-71	98
7120	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पशुपालन के विकास के लिये पशुओं का आयात	Import of Cattle for development of animal husbandry under Colombo Plan	98—99
7121	भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी चीनी कारखानों की संख्या	Number of Private and State-owned sugar factories in India	99
7122	उपभोक्ता सहकारी समितियों का पुनर्गटन	Reorganisation of Consumers Co-operative Societies	100
7123	एक समान पंचायत विधि	Uniform Panchayat Legislation	100
7124	आन्ध में जिला सहकारी विपणन-समितियों का रासायनिक उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Chemical fertilisers to District Cooperative marketing societies, Andhra Pradesh	101
7125	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मांगे	Demands of E.P.F. Organisation	101
7126	बिहार में बनरोपण के अन्तर्गत भूमि का का लिया जाना	Acreage of land under afforestation in Bihar	102
7127	आन्ध्र प्रदेश में रामागिरि सोना खानों में खोज सम्बन्धी कार्य	Exploration in Ramagiri Gold Mines in Andhra Pradesh	102
7128	छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage of Cantonment Board Employees	102—103
7129	चण्डीगढ़ में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage of Construction Labour in Chandigarh	103

U. ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7130	मूंगफली की खेती की कमी	Shortage of Ground nut Oil Cakes	103
7131	पश्चिम बंगाल. के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार	Unemployed registered with Employment Exchanges in West Bengal	103—104
7132	पश्चिम बंगाल में बन्द किये गये कारखाने तथा औद्योगिक संस्थान	Factories and Industrial Establishments closed in West Bengal	104
7133	पश्चिम बंगला से बाहर भेजे गये बंगला देश के शरणार्थी	Bangla Desh Evacuees sent out of West Bengal	104—105
7134	बंगाल देश के शरणार्थियों में अनाथ बच्चे	Orphans among Bangla Desh Evacuees	105
7135	बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत के लिये प्राप्त सामग्री की हानि	Loss of Relief Materials meant for Bangla Desh Refugees	105
7136	कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और जिलों में कृषि कालेजों की स्थापना	Diploma Course in Agriculture and setting up of Agricultural College in Districts	105—106
7137	केरल में कृषि और बागवानी के लिये कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग	Use of Insecticides for Agriculture and Horticulture in Kerala	106
7138	केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करने के लिये नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Tube Wells for utilisation of Under Ground Water Resources in Hill Areas of Kerala	106—107
7139	केरल में रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता	Requirement of Chemical Fertiliser in Kerala	107
7140	केरल का एयरो मैगनेटिक सर्वेक्षण	Aero Magnetic Survey for Kerala	107
7141	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अमरीका तथा रूसी फर्मों के साथ किये गये करारों के परिणामस्वरूप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई क्षति	Damage caused to H. E. C. Ranchi due to Hindustan Steel Ltd. Agreements with U. S. A. and U. S. S. R. Firms	107—108
7142	पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में नियुक्तियां	Appointments made in Evaeuse Camps in West Bengal	108—109
7143	रूई की आवश्यकता और उसका उत्पादन	Requirement and Production of Cotton	109
7145	आयातित ट्रैक्टरों के शुल्क में वृद्धि	Increase in Duty of Imported Tractors	109—110

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7146	चौथी योजना के दौरान वन्य संसाधनों का निवेश-पूर्व सर्वेक्षण	Pre-investment Survey of Forest, Resources during Fourth Plan	110—111
7147	लपेटने के काम आने वाले कागज के उत्पादन में मिश्रित दृढ़काष्ट की उपयोगिता के बारे में अनुसन्धान	Research on Suitability of Mixed Hardwoods in Manufacture of Wrapping Paper	111-112
7148	पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर मत्स्य उद्योग का विकास	Development of Fisheries on Eastern and Western Coasts	112—114
7149	इस्पात कारखानों के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये गैर-सरकारी सलाहकार फर्म को नियुक्त करना	Engagement of Private Consultants Firms for preparing Techno-economic Feasibility Reports for Steel Plants	114—115
7150	दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात कारखाने के निर्माण में त्रुटियां	Defects in Construction of Alloy Steel Plant, Durgapur	115
7151	गैर-सरकारी सलाहकार फर्म द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of Project Report for Bokaro Steel Plant by Private Consultant Firm	115—116
7152	आन्ध्र प्रदेश में भू-परीक्षण के लिये चल प्रयोगशालायें	Mobile Soil Testing Laboratories in Andhra Pradesh	116
7153	आन्ध्र प्रदेश में कृषि सोसायटी संघ	Federation of Farming Societies in Andhra Pradesh	116
7154	पूर्वी समुद्र तट पर मछली पकड़ने के स्थानों की खोज के लिये सर्वेक्षण	Exploratory Survery for Location of Fishing Ground in Eastern Coast	117
7155	कोचीन में भारत नार्वे परियोजना तथा उसी प्रकार की अन्य परियोजनायें	Indo-Norwegian Project at Cochin and other Similar Projects	117—119
7156	आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का उपक्रम स्थापित करना	Establishment of Deep Sea Fishing Undertaking in Public Sector in Andhra Pradesh	119
7157	केन्द्रीय मरुस्थल अनुसन्धान संस्थान में अनियमिततायें	Irregularities in Central Desert Research Institute	119
7158	रेलवे कर्मचारियों के पंजीकृत संगठन	Registered Organisations of Railway Workers	119—120
7159	आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सहकारी	Allotment of iron and steel for	

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	चीनी मिलों के निर्माण के लिये लोहा और इस्पात का आंवटन	construction of co-operative Sugar mills in Andhra Pradesh and Maharashtra	120
7160	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यंत्रीकरण	Automation in Public Sector Undertakings	120
7162	राजस्थान में लौह तथा अलौह धातुओं और खनिज उर्वरकों के लिये सर्वेक्षण	Survey for non-ferrous, ferrous metals and mineral fertilizers in Rajasthan	121
7163	राजस्थान में हीरों की खानें	Diamond mines in Rajasthan	121
7164	भूमिगत जल डिवीजनों तथा भूमिगत जल जिला एकक	Underground Water Divisions and Underground Water District Units	121—122
7165	उत्तरी कामरूप में अकाल की स्थिति	Famine conditions in North Kamrup	122
7166	बनस्पति के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Vanaspati prices	122—123
7167	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम में प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण कार्य का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Construction of Primary School Buildings under crash programme for Rural Employment	123
7168	अन्य राज्यों को चावल निर्यात करते समय पकड़े गये व्यक्ति	Persons caught while Exporting Rice to other States	123—124
7169	कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं का विलय	Merger of E. S. I. and E. P. F. Schemes	124
7170	दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के राजपत्रित अधिकारी	Scheduled Castes/Tribes Gazetted Officers in Delhi Milk Scheme	124
7171	बंगला देश के शरणार्थियों में सहायता कार्य कर रही विदेशी एजेन्सियों को भारत से चले जाने का नोटिस	Notice to Foreign Agencies doing Relief Work among Bangla Desh Refugees to leave India	124—125
7172	हिल टिप्पेरा टी एस्टेट, बधरघल, अगरतल्ला	Hill Tippera Tea Estate, Badharghal, Agartala	125
7173	संरचनात्मक इस्पात का निर्यात	Export of Structural Steel	125—126
7174	इस्पात का आयात	Import of Steel	126
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgnet Public Importance	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
गुप्ता बांध में कथित दरार से बरौनी तेल शोधक कारखाने को गम्भीर खतरा	Reported breach in the Gupta Bandh posing a serious threat to Barauni Refinery	126—128
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	128
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	128
यू किरोह का रिलम, शिलांग के सम्पादक आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Editor etc. of U. Kyrowth Ka Rilum Shillong	131
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पारित करने के बारे में व्यवस्था का प्रश्न	Point of Order re. Passing of the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Bill	132—133
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	133—135
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	136
सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाले विवरण	Statements showing replies to recommendations	136
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members Bill and Resolutions-Minutes	137
धेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	137
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	138
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	138
आठवाँ प्रतिवेदन	Eighth Report	138
वर्ष 1971-72 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	Demands for Supplementary Grants (General) 1971-72.	138
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	138
सभा की कार्यवाही	Business of the House	138
केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक-पुरस्थापित किया गया	Central Sales Tax (Amendment) Bill-Introduced.	140
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में साँविधिक संकल्प और पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to the State of Punjab, and Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill	140
विचार किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा	Motion to Consider, as passed	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
पारित रूप में	by Rajya Sabha	
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	140—141
श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र	Shrt Teja Singh Swatantra	141—142
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	142—143
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	143
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	143
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	144
श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा	Shri Devinder Singh Garcha	144
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	45
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	146
श्री महेन्द्र सिंह गिल	Shri Mohinder Singh Gill	146—147
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	147
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	148—150
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3, and 1	150
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	150
विधेयक पुरःस्थापित	Bill Introduced	151
1. श्री एच० एम० पटेल का मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक	(i) Salaries and Allowances of Ministers Bill by Shri H. M. Patel	150
2. श्री सी० एम० स्टीफन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 141 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 143क आदि का अन्तःस्थापन)	(ii) Constitntion (Amendment) Bill (Amendment of Article 141 & insertion of new Article 143A, etc. by Shri C. M. Stephen	151
3. श्री एस० सी० सामन्त का भूमि अर्जन (संशोधन iii) विधेयक (धारा 11 और 23 का संशोधन तथा नयी धारा 15क का अन्तःस्थापन)	(iii) Land Acquisition (Amendment) Bill (Amendment of sections 11 and 23 & insertion of new section 15A) by Sh. S. P. Samanta	151—152

4. श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (सँशोधन विधेयक अनुच्छेद 16 का संशोधन)	(iv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 16) by Sh. C. K. Chandrappan	152
5. श्री सी० चित्ति बाबू का संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक	(v) Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill by Shri Chitti babu	152
6. प्रो० एस० एल० सक्सेना का वायुप्रदूषण निवारण विधेयक	(vi) Prevention of Pollution of Air and Water Bill by Prof. S. L. Saksena	153
7. श्री ए० के० गोपालन का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19, 22 आदि का संशोधन)	(vii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19, 22 etc. by Shri A. K. Gopalan	153
श्री पन्नालाल बारुपाल का संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 8क का अन्तः स्थापन) वापस लिया गया	Salaries and Allowances of Members of Parliament. (Amendment) Bill-Withdrawn (Insertion of new section 8A) by Shri P. L. Barupal	154
श्री भोगेन्द्र झा के संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूचि का संशोधन) पर वाद-विवाद स्थगित	Constitution (Amendment) Bill-Debate adjourned (Amendment of Eightn Schedules) by Shri Bhogendra Jha	154—155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	154
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	154
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	154—155
श्री भारत सिंह चौहान का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन) वापस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill-withdrawn (Substitution of Article 43) by Shri Bharat Singh Chauhan	155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	155
1. श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chauhan	155
2. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	155—156
3. श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey	156—157
4. श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	157

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5. श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	157—158
6. डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	158—159
7. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	159—160
8. श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	160—161
9. श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	161—163
डा० कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16क का अन्तःस्नपथा)	Costitution (Amendment) Bill (Insertion of New Article, 16A) by Dr. Karni Singh	163--165
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	165
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	165
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey	165

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 5 अगस्त, 1971/14 श्रावण, 1893 (शक)

Thursday, August 5, 1971/Sravana 14, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Survey For Conversion of Barren Land into Cultivable Land and Japanese Aid Therefor

***1591. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) The names of the places where soil tests have been conducted to convert barren land into cultivable land;

(b) The result thereof ; and

(c) Whether Japan had given an assurance to give some assistance in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) No, Sir.

Statement

Reconnaissance and detailed soil surveys are the primary requirement for taking up land reclamation work. Land reclamation is the responsibility of the State Governments.

It may, however, be mentioned that with a view to identifying the nature and extent

of culturable wastelands in the country. A Wastelands Reclamation Survey, committee was appointed by the Government of India in 1959, It looked 635,96 thousand hectares of land in blocks of more than 100 hectares. During the Third Plan, a scheme for survey and categorisation of Culturable Wastelands in blocks of less than 100 hectares was undertaken and 2296 thousand hectares of such land was identified. To encourage the State Governments to reclaim all the wastelands located, a Centrally Sponsored Scheme for reclamation of culturable wastelands and resettlement of landless agricultural labourers was taken up during the Third Plan and also continued during the three annual plans. The scheme has since been transferred to the State Sector from 1-4-1969.

Apart from the above Centrally Sponsored Scheme, the State Government also took up the programme for reclaiming the culturable wastelands in their possession under their normal developmental plans. The area reclaimed so far (upto 1968-69) is about 42 lakh hectares. It is contemplated to bring about one million hectares of land under land rec amation measures during the Fourth Plan period.

Shri Onkar Lal Berwa : The question that I asked has not been replied. I had asked about the places where survey has been made, but an evasive reply has been given to that. In which of the states under three projects were these surveys conducted ? In Rajasthan there is 175 sq. miles of uneven land along the banks of the chamber. Has the Government any plan in respect of that and if so the details there of ?

Shri Jagannath Pahadia : The surveys have been conducted at places wherever barren land exists. A seperate scheme has been drawn up for the chambal ravines. Schemes have been drawn up for unfertiles land in U. P., Rajasthan and Gujrat.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the progress so far made ?

Shri Jagannath Pahadia : So far 600 acres of land of chambal ravines has been reelaimed.

Shri Onkar Lal Berwa : Although this is a state subject, the Central Government has done well to take it in its hands. As suggested by the M. Ps, that they do not possess tractors and bulldozers, what steps the Government is taking to implement the scheme ?

Shr Jagannath Pahadia : As stated by the hon. Member himself this is a state subject, sti l the Central Government is keeping them off and on.

Shri O kar Lal Berwa : Having taken it in its own hand what action the Central Government has taken for it, tractorization ?

श्री अन्ना साहब शिन्दे : चौथी योजना में एक 2 करोड़ रुपए की केन्द्र-समर्पित योजना है जिसके अधीन 8000 हैक्टर भूमि को रिक्लेम करने का प्रस्ताव है। परन्तु ट्रेक्टरों की सहायता से इस भूमि को रिक्लेम नहीं किया जा सकता। समस्या इतनी जटिल है कि साधन स्रोतों का अभाव केन्द्र तथा राज्यों के मार्ग में बाधक बन जाता है। यह होते हुए भी केन्द्र समर्पित योजना को हाथ में लिया गया है।

Shri R. S. Pandey : The plan to reclaim chambel revines was drawn up long ago and it includes three states – U. P., Rajasthan and Madhya Pradesh ; Madhya Pradesh has a

larger share in it. A representation for setting money was sent to world Bank which was perhaps accepted. A large scheme for bulldazing and reclaiming the land was drawn. What is its position ? That land, if reclaimed for cultivation would be very good and it would cover the entire deficit. What action has been taken for that comprehensive scheme and what is the progress ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैंने केन्द्र समर्पित योजना का पहले ही उल्लेख किया है। समस्या गहरे तथा उथले रेवान्ज की है। उथले रेवाइन्ज को तो कम व्यय पर रिक्लेम किया जा सकता है। परन्तु गहरे रेवान्स के लिये वनारोपन तथा कुछ अन्य कार्यक्रमों को हाथ में लेना पड़ता है और हम स्थिति का निरन्तर अध्ययन कर रहे हैं। जहां तक विश्व बैंक से ऋण का प्रश्न है उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : भारत में 88 करोड़ एकड़ भूमि है पर वास्तव में 33 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। अभी भी पर्याप्त क्षेत्र कृषि योग्य बनाया जा सकता है। सरकार उसे भूमि हीन लोगों में बांटने के लिये कब कृषि योग्य बनायेगी।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : जो भूमि कृषि योग्य बनाई गई है तथा वितरित की गई है उसका उल्लेख वक्तव्य में कर दिया गया है। जैसे ही अधिक भूमि उपलब्ध होगी उसे कृषि योग्य बनाकर अन्य पात्र लोगों में बांट दिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated in reply to this question that 42 Lakh acres of land has been reclaimed. What are the names of the states where it has been done ? Has the attention of the Government been drawn to the fact that the bulldozers being supplied to the peasants of the three adjoining states of chambal ravines i. e. cost them heavily, Rs. 50 per hour. The bulldozers are stationed in Gwalior and take two hours to reach the spot. Would Government draw a plan to level this land fast ? It is believed that certain districts in certain states are backward. Morena and B hind are two such districts. Would the Government draw a scheme for the rapid development of these districts considering their backwardness ?

Shri Jagannath Pahadia : Land reform work is going on in every state. So far as the reclamation of chamal ravines is concerned the hon. Minister has stated that In the Fourth five year plan 8000 acres of land would be reclaimed and about 600 acres has since been reclaimed. So far as rehabilition of labourers in that area is concerned, the Government has sanctioned them Rs. 750/- per hectares and would give Rs. 750/- for their rehabilitation. The suggestion that more and more bulldozers should be used for levelling the land is good and the Government would consider it.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार रेलवे लाइन के दोनों ओर बंजर भूमि को सुधारने के लिये सर्वेक्षण करेगी जिससे कि उसे कृषि योग्य बनाया जा सके।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : कच्छ में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है परन्तु पानी के स्रोत विद्यमान नहीं हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि यदि पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो इस भूमि की सिंचाई की जा सकती है। जबकि इसका सम्बन्ध पानी के स्रोतों से है तो क्या सरकार शीघ्र ही नर्मदा परियोजना को हाथ में लेगी ताकि कृषि योग्य भूमि को पानी दिया जा सके ?

Shri Jagannath Pahadia : The question of cultivation facilities arises only after land has been reclaimed so the work would be undertaken in that order.

Shri N. N. Pandey : May I know whether the committee set up for the reclamation has given its recommendations ? Has any phased programme been recommended by it ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : समिति का गठन इसलिये किया गया था कि 100 हैक्टेयर से ऊपर के भूखण्डों का सर्वेक्षण किया जा सके । समिति ने क्षेत्रों को खोज लिया है और उसका कार्य पूरा हो गया है । अब योजनायें हाथ में लेने का कार्य राज्य सरकारों का है । जैसे कि बताया गया है समिति की सिफारशों के परिणामस्वरूप काफी भूमि को रिक्लेम किया जा सका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार का भूमि को कृषि योग्य बनाने का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के बाद, कृषि राज्यों का विषय होने से यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

Shri S. P. Verma : May I know whether any scheme for land reclaimation was undertaken in Bihar as well, or not and if so, the names of the places where such reclaimation take place and the extent of the land reclaimed ? Has the Bihar Government drawn the attention of the Central Government or not towards 40 Lakh acres of barren land ?

Shri Jagannath Pahadia : I require notice for this.

राष्ट्रीय कृषि आयोग को और काम सौंपा जाना

*1592. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री 3 जून 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग को कोई और काम भी सौंपा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना भारतीय कृषि की प्रगति, समस्याओं तथा क्षमताओं का पता लगाने के उद्देश्य से की गयी है, अतः भारत सरकार भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य पक्ष की जांच करने एवं उस पर रिपोर्ट देने के लिये आयोग को सदैव सौंप सकती है ।

श्री नवल किशोर सिंह : इस आयोग का गठन गत वर्ष किया गया था । इस ग्यारह महीनों के समय में आयोग की 6 बैठकें हुई हैं । छटी बैठक में यह निर्णय किया गया था कि यह आयोग भूमिहीन श्रमिकों के लिए गृह आवास और मजदूरी स्तर के कार्यक्रम के बारे में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । गत ग्यारह महीनों में इस आयोग की यही प्रगति है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस आयोग के बारे में सरकार के इस लाइलाज आशावाद और अटूट विश्वास का कारण क्या है ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : आयोग के कार्यकरण के बारे में किसी प्रकार का आक्षेप लगाना उचित नहीं होगा। इस आयोग ने दुग्धशालाओं और मत्स्य पालन आदि से सम्बद्ध विशेष समस्याओं के बारे में अनेक अध्ययन-दलों की नियुक्ति की है और फिर कृषि तो ऐसा व्यापक विषय है जिसका अध्ययन कर उसके बारे में बहुत भारी दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं। आयोग इस समस्या से भली भांति अवगत है। हमें आशा है कि यह आयोग भारतीय कृषि के बारे में कुछ नये आधारभूत दिशानिर्देश देगा मैं समझता हूं कि इस आयोग में ऊंचे ऊंचे स्तर पर जो लोग हैं, वह काफी अच्छे लोग हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : मन्त्री महोदय ने जो कुछ बताया है उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आयोग का गठन स्थायी रूप से क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि यह अपने सम्पूर्ण सूचीगत कार्यों को समाप्त कर सके ? दूसरे यदि वास्तव में यह 'आयोग इतना ही अच्छा है, जितना कि मन्त्री महोदय ने इसे कहा है तो फिर इस आयोग की अनुसंधान विस्तार और कृषि शिक्षा के कार्यों के समन्वय का कार्य क्यों नहीं सौंपा जा सकता ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार इस आयोग को एक स्थायी संगठन इसलिए नहीं बनाना चाहती कि इस आयोग की कुछ विशिष्ट काय सौंपे गये हैं जिनके बारे में आयोग का प्रतिवेदन दो वर्षों में प्राप्त होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि इस आयोग को स्थाई बनाना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि विकासशील गतिविधियों को राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। जहाँ तक कृषि अनुसंधान और शिक्षा के कार्य का सम्बन्ध है, यह कार्य विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है। इस आयोग का कार्य तो केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नई दिशा देना है।

श्री मानसिंह भौरा : इस आयोग को क्या विशिष्ट कार्य सौंपें गये हैं।

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : मुझे खेद है कि यह प्रश्न एक बुद्धिमान सदस्य द्वारा पूछा गया है। आयोग के निदेशपद सभा पटल पर रखे हुये हैं और इसकी प्रतियां संसद ग्रन्थालय में भी उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दस्तावेज उनकी पहुंच में होते हैं, उन्हें उनके बारे में प्रश्न नहीं करने चाहिये।

श्री मुखत्यारसिंह मलिक : राष्ट्रीय कृषि आयोग के जो सदस्य नियुक्त किये गये हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं ? क्या यह सच है कि एक लोकसभा के सदस्य जो कि हाल ही में चुनाव की हार गये थे, वो आयोग का स्थायी सदस्य बना दिया गया है और वह उन सात या आठ देशों की यात्रा के लिए विदेश गये हुए हैं। कृषि के सम्बन्ध में इस सदस्य का विशेष अनुभव क्या है और इस सदस्य द्वारा इस क्षेत्र में क्या योगदान प्राप्त हो रहा है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : अभी तो इसका अध्यक्ष कोई नहीं है। इस समय तो उपाध्यक्ष श्री शिवारमन ही अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री शिवारमन के बारे में सभा को मालूम ही है कि वह पहले मन्त्रिमण्डल सचिव और कृषि सचिव भी थे। वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उन्हें इस समस्या की व्यापक जानकारी भी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तो नौकरशाही में बिता दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें मत कीजिये ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : बार-बार यही पुराना तर्क दुहराया जा रहा है कि कुछ हारे हुए सदस्यों को आयोग में स्थान दिया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य आयोग के सदस्यों की सूचि को देखने का कष्ट करें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि आयोग में बहुत व्यापक अनुभव वाले व्यक्तियों को स्थान दिया गया है । यदि कोई व्यक्ति केवल चुनावों में हार जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है । अतः जब सदस्य महोदय आयोग के किसी सदस्य के बारे में कोई आक्षेप लगाते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता ।

बुदनी में आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ-समिति

* 1593. **श्री मुखत्यार सिंह मलिक** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुदनी ट्रैक्टर स्टेशन में आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की परीक्षण प्रक्रिया और मानक की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के परीक्षण के सम्बन्ध में उनकी तकनीकी योग्यताएं और अनुभव क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्रि (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आर० एस०-0 ट्रैक्टरों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम, उनकी तकनीकी शिक्षा और अनुभव को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 814/71**]

श्री मुखत्यार सिंह मलिक : मन्त्री महोदय ने इस विशेषज्ञ समिति के उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी व्यक्तियों के जो नाम बताये हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । फिर भी मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इन सदस्यों द्वारा इस कार्य में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है और इन लोगों के मार्ग दर्शन के अधीन इस ट्रैक्टर स्टेशन ने क्या प्रगति की है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस समिति को प्रमुख रूप से आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की समस्या का कार्य सौंपा गया था और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । यह प्रतिवेदन सत्रावसान से पूर्व ही अगामी दो या तीन दिनों में सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

जहां तक बुदनी स्टेशन के कार्यकरण का सम्बन्ध है, इस स्टेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए समिति की सिफारिशें निश्चय ही लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं ।

सिंचाई की छिड़काव प्रणाली

* 1596. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिंचाई की छिड़काव प्रणाली के लाभ का अध्ययन किया है;

(ख) क्या उक्त प्रणाली का इस समय देश के किसी भाग में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ उक्त प्रणाली प्रारम्भ की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्रि (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है

विवरण

(ग) सिंचाई की छिड़काव पद्धति का काफी स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है, उनमें से कुछ स्थान निम्नलिखित हैं :

(1) मृदा तथा जल व्यवस्था मार्गदर्शी परियोजना, पटियाला (पंजाब) ।

(2) मृदा तथा जल व्यवस्था मार्गदर्शी परियोजना, बेलारी (मैसूर) ।

(3) भारत-जर्मन परियोजना, मंडी (हिमाचल प्रदेश) ।

(4) सरकारी सम्पदा गिग्विन्डी, तमिल नाडु ।

(5) कुदिमिया राज्य बीज फार्म, तमिल नाडु ।

(6) जे० एन० कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

(7) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।

(घ) नकवार-पट्टीकार, भराव, खूड आदि सिंचाई की अन्य सामान्य सिंचाई की प्रणालियों की तुलना में छिड़काव सिंचाई के प्रभाव के प्रारम्भिक परीक्षणों से मालूम हुआ है कि छिड़काव का प्रयोग लाभदायक है जहां कि

(क) भूमि का काफी ढलान है जैसे कि बालू के टिब्बों तथा जहां भूमि को समतल करने में काफी व्यय लगता है;

(ख) मिट्टी काफी सरंध्र हो ;

(ग) बार-बार हल्के प्रयोग वांछनीय हों;

(घ) खुले जलमार्गों का बनाना कठिन या महंगा हो ।

(ङ) भरा व सिंचाई प्रणालियों से जलमग्न हो जाय ।

(च) जल महंगा या सीमित हो ।

कुछ प्रकाशित आँकड़ों से मालूम हुआ है कि छिड़काव प्रणाली 80 प्रतिशत से अधिक प्रयोग क्षमता प्रदान कर सकती है । फिर भी, यह भूमि की स्थिति तथा जल के प्रयोग के समय पर निर्भर करता है । सिंचाई की यह प्रणाली जल-निकासी की समस्या को भी कम करेगी ।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैंने विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और यह पाया है कि सात स्थानों पर इस सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं तथा लाभदायक सिद्ध हो रही है । परीक्षण पर लागत कितना धन व्यय हुआ और उससे क्या लाभ हुआ किस प्रकार परीक्षण किया जा रहा है । क्या सरकारी फार्मों से बाहर के स्थानों पर इसका परीक्षण करते समय किसानों को छिड़काव एकड़ भी दिये जाते हैं, क्या कोई राज्य सहायता भी दी जाती है और इस प्रयोग के प्रति किसानों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शेरसिंह : सारी योजना प्रयोग की अवस्था पर है । हिमाचल प्रदेश में मण्डी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ यह प्रयोग पिछले आठ साल से चल रहा है । वहाँ पर लाभ तथा लागत का अनुपात 3·5 : 1 है

इससे प्रतीत होता है कि इन सात स्थानों पर यह लाभदायक सिद्ध हुआ है । कई अन्य स्थान भी हैं जहां पर यह प्रयोग चल रहा है । यह प्रयोग केवल पिछले वर्ष ही प्रारम्भ किया गया था । अत: परिणाम अभी ज्ञात नहीं है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : माननीय मन्त्री के विवरण में उस योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसे रायाल सीमा विकास बोर्ड ने बनाया था और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कड़प्पा जिले में इस पद्धति पर परीक्षण करने के लिए मन्जूर किया था क्या मैं यह जान सकता हूँ कि माननीय मन्त्री से यह जानकारी छूट कैसे गई है ? इस सम्बन्ध में मैं तथ्यात्मक जानकारी चाहता हूँ ।

श्री शेरसिंह : कुछ राज्यों ने इसे प्रारम्भ किया है, मेरे पास हरियाणा तथा राजस्थान के बारे में कुछ सूचना है । परन्तु अन्य स्थानों पर प्राप्त परिणामों के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । आन्ध्र प्रदेश के बारे में मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई परियोजना चालू की है । जैसा कि विवरण में उल्लेख है तामिल नाडु सरकार ने गुइन्डी तथा कुदिमिया राज्य बीज फार्म में यह परियोजना प्रारम्भ की है । आन्ध्र प्रदेश के बारे में मैं नहीं जानता ।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मन्त्री ने कहा कि इस पद्धति का प्रयोग हुआ है और लाभ-लागत अनुपात 3·5 : 1 है । मैं तुलनात्मक कारणों से यह जानना चाहता हूँ । सिंचाई की एक अन्य पद्धति भी है जिसे गुरुत्वाकर्षी पद्धति कहते हैं । दोनों पद्धतियों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्रालय की यह सूचना सत्य है कि कुर्ग में कम से कम 100 बागानों में सफलतापूर्वक इस पद्धति का वाणीज्यिक उपयोग हो चुका है ? क्या इस

पद्धति पर प्रयोग आवश्यक है जबकि इस पद्धति को सिंचाई पर नहीं किसानों पर लागू किया गया है ? मैं इस सम्बन्ध में तुलनात्मक स्थिति जानना चाहता हूँ ?

श्री शेरसिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं कि छिड़काव पद्धति अच्छी एवं अधिक दक्ष है। परन्तु हम इस पद्धति के व्यय के बारे में प्रयोग कर रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि क्या छोटे किसानों में इसके लिए आपेक्षित धन लगाने की क्षमता है ? इस बात का भी अध्ययन किया जाना है कि क्या यह पद्धति सभी प्रकार की भूमि के लिए अर्थात् रेगिस्तानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में और असमतल क्षेत्रों में उपयोगी होगी इस सब का अध्ययन बहुत आवश्यक है और यह भी जानना जरुरी है कि क्या आगे चलकर यह पद्धति समतल क्षेत्रों में कम खर्चीली रहेगी और क्या छोटे किसान इसमें लगाने के लिए धन जुटा पायेंगे ? विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इस पर होने वाले खर्चे के अध्ययन के लिए ही यह सब प्रयोग किये जा रहे हैं। केवल एक ही जिले अर्थात् मण्डी के सम्बन्ध में ही परिणाम ज्ञात हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में अभी प्रयोग जारी हैं और इस पर होने वाले खर्चे का अध्ययन किया जा रहा है।

Shri Nath-ram Ahirwar : Sir, In view of the fact that thee fourth of the land in Madhya Pradesh is un-irrigated, may I know, whether this experiment has been conducted in Madhya Pradesh and if so, results achieved there from ?

Shri Sher Singh : Experiment is still being conducted in Jabalpur University in Madhya Pradesh and its result is not yet known ?

श्री एम० कत्तामुतु : इस बात को देखते हुए कि प्रयोग सफल एवं मितव्ययी सिद्ध हुए हैं, क्या सरकार को छोटे कृषकों माध्यमिक कृषकों को इस सुविधा के अन्तर्गत लेने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री शेरसिंह : विभिन्न क्षेत्रों तथा विश्वविद्यालयों में चल रहे प्रयोगों के परिणाम ज्ञात होने के उपरान्त हम अवश्य ही इसका विस्तार करेंगे।

श्री के० रामाकृष्ण रेड्डी : नागार्जुनसागर क्षेत्र में जहां पर नहरों के जरिए पानी बहता है, किसानों को उच्चस्तर वाले क्षेत्रों में पानी नहीं मिलता। अत: छिड़काव पद्धति को वहां पर क्यों नहीं अपनाया जाता ? उस क्षेत्र के बहुत बड़े भाग को इससे लाभ हो सकता है। इस पद्धति को नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र में प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

श्री शेरसिंह : नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। इस बात को राज्य सरकार को देखना है कि यदि वह इसे वहां पर लागू कर सकती है तो यह लाभदायक होगी। हम तो पद्धति की मितव्ययता सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और वे किसानों के लाभ के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रयोगों के पूरा हो जाने और सूचना के एकत्र हो जाने के पश्चात राज्य सरकारें इसका लाभ उठा पायेंगी।

Provision of Employment to Ueducated Unemployed Under crash Pragramme

* **1597. Shri Ram Bahadur Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the state Governments have been given the option to formulate and

implement schemes for providing employment to educated unemployed instead of uneducated persons in rural areas under the crash programme for rural employment;

(b) if so, the names of the state Governments which have forwarded their schemes to the centre in this regards;

(c) the salient features there of ; and

(d) whether the Central Government have given their approral to those schemes ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

श्री रण बहादुर सिंह : लम्बे समय से यह कहा जाता रहा है कि सरकार बेरोजगारी हटाने के उपाय कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात से हैरानी है कि आप "जी नहीं" उत्तर पर भी अनुपूरक प्रश्न कैसे बना लेते हैं ।

श्री रण बहादुर सिंह : मैंने एक पत्र लिखा था और मन्त्रालय से मुझे यह उत्तर मिला था कि यह प्रश्न राज्यों पर छोड़ दिया गया है । यह साधारण प्रश्न है । राज्य यह मांग करते रहे हैं कम से कम कुछ राज्य--मुझे जानकारी है......।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है ?

श्री रणबहादुर सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि रोजगार देने की सरकार की योजना क्या उन लोगों तक सीमित है जो पहिले ही भूमि पर काम कर रहें हैं अथवा उन लोगों तक है जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है और अभी भी बेरोजगार है, क्योंकि वे भूमि पर कार्य नहीं करना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री शेरसिंह : ग्रामीण रोजगार की जोरदार योजना गांवों के उन अप-नियोजित व्यक्तियों के लिए है जो वर्ष भर में केवल 2 मास के लिए नियोजित रहते हैं । यह मुख्यता अशिक्षित बेरोजगारों के लिए है जो इन सभी कार्यों को और योजना में उल्लिखित सभी कार्यों को कर सकते हैं । यदि माननीय सदस्य ने योजना को पढ़ा है तो, हमने सभी माननीय सदस्यों को उसकी प्रति प्रेषित की है, उन्हें पता लगेगा कि हमने वह योजनाएं बताई हैं जिन पर कार्य होना है और इन योजनाओं के लिए मुख्यता अकुशल श्रमिक ही अपेक्षित हैं । 3 प्रतिशत कार्य कुशल श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए भी रखे गये हैं जिन्हें काम दिया जायेगा परन्तु मुख्यता यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए है ।

श्री रणबहादुर सिंह : मैंने तो यह जानना चाहा था कि क्या अर्द्ध शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए किसी योजना पर विचार हुआ है ।

श्री शेर सिंह : मैं यह कह सकता हूं कि ग्रामीण रोजगार की इस जोरदार योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई बात नहीं है । परन्तु यदि वे लोग, दूसरे लोगों की तरह अकुशल श्रमिकों के

रूप में कार्य करने को तैयार हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। परन्तु सामान्यता यह कथित अर्द्ध-शिक्षित व्यक्ति सड़कों और अन्य योजनाओं पर कार्य करना पसन्द नहीं करते। केवल अकुशल बेरोजगार ही यह कार्य करने के लिए आगे आते हैं।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों शिक्षित बेरोजगारों द्वारा इन ग्रामीण रोजगार योजनाओं में कार्य करने पर कोई आपत्ति होगी ? सरकार को क्या आपत्ति होगी ? राज्य सरकारों को यह विकल्प क्यों नहीं दिया गया कि वे इस द्रुत कार्यक्रम में इस प्रकार के लोगों को नौकरी दे सकें ? आपत्ति क्या है ?

श्री शेर सिंह : सरकार को कोई आपत्ति नहीं परन्तु शिक्षित व्यक्ति आगे आकर इन योजनाओं में कार्य करना पसन्द नहीं करते। यदि वे इन योजनाओं पर कार्य करने को तत्पर हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : शिक्षित अथवा अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या उन्होंने इस द्रुत कार्यक्रम में द्रुत की मात्रा के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है ? यदि कोई मूल्यांकन किया है तो कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और यदि नहीं तो ऐसा मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया ?

श्री शेर सिंह : हमने ऐसा मूल्यांकन किया है···

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रश्न काल को नीरस बनाने में माननीय मंत्री महोदय आप की खूब सहायता कर रहे हैं। यह सम्बद्ध प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उन्हें सुनें और तब आप टिप्पणियां करें। उन्हें सुने बिना ही आप टिप्पणियां कर रहे हैं।

श्री शेर सिंह : इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को 10 महीनों के लिए रोजगार मिलेगा। इसके अन्तर्गत प्रति जिले में 3 लाख श्रम दिवस होंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सिद्धांत में तो यह सब ठीक है परन्तु वास्तव में कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

श्री शेर सिंह : यह कार्यक्रम 8 राज्यों में चलाया गया है। वर्षा ऋतु के पश्चात् कुछ अन्य राज्यों में भी यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ? मैंने पूछा था, "क्या मूल्यांकन किया गया ? कितने लोगों को वस्तुतः रोजगार दिया गया ? क्या अभी तक कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शेर सिंह : इस कार्य में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। हमने 6 दल नियुक्त किए हैं जो कुछ राज्यों का दौरा करेंगे काम जारी है और 3 महीने बाद हम इसका पुनर्विलोकन करेंगे कि वस्तुतः कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। रिपोर्ट हमें 3 महीने तक प्राप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में काफी समय लग गया है।

Shri Ramavtar Shastri : It is an important question. I wish to know the statewise details of the unemployed in villages and whether the Government has formulated any scheme to provide jobs to those people and how many have been absorbed till now.

Shri Sher Singh : It is impossible for me to tell the number of unemployed persons in villages and I have mentioned earlier the number of persons that will be absorbed under the scheme. These are 355 districts in the country and one thousand persons in each district will be given employment. The work is going on in 8 states and people are being provided jobs. If the hon. member wants specific information a seprate notice should be given for that because we will have to count the number of persons in every village. The figures are not available at the moment but I can name the states where work is going on. They are Kerala, U.P., Tamilnadu, Maharashtra and parts of M.P. and West Bengal.

श्रीप्रि यरजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय यह वह वक्तव्य नहीं जो हम चाहते हैं ।

श्री शेर सिंह : मैं उन सब राज्यों के नाम बता देता हूँ । कुछ माननीय सदस्य उठ खड़ हुए ।

Mr. Speaker : This question has taken a lot of time, if the hon. members want further time they can ask for half-an-hour discussion on this subject.

श्री श्रमरनाथ विद्यालंकार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला रोजगार स्थायी होगा अथवा अस्थायी ?

श्री शेर सिंह : यह कार्य वर्ष में केवल 10 महीने के लिए दिया जाएगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question is quite important but the reply is not satisfactory. Rs. 50 crores were alloted in the interior budget for removing unemployment in villages but the hon. Minister is not in a position to tell the number of persons who have been given jobs under the scheme. I wish to know the names of the states where the work has not started yet and the reasons therefor ; Is it that these states do not require funds or there is any difficulty in granting them the aid by the centre. The hon. Minister has said that within three months a team will be going to states for evaluation. Three months have already passed may I know whether any team has gone to different states or not, if so, the results of their investigation ?

Shri Sher Singh : As I have said earlier the work has started in 8 states and the names of those states are : Bihar, U. P., Keral, M. P., Maharashtra, Tamilnadu, *Himachal* Pradesh and West Bengal.

The states visited by the team are :

Madhya Pradesh, Tamilnadu, Mysore, West Bengal, Keral, Bihar and Orrisa.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I wish to know the reasons that are being given by the states where work has not started so far. Is it that they do not want funds from the centre or is it because you have not approved their scheme. There are other states also besides the said 8 states.

Shri Sher Singh : Sanction has been given and funds have been provided to 14 districts in Andhra Pradesh, 10 districts in Asam, 17 districts in Bihar, 19 districts in Gujrat, 18 districts in Haryana and 7 districts in Himachal Pradesh. About Jammu and Kashmir ....

Mr. Speaker : The hon. member wants to know the reasons.

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि यह योजना केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही चालू की गई है। योजना के स्वीकृत किये जाने के पश्चात् हमने कुछ निर्देश दिए थे जिनके आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्र को प्रस्ताव भेजने थे। कई राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और जहां इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने में कुछ विलम्ब हो रहा है उसका एक मात्र कारण यह है कि हमें उन राज्यों से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और हमने भी राज्यों को जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के कुछ भागों मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से हुए क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए स्वीकृत की गई राशि में वृद्धि करने का है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है हम आबंटित राशि में वृद्धि नहीं कर सकते लेकिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को अन्य रूप से सहायता की जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को सांविधिक रूप देने के लिए विधान बनाना

*1599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी स्वम् तालाबन्दी के लिए नोटिस की अवधि के बारे में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 28 जून, 1971 को अपने त्याग-पत्र से पूर्व जारी किये गये अध्यादेशों को सांविधिक रूप देने के लिए शीघ्र ही कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) पश्चिम बंगाल कर्मचारी अनिवार्य ग्रेच्युटी के भुगतान सम्बन्धी अध्यादेश, 1971 को एक अधिनियम द्वारा बदलने का प्रश्न विचाराधीन है। तथापि, पश्चिम बंगाल की सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तालाबन्दी के लिए नोटिस की अवधि के बारे में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपदान भुगतान अध्यादेश 5 जून को प्रख्यापित किया गया था। आज 5 अगस्त है। दो महीने गुजर गये हैं हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि अनेक वाणिज्य मण्डल नियोक्ताओं के अन्य संगठन वक्तव्य जारी कर रहे हैं तथा सरकार पर कई प्रकार से दबाव डाल रहे हैं जिससे यह अध्यादेश व्ययगत (laps) हो जाए और इसे अधिनियमित

न किया जा सके । क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इस अध्यादेश को व्यपगत नहीं होने दिया जायेगा और राष्ट्रपति अधिनियम द्वारा इसे अधिनियमित किया जायेगा ।

श्रम और पुर्नवास मन्त्री श्री आर० के० खांडिलकर) : वाणिज्य मण्डलों अथवा अन्य निहित स्वार्थों द्वारा कुछ भी वक्तव्य दिये जाते रहें हमें इससे कोई मतलब नहीं । इस अध्यादेश को व्यपगत नहीं होने दिया जायेगा ।

श्र इन्द्रजीत गुप्त : जहाँ तक फैक्टरी बंद करने के लिए सूचना की अवधि सम्बन्धी अध्यादेश का सम्बन्ध है मेरा विचार है वह इसलिए प्रख्यापित नहीं किया गया कि केन्द्र की सहमति प्राप्त करने का समय नहीं रहा था ; मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब इस अध्यादेश की स्थिति क्या है ? इसे केन्द्र को भेजा गया था क्या केन्द्र इस पर अभी तक विचार कर रहा है अथवा इसे अनुमोदित कर दिया है । क्या केन्द्र इसे राष्ट्रपति अधिनियम के रूप में लाने पर भी विचार करेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : फैक्टरी बंद करने के लिए यह सूचना अवधि सम्बन्धी अध्यादेश इसलिए प्रख्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि जनतांत्रिक मिली जुली सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था । किन्तु केन्द्र ने कुछ संशोधनों के साथ इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी । अब पूरे मामले पर फिर से विचार हो रहा है और इसे अधिनियमित किया जाएगा ।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कानून को अखिल भारतीय आधार पर प्रस्तुत करने का है जिससे कि देश भर में सभी प्रकार के श्रमिकों को इससे लाभ हो सके ? यदि हाँ तो कितनी जल्दी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ? दूसरे, 1967 से अब अक पश्चिम बंगाल से ऐसी कितनी मदें केन्द्र के पास आई हैं और उनमें से कितनी मदों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग को नहीं समझ पाया । जहाँ तक पहले भाग का सम्बन्ध है इसे कार्यरूप देने के लिए इस महत्वपूर्ण श्रम कानून के सम्बन्ध में हम एक निश्चित प्रक्रिया को अपना रहे हैं । इस प्रकार के प्रश्नों को भारतीय श्रम सम्मेलन में जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है, पूछा जाता है । सम्बद्ध प्रश्न पर भी वहां चर्चा होगी तदुपरान्त इसे कार्यरूप दिया जायेगा । कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया था । इन परिस्थितियों को विचाराधीन रखते हुए हम इस अध्यादेश को लागू करेंगे । जहाँ तक इसे अखिल भारतीय रूप देने का प्रश्न है, केरल में उपदान सम्बन्धी कानून पहले से ही लागू है । हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय कानून लागू किया जाये जिसकी व्याप्ति सभी श्रमिक वर्गों तक हो ।

श्री ज्योतिमय बसु : इसका अर्थ यह हुआ कि शीघ्र ही इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर का कानून बनाया जायेगा । मेरा दूसरा प्रश्न जिसे आप समझ नहीं पाये, यह था कि 1967 से, जब से कांग्रेस विरोधी शक्तियों ने सरकार का गठन किया था, इन्होंने केन्द्र की मंजूरी के लिए 1967 के अन्त में और 1967-70 में दो बार कुछ कानूनों को भेजा था । क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति दिये बिना वापिस भेज दिये गये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नया प्रश्न है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे लिए यह बता पाना कठिन होगा कि कितने अवसरों पर कितने विधेयक मंजूरी के लिए भेजे गये और कितने बिना मंजूरी के वापस किये गये ।

श्री ज्योतिमय बसु : मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में

श्री आर० के० खाडिलकर : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना दी जाये ।

श्री प्रियरजनदास मुन्शी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनतांत्रिक मिली जुली सरकार के भंग होने के बाद राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर यह घोषित किया गया था कि जनतांत्रिक मिली जुली सरकार जो कि पश्चिम बंगाल की जनता से वचन-बद्ध थी, के अधूरे छोड़ काम को राष्ट्रपति शासन के अधीन कार्य कर रही सरकार पूरा करेगी । मैं यह जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के मामलों के वर्तमान प्रभारी मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय यह पहले मन्त्री श्री नाग ने केन्द्र सरकार से इस अध्यादेश के बारे में और इस पर शीघ्रता से स्वीकृति देने के बारे में बातचीत की है यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ और श्री सिद्धार्थ शंकर राय भी इस योजना में काफी रुचि ले रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा दोनों अध्यादेशों को कानूनी रूप दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न-श्री मुहम्मद शरीफ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिमय बसु ने पूछ लिया है । वह आपके अपने आदमी हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लेकिन ये मेरा प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री ज्योतिमय बसु : एक कांग्रेसी को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति देने के बाद कृपय: दूसरे कांग्रेसी को दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न दें ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? **(व्यवधान)** शांति, शांति ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह आपका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होगा । प्रश्न काल के दौरान यदि विरोधी दल के सदस्य को अवसर नहीं मिलता तो प्रश्न काल का क्या लाभ है ?

श्री ज्योतिमय बसु : जब आप एक कांग्रेसी को अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं तो दूसरे को आज्ञा न दिया कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : संख्या के अनुसार इस प्रणाली का पालन हम गत लोक सभा से करते आये हैं **व्यवधान** शांति, शांति । मैं अधिकांश इसके अनुसार नहीं चलता लेकिन मुझे दोनों पक्षों के प्रति समानता का बर्ताव करना पड़ता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस सदन का सदस्य सन् 1957 से हूँ । प्रश्नों का बैलट किया जाता है और जो सदस्य प्रश्नों की सूचना देते हैं, उन्हें बोलने का अवसर मिलना चाहिये । आप

यदि विदेशों को हटा दें तो हम प्रश्न काल में प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। मैं नहीं समझता कि हर सदस्य बैलट होकर गुजरेंगे (**व्यवधान**)। कृप्य: मुझे सुनें। यदि आप संख्या पर विचार करते हैं तो उस बारे मैं यह कहूंगा। (**व्यवधान**)। हर एक की ओर चिल्लाने का प्रयत्न न करें।

अध्यक्ष महोदय : शांति। आपस में कोई बात न करें। मुझे इन्हें सुनने दीजिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : जो व्यक्ति अध्यक्ष महोदय की नजर पकड़ लेता है उसे बोलने का अवसर मिल जाता है। मेरी आयु 50 वर्ष है। बार-बार खड़ा होने में मुझे कोई आनन्द नहीं मिलता। (**व्यवधान**)। प्रश्न पूछना हमारे लिये कठिन हो जायेगा (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री पाणिग्रही कृपा करके बैठ जायें। अब मैं श्री बनर्जी की बात को समझ सकता हूं। पिछली बार प्रथा बिल्कुल विपरीत थी। दो इस ओर से और एक इस ओर से। मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ सदस्य प्रश्न पूछे बिना ही अन्य लोगों का अवसर छीन लेते हैं। ऐसी बातों को टालने के लिए मैं बहुत सचेत हूं। मैं केवल यही कहता हूँ कि यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना चाहिये तथा अपने प्रश्नों को बैलट के लिये भेजना चाहिये। अन्य लोगों का अवसर न छीनें। जो सदस्य खड़ा होता है, वह सोचता है कि केवल वही खड़ा है लेकिन 20 सदस्य उसके पीछे खड़े होते हैं और 30 सदस्य दूसरी ओर खड़े होते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुछ सदस्य आपकी नजर और कान को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आंखें अटल नहीं, घूमती रहती हैं।

श्री ज्योतिमय बसु : नियम 50 के अधीन मैं एक बात कहना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदय : मै बात सुन सकता हूँ, व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री ज्योतिमय बसु : नियम स्पष्ट है। आप मुझे बोलने से रोक नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों की जानकारी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर भी आप यह कह रहे हैं। यदि एक कांग्रेसी के अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो दूसरे कांग्रेसी के अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री एस० ए० शमीम : सदन के निर्दलीय सदस्यों को नहीं भूला जाना चाहिये। हमें कभी भी अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह चलूँगा। हर दो सेक्टर एक प्रश्न पूछेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमें टालने वाले उत्तर मिल रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मन्त्री महोदय ने जान बूझ कर टाला है। अतः मैं उनसे जानना चाहता था कि ....

अध्यक्ष महोदय : कई लोग कई प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लेकिन आपने अनुमति नहीं दी । हमारे राज्य में चार सौ कारखाने रहे हैं । यह सरकार क्या कर रही है ?

वर्ष 1971 1972 के दौरान नेफा के पर्वतीय क्षेत्रों में धान तथा अन्य फसलों का उत्पादन

* 1601. **श्री सी० सी० गौहेन** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान नेफा के पर्वतीय क्षेत्रों में धान तथा अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक उपज देने वाले आधुनिकतम बीजों द्वारा द्रुत फसल कार्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चावल तथा अन्य फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों के सम्बन्ध में खेत प्रदर्शन करना, बहुद्देशीय फसल शुरु करना किसानों का प्रशिक्षण तथा विस्तार कर्मचारी वर्ग के लिए प्रबोधन-पाठ्यक्रम आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाए गये हैं ।

(ख) तथा (ग) : चावल तथा मकई की अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम वर्ष 1969-70 से क्रियान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1970-71 के दौरान लगभग 1130 हैक्टार क्षेत्र में चावल और 160 है क्टारक्षेत्र में मकई की खेती की गई है । वर्ष 1971-72 के दौरान 1620 हैक्टार क्षेत्र में चावल और 280 हैक्टार क्षेत्र में मकई की खेती करने का लक्ष्य है ।

प्रदर्शनों द्वारा गेहूँ और मूंग की खेती शुरु की जा रही है ।

बंगला देश के शरणार्थियों पर अतिरिक्त व्यय हेतु धन का नियतन

* 1602. **श्री सी०† के० चन्द्रप्पन** : **श्री त्रिदिब चौधरी** :
श्री मल्लिकार्जुन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शरण लेने वाले बंगला देश के शरणार्थियों के लिए बजट में की गई 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक व्यय होगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो शरणार्थियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

श्रम और पुर्नवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) खर्च होने वाले अतिरिक्त व्यय को कुछ तो नकद और सामान के रूप में प्राप्त हो रही विदेशी सहायता और कुछ देश के वर्तमान साधनों के एकत्रीकरण से पूरा किया जायेगा ।

श्री चन्द्रप्पन : क्या सरकार ने सम्भावित अतिरिक्त व्यय का कोई अनुमान लगाया है, और यदि हां, तो अनुमानित राशि क्या है ? इसमें से कितनी सहायता विदेशों से आयेगी और आन्तरिक साधनों द्वारा कितनी राशि जुटाई जायेगी ?

श्रम और पुर्नवास मन्त्री (श्री आर० के०. खाडिलकर) : सरकार ने मूलत: 60 करोड़ रु० का अनुमान लगाया था । यह अनुमान 25 लाख शरणार्थियों के लिए कुछ समय के लिये था । लेकिन अब 7174C00 शरणार्थी आ गये हैं । इनका आना अब भी जारी है । कभी ये अधिक संख्या में आते हैं और कभी कम संख्या में इनका आना बन्द होने या कम होने के कोई भी लक्षण नहीं हैं । फेते अनुमान के अनुसार अब हमें इनके पोषण तथा चिकित्सा आदि के लिए दो सौ करोड़ रु० की आवश्यकता होगी । जैसा कि मैं बता चुका हूँ हमें कुल 99 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का आश्वासन मिला है । अब तक हमें कुल 8·40 करोड़ रुपये की सहायता मिली है जिसमें से 2·06 करोड़ नकद तथा शेष पाईपलाईन के रूप में मिली है ।

श्री चन्द्रप्पन : क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार को दो सौ करोड़ रु० के कर लगाने पड़ेंगे ?

श्री० आर० के० खाडिलकर : हमारे अनुमान के अनुसार दो सौ करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय होना है । हम साधन जुटायेंगे । इसके लिए चाहे कर लगाने पड़ें या कुछ और करना कपड़े । लेकिन जो लोग बंगला देश के लोगों की सहायता करना चाहते हैं वह इस थोड़े से बोझ को अनुभव नहीं करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : विदेशों से बंगला देश के लिए नकद तथा अन्य रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई और कितनी सहायता का आश्वासन था ? क्या किसी अरब देश ने सहायता प्रदान की है ? शरणार्थियों को कितनी चिकित्सा, पोषण तथा वस्त्र सम्बन्धी सहायता दी गई ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आंकड़े दे चुका हूँ । विदेशों से कुल मिलाकर 99 करोड़ रु० की सहायता का आश्वासन मिला था । किन्तु वास्तव में हमें अभी तक नकद सहित केवल 8·40 करोड़ रु० की ही सहायता प्राप्त हुई है । मेरे विचार में किसी भी अरब देश से सहायता प्राप्त नहीं हुई है । संयुक्त अरब गणराज्य ने आश्वासन दिया है लेकिन सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : अनुमानित अवधि मूलतः छः महीने की थी । अब अनुमान 400 करोड़ तक चला गया है । क्या इसके लिए 12 महीने की अवधि निश्चित की गई है और क्या यह अनुमान 18 महीनों में 800 करोड़ तक पहूंच जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना । मैंने कहा कि अब दो सौ करोड़ रु० का अनुमान है क्योंकि हमने बजट में रखे गये दो सौ करोड़ रु० व्यय कर दिये है । प्रश्न केवल समय का है । हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी और

पैदा की जावेगी जिसके अनुसार शरणार्थी अपने घरों को वापस जा सकें। लेकिन यह कहना कठिन है कि यह सब छः महीनों में हो जायेगा। इसमें कुछ और समय लग सकता है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि शरणार्थियों को वापस अपने घरों को जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

श्री ज्योतिमय बसु : हम इस पर आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें यथा नियम इसकी सूचना देनी पड़ेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आसनसोन कोयला क्षेत्र के बारे में समिति की नियुक्ति

* 1594. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव** :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसनसोल कोयला क्षेत्र के मामलों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और समिति के निर्देश-पद क्या है ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य, निगम केरल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

* 1595. **श्री ए० के० गोपालन** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, केरल राज्य के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में समस्त राज्य में 5 जुलाई, 1971 को हड़ताल की थी।

(ख)यदि हाँ, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं ; और

(ग) क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई ठोस और तत्काल कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा केरल राज्य में कोई आम हड़ताल नहीं की गई थी। तथापि, केरल में कार्य

कर रहे भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने 3-7-1971 और 7-7-1971 के बीच बेकलम छोड़े हड़ताल की थी।

(ख) संघ की मुख्य माँग राज्य सरकार के कर्मचारियों की वापसी के परिणाम स्वरूप निकली रिक्तियों को राज्य सरकार के नये प्रतिनियुक्तों से भरने के विरुद्ध थी। संघ ने मांग की थी कि यदि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्तों को लेना ही पड़े तब उन्हें केवल निम्न ग्रेड के पदों पर ही लिया जाना चाहिये।

(ग) जी हाँ, संघ की माँग पर समझौता हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप संघ ने 7 जुलाई, 1971 को अपना आन्दोलन वापस ले लिया था।

डेरी उद्योग के लिए अधिक उत्पादन वाला पैकेज कार्यक्रम

* 1598. **श्री बी० एन० पी० सिंह** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने डेरी-उद्योगों लिए अधिक उत्पादन वाला पैकेज कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) डेरी के इस पैकेज कार्यक्रम में :

(1) अधिक दूध देने वाली डेरी-पशु ;

(2) उचित फसल हेर फेर कार्यक्रम का विकास ;

(3) उचित पद्धत्तियाँ ;

(4) उचित स्वास्थ्य नियन्त्रण ; और

(5) पर्याप्त ऋण सुविधायें शामिल हैं।

समाचार पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों में कर्मचारी संस्थाओं का महासंघ

* 1600. **श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के महामन्त्री ने समाचार पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों में कर्मचारी संस्थाओं का एक महासंघ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और** (ख) : इस प्रकार का

महासंघ स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं। यह अनिवार्यतः ऐसा मामला है जिस पर सम्बन्धित संघों द्वारा विचार और निर्णय किया जाना है।

बीज निगम द्वारा मैसूर राज्य में स्थापित संयत्रों की कार्यक्षमता

* 1603. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीज निगम द्वारा स्थापित संयंत्र निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संयंत्र-वार क्षमता कितनी-कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संयंत्र अपनी पूरी शमता से कार्य करें, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने मैसूर में हवेरी, जामखण्डी तथा घटप्रभा नामक स्थानों पर सोन बीज परिसस्करण संयत्र स्थापित किये थे। परन्तु अभी ये अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) हवेरी तथा जामखंडी में स्थापित प्रत्येक संयत्र की क्षमता 7,000 क्विन्टल वार्षिक है जबकि घटप्रभा संयत्र प्रति वर्ष 3,000 क्विन्टल बीजों का परिसंस्करण कर सकता है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने इन संयत्रों के कार्य का पुनरीक्षण किया है और घटप्रभा में परिसंस्करण के लिए बीजों की अल्प मात्रा प्राप्त होने के कारण इस संयंत्र को बन्द कर देने का निश्चय किया गया है। हवेरी तथा जामखंडी परिसंस्करण संयंत्र के आस-पास का बीज उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि संयत्रों की क्षमतानुसार उन्हें बीजों की प्राप्ति हो सके और वे पूर्ण सक्षम एकको के रूप में कार्य कर सकें।

दुर्गापुर इस्पात आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया सत्याग्रह

* 1604. **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात आफिसर्स एसोसिएशन ने जुलाई, 1971 के प्रथम सप्ताह में महा-अधीक्षक के कार्यालय के सम्मुख सत्याग्रह किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सत्याग्रह के क्या कारण थे; और

(ग) क्या उनकी माँग पूरी कर दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) : जी, हाँ। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ अधिकारियों ने 5-7-71 से सत्याग्रह किया था और इसमें उनकी एसोसिएशन उनके साथ थी। 20-7-71 की रात्रि से यह सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के गैर-प्रबन्धकीय (नान एग्जीक्यूटिव) पदों से प्रबन्धकीय (एग्जीक्यूटिव) पदों पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है तथा परीक्षा पास करनी होती है और उसके पश्चात् ही वे वार्षिक वेतन वृद्धि पाने तथा स्थायी किये जाने के पात्र बन सकते हैं। उन कर्मचारियों को जो परीक्षा में पास नहीं हुए थे, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी। ऐसे अधिकारी प्रशिक्षण अथवा परीक्षा के बिना ही प्रबन्धकीय पदों में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा स्थायीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे।

(ग) जी, नहीं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा तम्बू की बल्लियों की खरीद

* 1605. **डा० कर्णीसिंह :**
राजमाता कृष्णकुमारी जोधपुर :

क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान के महानिदेशक ने दिसम्बर, 1969 में कई फर्मों को दिये गये ठेके द्वारा बड़ी संख्या में रद्द की गई तंबू की बल्लियों को खरीदा था ;

(ख) क्या बल्लियों के मूल्य का भुगतान मूल ठेके में दी गई दर से बहुत ऊंची दर पर किया गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो रद्द किये माल को ठेके की दरों से बहुत ऊंची दरों पर खरीदने के क्या कारण है ;

(घ) इस कारण सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ, सिवाय एक मामले के, जिसमें खरीद कुछ कम दर पर की गई थी ;

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय रद्द किये गये सामान की खरीद नहीं करता, और सदैव टेंडर मांगे जाते हैं, तथा निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप सामान के लिए ही आर्डर दिए जाते हैं। तो भी, ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षणालय और परेषिती द्वारा कुछ अवमानक बल्लियों को पारित। स्वीकृत कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जाँच कर रहा है। इस मामले में, टेंडर द्वारा प्राप्त न्यूनतम स्वीकार्य दरों पर ही आर्डर दिये गये थे। सात मामलों मे, इस प्रकार से प्राप्त मूल्य, मूल ठेके की दरों से अधिक था, और आठवें मामले में कम।

(घ) सामान की खरीद में कुल अतिरिक्त खर्च, जिसमें बिक्री-कर भी शामिल है, लगभग 6. 97 लाख रुपये होता है।

(ङ) मामले की जाँच की जा रही है।

जादुगुडा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

* 1606. **श्री एन० ई० होरो** :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादुगुडा में स्थित भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने 5 जुलाई, 1971 से हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त निगम के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के हितों को हानि पहुंचाने हेतु भर्ती सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

खारी पानी में धान की खेती करने सम्बन्धी अनुसन्धान

*1607. **श्री माधुर्य्य हालदार :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारी पानी में धान की खेती करने के सम्बन्ध में सरकार कोई अनुसन्धान करा रही है ; और

(ख) यदि हां, उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां खारी भूमि तथा खारी पानी के अवस्थाओं में धान की खेती करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि क्षारीयता अनुसन्धान संस्थान, करनाल और पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के केनिंग टाऊन में स्थित इसके केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान कटक में अनुसन्धान किये जा रहे हैं ।

(ख) इन अनुसन्धान केन्द्रों में क्षारीय भूमि की अवस्थाओं में अनुकूल चावल की किस्मों के सम्बन्ध के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई है । अब तक की सफलता से यह पता चला है कि चावल की किस्में अर्थात् गेटू, देसल, दामोदर, सी ए सी 75, सी ए सी 125, सी ए सी 334 और एस आर 268 (केनिंग टाऊन पश्चिम बंगाल), आई आर 8-68 (करनाल) क्षारीय अवस्थाओं के प्रति काफी हद तक सहनशील हैं । केन्द्रीय भूमि क्षारीयता अनुसन्धान संस्थान, करनाल में क्षारीय-अम्लीय भूमि में (जोकि उत्तरी भारत और अन्य स्थानों में सामान्य रूप से मिलती है) चावल की सफलतापूर्वक खेती करने के लिये जिप्सम और ढेंचा हरी सहित खाद के प्रयोग के उपरान्त लवण के सम्प्रक्षालन तथा धान उगाने की एक तकनीक निकाली गई है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि सेवा केन्द्र

*1608. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार तकनीशियनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि सेवा केन्द्र योजना की क्रियान्वित हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में जो प्रमुखत: कृषि-प्रधान राज्य हैं, कितने कृषि सेवा केन्द्र बन चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास मंत्रालय ने "इन्जीनियर उद्यमकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा सहायता" के लिये एक योजना तैयार की है, जिसके लिये उत मंत्रालय ने 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बेरोजगार इन्जीनियरों तथा तकनीकी दृष्टि से अन्य योग्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये गये कृषि सेवा केन्द्र, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होंगे। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक कदम उठायें।

बिहार में 23 बेरोजगार इन्जीनियरों को प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से 12 बेरोजगार इन्जीनियरों को ऋण लेने में सहायता दी गई है तथा उन्हें कृषि सेवा केन्द्रों को स्थापित करने में उनकी सहायता के लिये आयातित ट्रैक्टरों तथा अतिरिक्त पुर्जे एवं उपस्करों के आबंटन में प्राथमिकता दी गई है। इस समय उत्तर प्रदेश में 13 बेरोजगार इन्जीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात् राज्य कृषि-उद्योग निगम, कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना में उनकी सहायता करेगा।

आयातित होल्स्टन फ्रेसियेन ओसरों (हीफर) पर खर्च

*1609. **श्री भान सिंह भौरा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित "होल्स्टेन फ्रेसियेन" ओसरों (हीफर) की एक मूल्यवान नस्ल का उपयोग करने के लिये पंजाब सरकार की योजना को क्रियान्वित करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन ओसरों पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

कृषि मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंजाब सरकार सितम्बर। अक्तूबर 1970 में आयातित "होल्स्टेन फ्रेसियेन" ओसरों का अपनी योजना के अनुसार उपयोग करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

(ख) पंजाब सरकार ने बताया है कि इस बारे में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) इन ओसरों पर पंजाब सरकार अभी तक 5,67,767,00 रुपये व्यय (5,04,000.00 रुपये के परिवहन व्यय सहित) कर चुकी है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

*1610. **श्री एम० एम० जोजफ :**

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो किन पहलुओं का अध्ययन किया गया है और क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कपास के संकर बीज एच-4 की खेती के अन्तर्गत भूमि तथा रूई के मामले में आत्मनिर्भरता

*1611. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के नये शंकर बीज एच-4 की खेती के अन्तर्गत कितनी भूमि है; और

(ख) अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रूई को छोड़कर रूई की शेष सभी किस्मों में कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान लगभग 24,800 हैक्टार भूमि में संकर-4 कपास की वाणिज्यिक फसल बोई गई थी।

(ख) आशा है वर्ष 1973-74 तक समस्त मांग को पूरा करने के लिए 1-3/16" तक की कपास के उत्पादन को बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रगति हो सकेगी।

राज्यों में रागी की खेती

*1612. **श्री के० मालन्ना**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में रागी की खेती में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या देश में रागी की उपज में कमी हुई है, हालांकि यह निर्धन वर्ग के लोगों का भोजन है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी उपज में कमी के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अमरीका तथा रूस के साथ करार

*1613. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई 1971 के 'स्टेट्समैन" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा एक अमरीकी तथा एक रूसी फार्म के साथ किये गये करारों में भारत की स्थिति विदेशी भागीदारों की तुलना में कम लाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो करारों का ब्यौरा क्या है और वे बातें क्या हैं जिनसे भारत वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद स्थिति में हो गया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा करारों की शर्तों में कोई संशोधन किया जाएगा ताकि इस अलाभप्रद स्थिति को दूर किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) (1) हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा अमरीका की युनाइटेड इन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी के साथ किये गये करार के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लि० का केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो रोलिंग मिलों के उपकरणों के रूपांकन तथा निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करेगा। सोवियत संघ के त्याजप्रोमेक्सपोर्त्त और हिन्दुस्तान स्टील लि० के बीच हुए करार के अन्तर्गत त्याजप्रोमेक्सपोर्त्त हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इन्जीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो को लोहे और इस्पात के कारखानों का रूपांकन कर सकने के लिए तकनीकी सहायता देगा।

(2) अमरीका की युनाइटेड इंन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी के साथ किये गये करार में इस बात की व्यवस्था की गई है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० रोलिंग मिलों के उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। इस करार में इस बात की भी व्यवस्था है कि

हिन्दुस्तान स्टील लि० को रोलिंग मिलों और उनसे सम्बद्ध साज-सामान का रूपांकन करने तथा अपने कारखानों में अथवा भारत में स्थित किसी अन्य कारखाने में और युनाइटेड इन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी के अमरीका स्थित कारखाने में तथा अमरीकी क्षेत्रों में स्थित कारखानों में इनके निर्माण के लिए इस जानकारी का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(3) त्याजप्रोमेक्सपोर्त्त के साथ किये गये करार में इस बात की व्यवस्था है कि त्याजप्रोमेक्सपोर्त्त मुख्य धातुकार्मिक प्रक्रियाओं जैसे कोक ओवन उपोत्पाद तथा सिन्टरिंग संयंत्र, धमन भट्टियों और इस्पात पिघलाने वाले कारखानों आदि के प्रौद्योगिक रूपांकन के लिए मार्गदर्शक सामग्री और मानक तैयार करेंगे और उसे हिन्दुस्तान स्टील लि० को सौंप देंगे। इस करार में भारतीय इन्जीनियरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रूस भेजने और केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के विकास हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए सोवियत विशेषज्ञों को हिन्दुस्तान स्टील लि० में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की भी व्यवस्था है।

(4) ये करार वित्तीय दृष्टि से किसी प्रकार भी अलाभकर नहीं पाये गये हैं। इसके विपरीत ऐसी आशा की जाती है कि त्याप्रोमेकसपोर्त्त के साथ किये गये करार से परामर्शदात् कार्यों अथवा उपकरणों की सप्लाई में हमारी विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो जायेगी और इस तरह केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो प्रायोजनाओं की विस्तृत इन्जीनियरी कार्य कर सकेगा और ऐसी मशीनों के पैरामीटर तैयार कर सकेगा जिनका देश में निर्माण किया जायेगा। यूनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री कं० के साथ किये गये करार से आधुनिक प्रकार की तथा बड़े आकार की रोलिंग मिलों का देश में ही निर्माण करना संभव हो सकेगा। इससे विदेशी मुद्रा का हमारा खर्च काफी कम हो जायेगा।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण सम्बन्धी करार का विरोध

*1614. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण करने हेतु ब्यूरो डी० रिचरचेज ज्यलोजिक्स (बी० आर० जी० म०) और कम्पेन जनरल डी ज्यफिजीक (सी० जी० जी०) के साथ सरकार के करार का कड़ा विरोध हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : सरकार की ब्यूरिओ डी० रिसर्चेज जिओलोजिक्यूज (बी० आर० जी० एम०) और कम्पनी जनरल डी० जिओफिजिक्यू (सी० जी० जी०) के साथ भारत में हवाई खनिज सर्वेक्षण करने के लिए करार के बारे में कुछ आलोचना हुई है। इस सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्नों में भारत में अभिप्राप्य भूभौतिकीय अवस्थाओं में इस प्रकार की हवाई सर्वेक्षणों की प्रभावशीलता से उन फायदों तक थे जो देश को इस करार के अधीन हवाई तकनीकियों में प्रशिक्षण और विशेषज्ञीय और आंकड़े बनाना तथा निर्वचन से प्रोद्भूत होंगे।

उठाए गए प्रश्नों में से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्या :-

(1) हवाई सर्वेक्षण और तकनीकियां भारत में अभिप्राप्य भूभौतिकीय अवस्थाओं में सम्भाव्य अयस्क वाले क्षेत्रों को अवस्थापित करने में प्रभावशाली होंगी ।

(2) ऐसे हवाई सर्वेक्षण स्वदेशी रूप से किए जा सकेंगे ।

(3) भारतीय वैज्ञानिकों को हवाई तकनीकों, भूभौतिकीय आंकड़ों और विश्लेषण इत्यादि के अधिगणक-करण तरीकों में पर्याप्त प्रशिक्षण मिलेगा ?

बंगला देश के शरणार्थियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय पैनल

*1615. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये इस सुझाव पर कोई निर्णय कर लिया गया है कि भारत में बंगला देश के शरणार्थियों के कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय पैनल बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के उद्देश्य और कार्य क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) किसी राष्ट्रीय पैनल बनाने के सुझाव के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में स्वर्ण उत्पादन

*1616. **श्री डी० के० पण्डा :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कुछ वर्षों से भारत में स्वर्ण के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में स्वर्ण के नये निक्षेपों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वर्ण धातु का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :-

वर्ष	उत्पादन, किलोग्राम में
1966	3736

1967	3161
1968	3588
1969	3062
1970	3241

(ख) अब तक कोलर स्वर्ण क्षेत्र और हुट्टी स्वर्ण खानें ही स्वर्ण उत्पादन का एकमात्र स्रोत रही हैं जिनमें स्वर्ण की औसतन श्रेणी में ह्रास हुआ है ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा स्वर्ण के लिए मैसूर के कोलर, हुट्टी और गड़ाग स्वर्ण क्षेत्रों में, आन्ध्र प्रदेश में रामगिरी में, केरल तमिलनाडु में वाईनाड़ में, बिहार के सिघभूम जिले में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछेक भागों में, समन्वेषण किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मैसूर और असम राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में स्वर्ण के लिए अन्वेक्षण किए गए हैं ।

(घ) कोलर क्षेत्र में निम्न श्रेणी स्वर्ण अयस्क की वृहद उपलभ्य राशियों की 14 खनिजीकृत पट्टियां सांकेतित हुई हैं । गड़ाग क्षेत्र के समन्वेषण आंकड़ों का मूल्यांकन प्रगति पर है । हुट्टी क्षेत्र में और खनिज-शिराओं के उपलभ्य होने की संभावना भी उपदर्शित हुई है । केरल के वाइनाड़ क्षेत्र और बिहार के लावा क्षेत्र के परिणाम प्रेरक नहीं थे । बिहार के मैसेरा क्षेत्र में व्यधन कार्य प्रारंभ किया गया है । महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भिवापुर में स्वर्ण वाली पट्टियों की विद्यमानता उपदर्शित हुई है ।

सरकारी उपक्रमों में मजदूरों को अंशधारी बनाये जाने की योजना

*1617. **डा० रानेन सेन** :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत मजदूर सरकारी उपक्रमों में अंशधारी बन सकें ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

वाईलारस ट्रैक्टरों का उत्पादन और आयात

* 1618. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

क्या **कृषि** मन्त्री 3 जून 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाईलारस ट्रैक्टरों के उत्पादन कार्यक्रम के लिए किसी भारतीय पार्टी ने कोई आवेदन पत्र दिया है तथा उक्त आवेदन-पत्र पर औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकारी नीति के प्रतिकूल अब भी वाईलारस ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड, चण्डीगढ़ ने रूस के सहयोग से हरियाणा राज्य में वायलारस (50 अश्व-शक्ति) कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए 5,000 ट्रैक्टर वार्षिक क्षमता वाले एक नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए अभ्यावेदन दिया है। सरकार अभी इस अभ्यावेदन पर विचार कर रही है।

(ख) भारत सरकार ने इस मैक के ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति दी है ;

(1) जिसका विनिर्माण कार्यक्रम औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत हो, और या निकट भविष्य में जिसके देश में विनिर्माण होने की सम्भावना हो, और (2) जिसका ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा जांच केन्द्र, बुदनी में परीक्षण किया गया हो और सन्तोषजनक पाया गया हो, या जिसका पहले आयात हो चुका हो और भारतीय परिस्थितियों में जिसके सन्तोषजनक रूप से कार्य करने का हमें पर्याप्त अनुभव हो। गत समय में वायलरस ट्रैक्टरों का काफी बड़ी संख्या में आयात किया जा चुका है और उनका कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। इन परिस्थितियों में इन ट्रैक्टरों का आयात करना सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है।

एक समान भूमि सम्बन्धी कानून लागू करने और भूमि सुधार नीति को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के बारे में पंजाब के संसद सदस्यों का अभ्यावेदन

* 1619. **श्री तेजासिंह स्वतन्त्र** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक समान भूमि सम्बन्धी कानून करने और केन्द्रीय सरकार की भूमि सुधार सम्बन्धी नीति की शीघ्रता से क्रियान्वित करने के बारे में विधेयक अध्यादेश लाने के सम्बन्ध में पंजाब के संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार को हाल ही में अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) **और (ख)** : भारत सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान आवश्यक संशोधनों को लागू करने के लिए पंजाब के भूमि सुधार कानूनों की जाँच की है। इस सम्बन्ध में पंजाब के दस संसद सदस्यों से एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

वसूली अभियान के दौरान असामयिक वर्षा के कारण अनाज की क्षति के लिए उत्तरादायित्व

*1620. **श्री एस० सी० सामन्त** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूली अभियान के दौरान हुई असामयिक वर्षा के कारण अनाज की क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस रूप में उत्तरदायी ठहराया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) अप्रैल और मई महीनों में उत्तरी भारत के कुछ भागों में बेमौसमी वर्षा होने के कारण या तो गहाई के लिए पड़े अथवा किसानों के खलिहानों में पड़े अनाजों को क्षति पहुंची थी। सरकार ने निर्दिष्टियों में ढील देकर ऐसे अनाजों की अधिप्राप्ति के लिए तत्काल उपाय किये थे। निभार और तिरपाल की अवस्था करके अधिप्राप्ति अनाजों को बचाने के लिए भी उपाय किये गये थे। फलत,, अधिप्राप्ति अनाजों की कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं पहुंची है। अतः किसी चूक के लिए कोई जिम्मेदारी डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा पाथेर खेड़ा कोयला क्षेत्रों में कोयला निकाला जाना

* 7010. **श्री गंगाचरण दीक्षित** :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा केवल सोरनी बिजली घर में प्रयोग के लिए मध्य प्रदेश में पाथेर खेड़ा कोयला क्षेत्रों से कोयला निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने में अब तक असफल रहा है जिसके फलस्वरूप 'सेटों' की क्षमता से बहुत कम बिजली उत्पन्न होती है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन खानों को राज्य सरकार को देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हाँ, अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्रों से कोयले का निष्कर्षण मध्य प्रदेश में बेतुल जिले के सर्नी ग्राम में स्थित सतपुरा तापीय बिजली घर के प्रयोग के लिए किया जा रहा है।

(ख) निगम बिजली घर को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहा है जिससे पाथाखेड़ा विस्तारण नाम से विदित दूसरी खान के विकास का कार्य भी सम्मिलित है बिजलीघर पद्धति भार स्थिति के अनुसार सक्रियाशील है जिसके लिए राष्ट्रीय कोयला विकास

निगम की पाथाखेड़ा खान और पंचघाटी कोयला क्षेत्रों से अपेक्षित कोयला अभी प्राप्त किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही विनिश्चय लिए जाने की सम्भावना है ।

पंजाब में कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति

* 7011. **श्री तेजासिंह स्वतन्त्र :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)से 1968-69 से 1970-71 में अपना अध्ययन पूरा कर लेपे वाले वाले कृषि स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और आगामी पाँच वर्षों में अनुमानतः कितने व्यक्ति अपना अध्ययन पूरा कर लेंगे ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में इन स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों को रोजगार देने की अनुमानित क्षमता कितनी है ; और

(ग) बेरोजगार कृषि स्नातको/स्नातकोत्तर व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब माहिब पी० शिन्दे) :

(क)

वर्ष	कृषि स्नातक	स्नातकोत्तर
1968-68	223	128
1969-70	261	153
1970-71	246	72

अगले पाँच वर्षों में यह आशा की जाती है कि कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) के प्रत्येक वर्ष 200 कृषि स्नातक और 80 स्नातकोत्तर अपना अध्ययन पूरा कर लेंगे ।

(ख) और (ग) : पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से निकाले स्नातकों को रोजगार की क्षमता के ठीक अनुमान नहीं दिये जा सकते, परन्तु हमारे पास सारे देश में कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों के बारे में कुछ अनुमान है । 1969 में किये गये अध्ययन के अनुसार यह द्रतीत होता है कि चौथी योजना की अवधि में विभिन्न विस्तार और अनुसंधान कार्यक्रमों पर इस समय लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र में 21,000 कृषि स्नातकों और 3090 स्नातकोत्तर व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ।

सरकार की ओर भी कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना है जिस के अधीत शुरु में मार्गदर्शन आधार पर 500 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । प्राप्त अनुभव और बेरोजगार स्नातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर और केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । ये केन्द्र कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों को स्वतः रोजगार अवसर प्रदान करेंगे ।

कृषि मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई अन्य विशेष योजनाओं से (छोटे कृषक विकास

एजेन्सी, सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक, ग्राम निर्माण कार्यक्रम, बारानी भूमि कृषि, कमांड क्षेत्र विकास और कैश ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) यह आशा है कि इन योजनाओं को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कृषि कार्मिकों सहित तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति के लिए रोजगार अवसर मुहैया करेंगी यद्यपि ये योजनायें मुख्यतः अकुशल श्रमिकों, छोटे कृषकों आदि के लिए बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इन पर लगी लागत से हुए परोक्ष लाभ से रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सकती है जिन में कृषि कार्मिक भी सम्मिलित होंगे।

भारत सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करने के लिए वार्षिक 25 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना तैयार करने का विचार कर रही है। जब इस योजना को अन्तिम रूप देकर कार्यान्वित किया जायेगा तो इससे कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों को भी लाभ होने की आशा है।

काकोरी शहीद शिक्षा संस्थान चिद्दपुरी शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा आवंटित निधि का कथित दुरुपयोग

* 7012. **श्री जितेन्द्रप्रसाद** : क्या **कृषि** मन्त्री "भूख सेमुक्ति" अभियान के अधीन स्विट-जरलैंडसे प्राप्त सहायता से सम्बन्धित 15 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारोरी शहीद शिक्षा संस्था, चिद्दपुरी, शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश को दिये गये "भूख से मुक्ति" अभियान के अन्तर्गत दिये गये 80,000 रुपये के दुरुपयोग का पता है ;

(ख) क्या उक्त संस्था द्वारा 12 जनवरी 1970 को भेजी गई रिपोर्ट असत्य तथा बनावटी थी ;

(ग) यदि हाँ, तो मन्त्रालय धन वापस लेने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को धन के दुरुपयोग के लिए दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) उस संस्था की विशेष कार्यक्रम समिति की कितनी बैठकें हुई तथा उनमें किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) 12 जनवरी, 1970 को काकोरी शहीद शिक्षा संस्था चिद्दपुरी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा भेजी गई रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी, कलां खण्ड, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुई थी और इस रिपोर्ट या अग्रेषण पत्र से उसके असत्य तथा बनावटी होने का संदेह होता है।

(ग) और (घ) : भूख से मुक्ति अभियान को निदेश दिया जा रहा है कि वह संस्था द्वारा अब तक प्राप्त धन की उपयोगिता के बारे में और संस्था की बैठकों आदि के कोटे के सम्बन्ध में एक विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त से प्राप्त करें। तब तक योजना के लिए स्वीकृत किये धन की निमुक्ति को रोक दिया गया है।

तराई विकास निगम के निदेशक मण्डल के सदस्यों के स्वामित्व में भूमि

7013. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री 8 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्य 4240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तराई विकास निगम के निदेशक मण्डल के स्वामित्व में कितनी भूमि है और वे उत्तर प्रदेश में वर्तमान अधिकतम भूमि सीमा से कैसे बच सके हैं ;

(ख) क्या तराई विकास निगम के अंशों का मूल्य इतना अधिक है कि छोटे किसान उन्हें खरीद कर उनसे लाभ नहीं उठा सकते ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस असमान्ता को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

शाहजहांनपुर, उत्तर प्रदेश, में कृषि सेवा केन्द्र

7014. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिये आवंटित कृषि सेवा केन्द्रों की सूची में शाहजहांनपुर जिला सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अभी तक कोई ऐसी सूची तैयार नहीं की गई है । राजकीय कृषि उद्योग निगमों । राज्य सरकारों की सहायता से बेरोजगार इन्जीनियर कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित कर रहे है और केन्द्रों के स्थान के बारे में वही निर्णय करेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

आर० एस०-09 दोषयुक्त ट्रैक्टरों को वापस करना

7015. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र सरकार आर० एस०-09 के उन सभी ट्रैक्टरों को वापस लेने के लिये सहमत हो गई है जिनके कार्य के बारे में शिकायत की गई है ;

(ख) वहां से कुल कितने ट्रैक्टर आयात किये गये ;

(ग) कितने वापस किये गये हैं और कितने वापस किये जाने हैं ; और

(घ) कुल कितनी लागत अब तक वापस मिल गई है अथवा वापस मिलनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पूर्वी जर्मनी के स्मरणकर्त्ताओं ने 21 फरवरी, 1971 को भारतीय राज्य व्यापार निगम के साथ हस्ताक्षर किये

गये समाचार में विनिर्दिष्ट शर्तों पर अब तक केवल आशोधित आर० एस०-09 को वापिस करना स्वीकार कर लिया है। नयाचार की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ख) 1,998।

(ग) और (घ) : गुजरात में वापिस किये जाने वाले आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का निरीक्षण पहले ही किया गया है। राज्य कृषि उद्योग निगम ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने वापिस किये जाने वाले 84 आशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की लागत को पूरा करने के लिये पूर्वी जर्मनी के प्राधिकारियों से 7.50 लाख रुपये पहले ही प्राप्त कर लिये हैं।

राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम ने भी सूचित किया है कि 21 फरवरी, 1971 तक 52, आर० एस०-09 ट्रैक्टर आशोधित किये गये हैं। लेकिन, केवल 24 किसानों ने अपने ट्रैक्टर वापिस करने का प्रस्ताव किया है। इन ट्रैक्टरों का पहले ही निरीक्षण किया गया है और ये पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ताओं के प्रतिनिधियों को वापिस किये जा रहे हैं। किसानों को शीघ्र ही धन-राशि वापिस किये जाने की सम्भावना है। पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने निगम को वापिस किये गये ट्रैक्टरों की लागत के लिये 84,461.78 रुपये का एक अग्रिम चैक भेज दिया है और निगम से औपचारिक बिल प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही शेष धन-राशि अदा करने का भी आश्वासन दिया है।

पंजाब कृषि-उद्योग निगम ने पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिये 171 आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का प्रस्ताव भेजा है। उनमें से उन्होंने 157 ट्रैक्टरों का पहले ही निरीक्षण कर दिया है। अब तक 67 ट्रैक्टरों को वापिस करने के लिये निगम तथा प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक करार किये गये हैं।

पंजाब में भूमि का कटाव

7016. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में वन भूमि के अतिरिक्त खेती योग्य भूमि तथा कृषि योग्य बंजर भूमि के एक बड़े भू-भाग में भू-कटाव होने का खतरा है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितने एकड़ भूमि में यह खतरा विद्यमान है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : पंजाब राज्य में लगभग 20 लाख एकड़ क्षेत्र को भू-क्षरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काश्त योग्य, कृषि धरती और वन की कितनी कितनी भूमि में भू-क्षरण हो रहा है इस बारे में अलग अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) कंटूर बान्धों, सीढ़ीदार खेतों, मोड़ नालियों, रक्षात्मक डेमों, ड्रौप स्ट्रकचरों और गली पलगिंग आदि भूदा संरक्षण उपाय किये जा रहे हैं। चौथी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अधीन 15,000 एकड़ में कार्य होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में 1·15 लाख एकड़ क्षेत्र में भूमि विकास और जल उपयोग सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

पंजाब के ग्राम सेवकों तथा सेविकाओं के संघ की ओर से अभ्यावेदन

7017. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में पंजाब राज्य के ग्राम सेवकों तथा सेविकाओं के संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ;

(ग) क्या मांगों को मानने के बारे में पंजाब के विकास मन्त्री ने संघ को कोई आश्वासन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए पंजाब सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि 1971 में उस समय के राज्य के विकास मंत्री ने संघ को कोई आश्वासन दिया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में छूत सोसाहा दूरियन सरैन सम्पर्क सड़क पर मिट्टी का कार्य

7018. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम सहकारिता सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छूत सौसाहा दूरियन सरैन सम्पर्क सड़क पर मिट्टी के कार्य के लिये पंचायत समिति मुंगा और मार्किट कमैटी होशियारपुर (पंजाब) द्वारा कराये गये 42,000 रुपयों में से 31 मार्च, 1971 तक कितने रुपये व्यय किये गये ;

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के प्रत्येक वर्ष में सड़क पर किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1971-72 में क्या कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस 3·5 मील लम्बी सड़क पर कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में अभाव की स्थिति

7019. **महाराजा मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में प्रत्येक तीसरे/चौथे वर्ष अनाज की कमी हो जाती है जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी बंगाल से आसाम में आये शरणार्थी

7020. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1970 के अन्त तक पूर्वी बंगाल से आसाम में आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि में शरणार्थियों के पुनर्वास पर सरकार ने कितना धन व्यय किया है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने शरणार्थी पूर्वी बंगाल वापस गये ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दिसम्बर, 1970 के अन्त तक 7,05, 350 शरणार्थी आसाम में आए थे ।

(ख) और (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बंगला देश के गैर-रजिस्टर शरणार्थी

7021. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंकड़ों गैर-रजिस्टर शरणार्थी विभिन्न कस्बों और आसाम के भीतरी क्षेत्रों में भी चले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आसाम के मुख्य मन्त्री की अपील के बावजूद इन शरणार्थियों ने अपने नाम रजिस्टर नहीं कराये जिससे स्थानीय युवकों में तनाव उत्पन्न हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इनके नाम रजिस्टर करने तथा इनको शिविरों में रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : जी, हां ।

(ग) आसाम सरकार ने सारी पूलिस चौकियों को गैर-रजिस्टर शरणार्थियों की खोज करने और पता लगाने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं और उन्हें विदेश अधिनियम, 1946 की धारा 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार रजिस्टर करने के लिए कहा गया है ।

विदेशी सहयोग से मत्स्यपालन तथा मछली विकास परियोजना

7022. **श्री रौबिन ककौटी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में राज्य-वार विदेशी सहयोग तथा अनुदान से मत्स्यपालन तथा मछली विकास की कितनी परियोजनाएं बनाई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1970 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में विदेशी सहयोग तथा अनुदान से 9 मीन पालन तथा मीन विकास परियोजनायें स्थापित की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

केरल में स्थापित

1. भारत नार्वे-परियोजना

इस परियोजना की स्थापना 17 अक्तूबर, 1952 को भारत सरकार, नार्वे सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य एक त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत की गई थी। इस परियोजना के पास संसाधनों तथा मछलियों के सर्वेक्षण के लिए विभिन्न आकार के जहाज, आदर्श कर्मशाला तथा स्लिपवे, और बर्फ संयंत्र, प्रशीतन संयंत्र तथा हिमीकरण भण्डार हैं। इसने तटीय मीन उद्योग के यंत्रीकरण के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्मिकों को नौ परिवहन, मीनहरण, परिसंस्करण तथा प्रशीतन के कार्य में प्रशिक्षित किया जाता है। नवीनतम पूरक करार पर 1967 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह मार्च, 1972 के अन्त तक प्रभावी रहेगा।

2. पश्चिमी घाट पर स्थित पिलैगिक मीन परियोजना

दक्षिणी-पश्चिमी घाट पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त एक पिलैगिक मीन-उद्योग परियोजना के विषय में अक्तूबर, 1970 में कार्य प्रारम्भ हुआ था। इसका मुख्यालय कोचीन में है। परियोजना का उद्देश्य दक्षिण-पश्चिमी घाट पर सैरडाइन तथा मैकरील के विकास में सहायता देने के लिये संसाधनों का सर्वेक्षण करना है।

तमिलनाडु में स्थापित

3. भार -बलगेरियन परियोजना, मुट्टम

यह परियोजना जून, 1968 में बेलजियन की भूख से मुक्ति अभियान समिति की सहायता से प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना का प्रथम चरण 31 दिसम्बर 1970 को पूर्ण हो गया था। इस परियोजना के अधीन, कैटमरैनों के यंत्रीकरण के लिये बेलजियन की भूख से मुक्ति अभियान समिति द्वारा मछुओं को 92 आउट बोर्ड इंजनों की आपूर्ति की गई है। परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. भारत नार्वे परियोजना

तमिलनाडु में मंडकेम नामक स्थान पर भारत-नार्वे परियोजना के एक एक की स्थापना की गई है।

महाराष्ट्र में स्थापित

5. केन्द्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान

भारत सरकार द्वारा इस संस्थान की स्थापना मीन उद्योग शिक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ कार्मिकों को उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जुलाई, 1961 में की गई थी। सन् 1962 में तय हुये एक करार के अन्तर्गत इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से विस्तार किया गया है।

मैसूर में स्थापित

6. मीन उद्योग बन्दरगाहों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण

मीनहरण बन्दरगाहों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रय की सहायता से 1967 में स्थापित की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य मीनहरण बन्दरगाहों के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने तथा कम से कम 11 बन्दरगाहों के निर्माण प्लानों को तैयार करने और सहायक सुविधाओं के आर्थिक तथा तकनीकी अध्ययनों के संचालन में भारत सरकार की सहायता करना है।

7. समुद्रीय उत्पाद परिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र मंगलौर :

जापान सरकार के सहयोग से 1963 में मंगलौर में एक समुद्रीय परिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी। इसके प्रशीतन, डिब्बाबन्दी, हम तथा सोसेज और इन्जीनियरी नाग के 4 अनुभाग हैं। प्रयोगशालायें पूर्णतः आधुनिक तथा उपयुक्त उपकरणों उपस्करों से सुसज्जित हैं। केन्द्र में समुद्रीय उत्पादों, विशेषकर मछली के परिसंस्करण में एक वर्ष के पाठ्य-क्रम की व्यस्था है। उपरोक्त चारों ही विषयों में प्रशिक्षण किया जाता है। अब केन्द्र का प्रशास-निक नियंत्रण कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के अधीन है।

8. भारत-नाव परियोजना :

भारत नार्वे परियोजना का एक एक्क कारवार, मैसूर में स्थापित किया गया है।

नागालैंड, गोवा, अन्दमान, लक्षाद्वीप, नेफा तथा दादरा और नगर हवेली के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्यों में स्थापित

8. व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम :

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम खाद्य कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ की सहायता से राष्ट्रीय आधार पर 1963 से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्रमशः व्यावहारिक पोषण तथा सम्बन्धित विषयों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के समन्वित तथा बृहत राष्ट्रीय कार्यक्रम का विकास करना था, जिससे कि संरक्षी खाद्यों के उत्पादन, कार्यक्रम परिरक्षण तथा प्रयोग और उनके सुनिश्चित प्रभावी उपयोग द्वारा स्थानीय भोजन में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्र सेवा की स्थापना की जा सके। मीन उद्योग विकास इस का एक मुख्य अंग है। इसके अन्तर्गत अन्तर्देशस्थ तथा समुद्रीय दोनों ही प्रकार के मीन उद्योगों का विकास आता है। क्रिया क्लापों की योजना के अन्तर्गत यूनिसेफ कार्य के विकास के लिए

उपकरणों की कई मदों की आपूर्ति करता है। अब तक (31-3-70) अन्तर्देशस्थ मीन उद्योग विकास कार्यक्रम512 सामुदायिक विकास ब्लाकों में ही चालू किया गया है। समुद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत यह कार्यक्रम केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रारम्भ किया गया है।

मतस्य पालन तथा मछली विकास के लिये आसाम को केन्द्रीय सहायता

7023. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के बीच के वर्षों में मत्स्य पालन तथा मछली विकास के लिए आसाम सरकार को अनुदान तथा ऋण के रूप में कितनी धन राशि दी गई; और

(ख) आसाम में इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और प्रति वर्ष मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) असम सरकार को मत्स्य के लिए निर्युक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

योजनावधि	केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)			टिप्पणी
	अनुदान	ऋण	योग	
1961-62	5·97	2·57	8·54	अन्तिम अदायगियां। इस सहायता में पशुपालन और डेरी उद्योग सम्बन्धी योजनायें शामिल हैं। मत्स्य के सम्बन्ध में अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं है।
1963-64	0·46	0·17	0·63	अन्तिम अदायगी।
1964-65	0·61	0·86	1·47	,, ,,
1965-66	0·50	0·25	0·75	अस्थायी अदायगी
1966-67	1·18	0·63	1·81	,, ,,
1967-68	1·75	2·62	4·37	,, ,,
1968-69	1·60	2·40	4·00	,, ,,

(ख) प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य संसाधनों के उपयोग तथा विभाग को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया था। असम में मत्स्य विभाग

की गतिविधियां मत्स्य बीज तकनीकी मार्गदर्शन और ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करके मुख्यता मत्स्य पालन को लोक प्रिय बनाने में केन्द्रित रहीं । तीसरी योजना तथा उसके बाद की वार्षिक योजनाओं के दौरान प्राकृतिक मत्स्य पालन के विकास और पिछली योजनाओं के कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त मत्स्य प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए मछुआ सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में विकास की गतिविधियां और तेज की गई । राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार असम में मत्स्य उत्पादन के आँकड़े निम्न प्रकार है :

वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मीटरी टन)
1962	18,043
1963	18,043
1964	6,709
1965	31,050
1966	16,000
1967	23,861
1968	24,560
1969	27,000
1970	26,000

अग्निगुंडाला खनिज पट्टी आन्ध्र प्रदेश, के कार्य में प्रगति

7024. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अग्निगुंडाला खनिज पट्टी आन्ध्र प्रदेश के सारे निक्षेपों केकार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा उनकी सम्भावनायें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अग्निगुण्डाला ताम्र सीसा प्रायोजनों :

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों ने आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में सीसा और ताम्र खनिजीकरण के निम्नलिखित तीन क्षेत्रों को उपदर्शित किया है :

1-बण्डला पोट्टू (सीसा और ताम्र)

2- नल्लाकोण्डा (ताम्र)

3-धुकोण्डा (ताम्र और सीसा)

2-बण्डलापोट्टू :

बण्डाला मोट्ठू खण्ड अनुदैर्ध्य दिशा में लगभग 2000 मीटर है और सम्मुख दिशा में लगभग 1800 मीटर भीतर है जिससे लगभग 3·6 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र आता है । वर्तमान उपलब्ध भू-आँकड़ों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस निक्षेप में 6·5 प्रतिशत

औसतन सीसा के साथ लगभग 100 लाख टन सीसा अयस्क और 1·03 प्रतिशत ताम्र के साथ 10·2 लाख टन ताम्र अयस्क होगा ।

मई 1970 में, सीसा अयस्क के विकास और समुपयोजन के लिए वण्डलामोट्टू में समन्वेषी खनन के लिए परियोजना ग्रहण करने के लिए सरकार ने 35 लाख रु० की राशि की मन्जूरी दी समन्वेषी खनन परियोजना का उद्देश्य शिलाओं का विस्तृत रूप रेखा बताना है। इसे सिद्ध करने की संक्रिया के अन्तिम चरण में, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि औसतन 6·5 प्रतिशत सीसांश के साथ प्रतिदिन 500 टन अयस्क के उत्पादन के लिए खान का विकास किया जाये । तत्पश्चात् (द्वितीय प्रावस्था में) विकास के प्रथम प्रावस्था के सिद्ध करने वाली संक्रियाओं के परिणामों और हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के परामर्श से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस समय किये जा रहे आगे के गहन व्यधनों द्वारा अभिप्राप्त होने वाले संकेतों के प्राप्त होने पर यह प्रस्तावित किया गया है कि क्षेत्र में अयस्क की उपलब्ध राशियों की मात्रा से संगत अनुकूलतम प्रकार की खान (और अनुषंगी प्रसुविधायें) को खोला जाए । यह अनुमानित किया गया है कि यह प्रायोजना अन्ततः 40,000 टन प्रति टन की क्षमता वाले सीसा प्रद्रावक को सम्पोषित करेगी ।

इस समय समन्वेषी खनन परियोजना में कार्य प्रगति पर है । परियोजना में 2 प्रवेश और झुकाव का अनुखनन तथा पाद-भित्ति का अनुखनन और उत्यापन और विन्ज संयोजन परिकल्पित है है । 30-6-1971 को कार्य के विभिन्न मदों पर प्राप्त की गई प्रगति निम्न प्रकार से है :

(1) **प्रवेश मार्ग संख्या** । (215 एम० आर० एल०)

550 मीटर के कुल अनुखनन की तुलना में प्राप्त की गई प्रगति 257 मीटर है ।

(2) **प्रवेश मार्ग सं०** 2 (260 एम० आर० एल०)

इस प्रवेश मार्ग की प्रगति 240 मीटर के कुल कार्य की तुलना में 220 मीटर है ।

(3) **झुकाव सं०** : 500 मीटर के कुल अनुखनन की तुलना में कुल प्रगति 57 मीटर है ।

इसके अतिरिक्त, प्रवेश मार्ग सं० 3 का कार्य भी, जो झुकाव का दूसरा निगर्म-मार्ग होगा, चालू कर दिया है ।

100 टन प्रायोगिक मिल : सरकार ने समन्वेषी खनन के प्रक्रम में उपलब्ध होने वाले सीसा अयस्क को व्यवहारित करने के लिए 100 टन की क्षमता वाले प्रायोगिक मिल और परिष्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 40 लाख रूपये की मन्जूरी दी है । संयंत्र पूर्णतः उत्पादन अवस्था तक पहुंचने के लिये बृहत्तर संयंत्री की निर्माण रचना के लिए भी आधार सामग्री उपलब्ध करेगा । संयंत्र के सन्निर्माण के लिए शीघ्र ही संविदा दी जायेगी ।

समय सारिणी : आशा कि जाती है कि 1972 के अन्तिम चरण से प्रतिदिन 100 टन सीसा अयस्क और जुलाई, 1974 से प्रतिदिन 500 टन अयस्क का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

2-**नल्लाकोण्डा** : नल्लाकौण्डा खण्ड अनुदैर्ध्य दिशा में लगभग 3100 मीटर और सम्मुख

दिशा में लगभग 1300 मीटर है जिसमें लगभग 4·03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इस समय उपलब्ध भू आंकड़ों के आधार पर, अनुमान लगाया गया है कि नल्लकौण्डा खण्ड में 1·48 प्रतिशत सी० यू० का 49·10 लाख टन ताम्र अयस्क होगा।

अगस्त, 1970 में, इस निक्षेप से प्रतिदिन 500 टन ताम्र अयस्क के उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करने हेतु विस्तृत समन्वेषी खनन और पूर्वेक्षण कार्य को ग्रहण करने के लिए सरकार ने अगस्त, 1970 में 35 लाख रुपये की राशि की मन्जूरी दी। इस प्रायोजना का कार्य इस समय प्रगति पर है। इस प्रायोजन में किए जाने वाले कार्य के मद में प्रमुख कूपक (200 मीटर की दूरी तक) और अनुषंगी कूपक (110 मीटर की दूरी तक) का डुबाव है।

जून, 1971 के अन्तिम चरण तक कार्य की प्रगति निम्न प्रकार से है :

प्रमुख कूपक	16 मीटर
अनुषंगी कूपक	25 मीटर

3-धुकौण्डा : धुकौण्डा खण्ड अनुदैर्घ्य दिशा में लगभग 2000 मीटर और सम्मुख दिशा में। 2000 मीटर है जिसमें लगभग 2·4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। उपलब्ध भू आँकड़ों के आधार पर, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस निक्षेप में 8·93 प्रतिशत सीसांश के साथ के 4·6 लाख टन सीसा अयस्क और 1·51 प्रतिशत सी० यू० के साथ 21·54 लाख टन ताम्र अयस्क होगा। यह निक्षेप नल्लाकोण्डा के निकटस्थ है, यह प्रस्तावित किया गया है कि इसके विकास को नल्लाकोण्डा खण्ड के विकास के साथ किया जाए। इस प्रायोजना के लिए परियोजना तैयार की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में पुलीवेण्डला पट्टी में एस्वेस्टास के लिए ड्रिलिंग

7025. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कड़पा जिले की पुलीवेन्डला पट्टी में एस्वेस्टास के लिए ड्रिलिंग की गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और इसके क्या परिणाम निकले थे ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश के कुड्डाप्पा जिले के पुलिवेन्डला पट्टी में एस्वेस्टास के लिए विस्तृत व्यधन किया है।

(ख) पुलिवैन्डला पट्टी में सर्वप्रथम व्यधन संक्रियाएं 1942 के आस-पास की गई थी और एस्वेस्टॉस की लगभग 2·5 लाख टन उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की गई थी। 1961 से उपरान्त की गई व्यधन संक्रियाओं से 14,400 टन की संकेतित उपलब्ध राशियों का पता चला है।

आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टास के उत्पादन के बारे में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुसंधान कार्य

7026. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय खान ब्यूरो (इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स) ने आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के पुल्लीवेन्डला ताल्लुक से एस्बेस्टास के अधिकतम उत्पादन के लिए खड्डों का आकार निर्धारित करने के बारे में अनुसंधान कार्य हाथ में लिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) **और** (ख) : भारतीय खान ब्यूरो ने 1967 में पुलिवेन्डला एस्बेस्टास पट्टी का खानन भूवैज्ञानिक अध्ययन किया न कि पिछले वर्ष के दौरान । इस अध्ययन की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों में से निखन्नों के नाप व आकार से सम्बन्धित एक सिफारिश यह थी कि 1·8 मी० की निकर्षण ऊंचाई के लिए अधिक अयस्क वाले क्षेत्रों को 18 मी० × 18 मी० नाप के केन्द्र से केन्द्र के लघु स्तम्भों के विकास पर विचार किया जाए । निखनन मुखों को अयस्क-स्थल की विस्तारण रेखा पर समकोण बनाते हुए इन स्तम्भों की गहराई की तरफ से विकर्णतः निष्कर्षित करना चाहिए जिससे कि अधिकतम कमजोर प्रभाग पर निखनन-मुखों को लम्बतः रखते हुए खान-पार्श्व को अधिकाधिक नियमित किया जा सके ।" 1970-71 वर्ष के दौरान सम्पूर्णतया खनन संक्रियाओं का अनुवर्त्ती अध्ययन किया गया और निम्नलिखित तीन खानें सम्मिलित की गईं :-

1. मैसर्स आन्ध्र प्रदेश खनन निगम की ब्राह्मणपाली एस्बेस्टॉस खानें

2. मैसर्स कृष्णाप्पा एसबेस्टॉस और बेराइट्स (प्रा०) लिमिटेड की कालीमनीगुट्टा खान ।

3. मैसर्स कृष्णाप्पा एस्बेस्टॉस और बेराइट्स (प्रा०) लिमिटेड की रेड्डी एसबेस्टॉस खान ।

सिधी जिले (मध्य प्रदेश) में कोयले पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना

7027. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिधी जिले में कोयले पर आधारित सहायक उद्योग स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

7028. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बम्बई के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य निधि के वायदेदारों की संख्या कितनी है तथा बम्बई क्षेत्री में कितनी राशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि क व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) एक बेनाम पत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के विरूद्ध कुछ अभियोग लगाए गए हैं ।

(ख) प्रारंभिक जांचों से पता चलता है कि अभियोगों के समर्थन के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दिसम्बर, 1970 के अन्त में, महाराष्ट्र के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि (प्रशासनिक प्रभारों/दण्डात्मक हर्जानों को छोड़कर) 549.55 लाख रुपये थीं । छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या जिन्हें 31-12-1970 को भविष्य निधि की एक लाख और अधिक रुपये की राशियां अर्थात् पिछली बकाया राशियां, नियोजकों और कर्मचारियों के हिस्से, प्रशासनिक प्रभारों और हर्जाने) अदा करनी बाकी थीं, 27 थी ।

केला विकास निगम की स्थापना

7029. **श्री सोमचन्द सोलंकी** :
श्री श्याम नन्दन मिश्र :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केला विकास निगम बनाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम कब से काम आरम्भ करेगा ; और

(ग) जहां केले की पैदावार होती है तथा जो स्थान इसकी पैदावार के लिये उपयुक्त है वहां केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की अंश पूंजी कितनी कितनी होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार एक केला विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसकी शेयर पूंजी में भारत सरकार का योगदान 40 लाख रुपये तथा राज्य सरकारों का योगदान 10 लाख रुपये होगा।

पश्चिम बंगाल में सरकारी सम्पदा पुस्तिका नियमों के अन्तर्गत गवर्नमेंट खास लैण्ड के बारे में समझौता

7030. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के कूच बिहार टाउन में "कदमतला" नामक क्षेत्र में बहुत वर्षों से रवि कांत शाह और बादल चन्द्र गुहा राय के अधिकार में रहे भूमि के एक प्लाट का लाइसेंस सरकारी सम्पदा पुस्तिका के नियमों तथा उक्त कब्जाधारी के हितों के विरुद्ध 'अज्ञात क्लब' को दे दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त सरकारी सम्पदा पुस्तिका में कोई ऐसी व्यवस्था अथवा नियम नहीं है कि नगरीय क्षेत्र में किसी गवर्नमेंट खास लैंड का किसी क्लब अथवा इसी प्रकार के कार्यों के लिए लाइसेंस दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्लाट का उक्त 'अज्ञात क्लब' को किन नियमों अथवा कानून के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में कदमतला में गवर्नमेंट खास लैण्ड का गिराया जाना

7031. **श्री बी० के० दास चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :**

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान मार्च, 1968 में कूच बिहार के तत्कालीन एडीशनल डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त आदेशों के अनुसार तत्कालीन एस० एल० आर० ओ० तथा जे० एन० आर० ओ० ने मिल कर कूच बिहार के 'अज्ञात क्लब' के सदस्यों ने कूच बिहार जिले के कदमतला में गवर्नमेंट खास लैंड को गिरा दिया था जो 1951 से रति कांत शाह और बादल चन्द्र गुहाराय के कब्जे में थी ;

(ख) क्या तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर द्वारा यह आदेश अथवा कथित आदेश दिये जाने से पूर्व सरकारी सम्पदा पुस्तिका अथवा सार्वजनिक भूमि बेदखली (अनधिकृत) कब्जा अधिनियम की शर्तों के अनुसार कब्जाधारी को नोटिस दिया गया था और यदि हां, तो उस नोटिस तथा उसके लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार के अवैध आदेश अथवा निदेश दिये जाने के लिये कूच बिहार के एडीशनल डिप्टी कमिश्नर के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Census of Agricultural Holdings

7032. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to st te whether more than one lakh village officers will shortly start collecting figures throughout the country in regard to agricultural holdings ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Yes, Sir.

श्रमिक विवादों का न्याय-निर्णय

7033. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है जिनमें श्रमिक विवादों को न्याय निर्णय के लिए न्यायधिकरणों को इस कारण सौंपने की अनुमति नहीं है कि प्रबन्ध अधिकारी न्याय-निर्णय के लिए सहमत नहीं होते हैं क्योंकि समझौते अधिकारी उसका पक्ष ले रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं: और

(ग) ऐसे मामलों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पश्चिम बगाल को धन सम्बन्धी सहायता

7034. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये धन सम्बन्धी सहायता मांगी है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सहायता किन योजनाओं के बारे में दी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) से (ग)** : पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप आशा है काफी बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर उपलब्ध होंगे ।

पश्चिम बंगाल में रोजगार क्षमता में वृद्धि

7035. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के युवकों को निम्नलिखित स्थानों पर भर्ती करके रोजगार की क्षमता में वृद्धि की गई है ;

(1) शरणार्थी राहत शिविर,

(2) शरणार्थियों के लिये बढ़ाये गये खाद्य तथा राशनिंग विभाग,

(3) नागरिक सुरक्षा संगठन (पश्चिम बंगाल)

(4) प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा दल और

(5) राज्य में भूमि सुधार अधिनियम की क्रियान्विति ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये बंगाली युवकों की भर्ती के लिये सरकार ने कोई स्वीकृत योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त कार्यों के लिये नई रोजगार क्षमता का क्या अनुमान है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि के दावों के निपटान में कथित भ्रष्टाचार

7036. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक प्रेस इन्टरव्यु में यह स्वीकार किया था कि सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर विशेष कर दिल्ली की लेखा शाखा में दावों के अन्तिम निपटान, अग्रिम राशि तथा ऋण की अदायगी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय आयुक्त ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु में खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क

7037. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कारखानों से वसूली की चीनी के बाजार में आ जाने के बाद महाराष्ट्र के कारखानों ने वर्ष 1969-70 अपने उत्पादन के 30 प्रतिशत भाग की खुली बिक्री की चीनी पर 37-1/2 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क की अदायगी की थी ;

(ख) क्या यह सुविधा तमिलनाडु के कारखानों को नहीं दी गई थी और उन्हें केवल 30 प्रतिशत चीनी को खुली बिक्री की चीनी तथा शेष को वसूली की चीनी मानने की सरकार की घोषित नीति के विपरीत अपने 30 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क देना पड़ा;

(ग) तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के बीच ऐसे भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कारखानों से वसूल किये अधिक उत्पादन शुल्क को लौटाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : वर्ष 1969-70 के दौरान पहली मार्च, 1970 से पूर्व खुले बाजार में बिकने वाली और लेवी चीनी पर मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क की दर 23 प्रतिशत थी लेकिन पहली मार्च, 1970 से इसे बढ़ाकर लेवी-चीनी पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर 37·5 प्रतिशत कर दिया गया था। वर्ष 1969-70 (पहली अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक) के दौरान महाराष्ट्र और तमिल नाडु में चीनी कारखानों को वर्ष 1969-70 के उत्पादन के अनुपात में खुली बिक्री के लिए की गई चीनी की नियुक्ति की प्रतिशतता समान थी। तथापि, ऊंची लागत वाले जोनों में (तमिल नाडु सहित) चीनी कारखानों से लेवी-चीनी के आबंटित कोटों की थोड़ी चीनी उठाने के कारण और उनके पास चीनी का स्टाक एकत्रित हो जाने के फलस्वरूप अधिक स्टाक वाली फैक्ट्रियों से चीनी की अधिकतर मात्राएं निर्मुक्त की गई थी ताकि उनके पास स्टाक की असमानता कम की जा सके।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

खुम्भी की खेती

7038. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग के अधीन अथवा गैर-सरकार क्षेत्र में खुम्भी की खेती भारत में किन स्थानों पर होती है ;

(ख) पिछले वर्षों में खुम्भी का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) क्या आधुनिक तरीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) खुम्भी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तामिल नाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ क्षेत्र दिल्ली में, पैदा की जाती है।

(ख) मोटे अनुमान निम्न प्रकार हैं :-

	1969-70	1970-71
(1) गुच्छी	21,000 किलो	13,200 किलो
(2) सफेद खुम्भी वर्गीय	उपलब्ध नहीं	25,000 किलो

पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां । खुम्भी अनुसन्धान संस्थान, सोलन द्वारा विकसित की हुई उत्पादन बढ़ाने की तकनीक को अन्य खुम्भी उगाने वाले राज्यों में भी लागू किया जा रहा है ।

मैसर्स रायल टिम्बर कारपोरेशन, डाकघर झरिया, धनबाद द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के रिकार्ड प्रस्तुत न किया जाना

7039. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रायल टिम्बर कारपोरेशन, डाकघर झरिया धनबाद के विरुद्ध, उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रिकार्ड प्रस्तुत न किए जाने के कारण मुकदमा चलाया गया था परन्तु बाद में मुकदमे को वापस ले लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मुकदमे को वापस लेने के कारण क्या थे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :-

(क) और (ख) : भविष्य निधि निरीक्षक के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण मैसर्स रायल टिम्बर कार्पोरेशन, डाक-घर झरिया, धनबाद के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया था, परन्तु बाद में अभियोजन वापस ले लिया गया क्योंकि प्रबन्धकों ने बाद में अभिलेख प्रस्तुत कर दिये जिनके निरीक्षण से पता चला कि अधिनियम उस समय उक्त प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होता था ।

राज्यों में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए अार्थिक निधि की मांग

7040. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक निधि की मांग की है तथा ग्रामीण रोजगार के लिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित 50 करोड़ रुपये के द्रुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :(क) और (ख) : ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत धन राशि का नियतन 12·50 लाख रु० प्रति जिले की दर से किया जाता है। कुछ राज्य सरकार ने निवेदन किया था कि धनराशि का नियतन जिले में खण्डों की संख्या के अनुसार अथवा जिलों की ग्रामीण आबादी के अनुपात में किया जाना चाहिए। किन्तु किसी भी राज्य ने नियतन की अपर्याप्तता की वजह से इस योजना को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की। राज्य सरकारों के निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और सात राज्यों के नियतन में वृद्धि करने का निर्णय किया गया। वे हैं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

उर्वरक के प्रयोग के बारे में कृषक संसदीय फोरम

7041. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्य में उपयोग किये जाने वाले उर्वरक तथा अन्य रासायनिक खाद आदि की प्रगति में कृषक संसदीय फोरम ने कोई योगदान दिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार को फोरम की ओर से क्या ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) क्या अभ्यावेदन की प्रतियों को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : कृषकों के संसदीय फोरम के क्रिया-कलापों तथा गत 3 वर्षों की अवधि में इसके द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन, प्रतिवेदन आदि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि फोरम ने कृषि उर्वरकों तथा कृषि में अन्य रासायनिक आदानों के उपयोग को बढ़ाने के लिये क्या योगदान दिया है।

सिक्किम में तांबा निकालने वाले कारखाने की स्थापना

7042. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम की सीमा पर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में ताम्बे के भारी निक्षेप हैं तथा ताम्बे के इन निक्षेपों को निकालने के विचार से भारत सरकार ने सिक्किम सरकार के सहयोग से सिक्किम में ताम्बा निकालने के कारखाने की स्थापन की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दार्जिलिंग जिले की सीमा पर सिक्किम के रंगपों क्षेत्र में जस्ता और सीसा के साथ ताम्र के लघु निक्षेप अवस्थापित किए गए थे। निक्षेप के समुपयोजनार्थ, 1960 में भारत और सिक्किम सरकारों के संयुक्त उपक्रम 'सिक्किम खनन निगम' की स्थापना की गई।

निगम ताम्र, सीसा और जस्ता संकेन्द्रकों का उत्पादन करता रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान उत्पादन निम्नलिखित रूप से रहा :-

	मात्रा टनों में	
	1969-70	1970-71
1. ताम्र संकेन्द्रक	443	348
2. सीसा संकेन्द्रक	92	116
3. जस्ता संकेन्द्रक	220	274

निक्षेप के बहुत ही सीमित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निगम ने धातु उत्पादन को प्रस्तावित नहीं किया है।

दार्जिलिंग जिले में तथा समीपस्थ स्थानों पर ताम्बे और जिंक के निक्षेपों के बारे में भूगर्भीय सर्वेक्षण

7043. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग जिले तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में ताम्बे और जिंक के निक्षेपों वाले स्थानों का पता लगाने के लिये कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त भूगर्भीय सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आधारधातु अयस्क निक्षेपों के लिए दार्जिलिंग जिले और निकटस्थ क्षेत्रों में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, दार्जिलिंग पहाड़ियों के लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में दालिंग चू के समीप आधारधातु खनिजीकरण अवस्थापित हुए हैं। सोम्बारी हाट, कालिमपोंग, कुमाई, महांदी, मंगःपू, मंगवा, पंकावारी, पांशोक, रानीहट, रेउंग, संपधार, यनमाकुंग, योंगी पहाड़ी के आसपास आधारधातु के अनेक आर्थिकेतर प्राप्तिस्थलों की सूचना मिली है।

(ग) 1971-72 के दौरान दालिंग चू के समीप कार्य जारी रहेगा। चूंकि अन्वेषण प्रारम्भिक प्रावस्थाओं में है, अतः कार्य में आगे की प्रगति प्राप्त हुए परिणामों पर निर्भर रहेगी।

सम्भलपुर, उड़ीसा में जामैनकिरा ब्लाक में मिट्टी सम्बन्धी कार्य (अर्थ वर्क) के लिये धन का आबंटन

7044. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना के अन्तर्गत मिट्टी सम्बन्धी

कार्य (अर्थ वर्क) के लिए सम्भलपुर जिले के जामैनकिरा ब्लाक के लिए एक लाख रुपये दिये है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु, धन के प्रयोग में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार से सम्बलपुर जिले के बारे में प्रस्ताव 13 जुलाई, 1971 को प्राप्त हुए थे और उनकी जाँच की जा रही है। जामेनकिरा खण्ड के बारे में प्रस्तावों की लागत 1,12,500 रु० है। ये प्रस्ताव तालाबों की मरम्मत और लघु सिंचाई परियोजनाओं (काटा) और ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति सड़कों के बारे में हैं। आशा है कि स्वीकृत निर्माण कार्य वर्षा के तुरन्त बाद आरम्भ कर दिए जाएंगे।

नेफा में वन्यजीवन का संरक्षण

7045. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्र में वन्यजीवन के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नेफा में एक चिड़ियाघर बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब बनाये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) नेफा के वन्य पक्षी और पशु रक्षा विनियम की घोषणा का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और सरकार द्वारा मंजूर होने पर उसे लागू कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं। नेफा में चिड़ियाघर बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

Election to Panchayats in Haryana

7046. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether any amendment has been made in the rules relating to elections to Panchayats in aryana State to the effect that candidate belonging to the Scheduled Castes cannot contest election for a General seat ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the said amendment is not contrary to the fundamental rights enshrined in the Indian Constitution ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सहायता

7047. **श्री वीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी सम्बद्ध एजेंसियों को समस्या की व्यापकता और गाम्भीर्य सम्बन्ध में जानकारी दे दी है कि भारी संख्या में आये शरणार्थियों पर प्रति वर्ष 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र तथा सदस्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) छः मास की अवधि के लिए 60 लाख शरणार्थी जनसंख्या के खाद्य सामग्री, आश्रय स्थान इत्यादि प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी सम्बद्ध एजेंसियों को 300 करोड़ रुपये के सुझाव दिए गए थे ।

(ख) विदेशी सरकारों । अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई सहायता की पेशकश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 815/71]

Decline in Mica Industry

7048. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether Mica Industry is declining day by day on account of the industrial policy of Government ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check this decline ?

The Minister of State in the Ministry of steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The declining trend in Mica Industry is not due to the industrial policy of the Government. Mica Industry is an export oriented industry and its production depends upon its demand in the international market. The production of crude mica has fallen from 22,915 tonnes in 1966 to 16,274 tonnes in 1970 and that of sheet mica from 8,160 tonnes in 1966 to 7,192 tonnes in 1970. The fall in the export of Sheet mica is due to the following reasons:—

(i) Displacement in the use of mica due to invention of transistorised devices.

(ii) Use of substitute materials like ceramic, Kraft paper and other synthetic products like polystyrene, polyethylene etc.

(iii) Displacement in use of sheet mica by lower valued scrap mica, and

(iv) Release of mica from U.S. and U.K. stockpile.

(b) : The Govt. of India in 1970 constituted a working Group on Mica to go into the problems of Mica Mining and export trade and to suggest the remedial measures. The recommendations made by the Working Group are under the consideration of the Govt.

पम्पसेटों के प्रयोग की तुलना में नलकूप सिंचाई का लाभ एवं हानि सम्बन्धी सर्वेक्षण

7049. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट, अहमदाबाद द्वारा नलकूप सिंचाई के लाभ एवं हानि सम्बन्धी सर्वेक्षण का मुख्य निष्कर्ष यह है कि पम्प सैट के मालिकों के ग्रुप ने अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले ग्रुप की तुलना में लगभग सभी फसलों में और अधिक लाभ प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य तरीकों की तुलना में पम्पसैटों के बारे में अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पम्पसैट लगाने पर पहले ही बहुत बल दिया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि में 18·5 लाख पम्पसैट लगाने का विचार है जबकि चौथी योजना के प्रारम्भ में ही लगभग 19 लाख पम्पसैट कार्य कर रहे थे। चौथी योजना का लक्ष्य सम्भवतः और अधिक हो जाएगा।

केरल में धान और नारियल की काश्त के लिये रूसी सहायता

7050. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस की सहायता से मालायचू जिला एर्नाकुलम में की जाने वाली धान और नारियल आदि की काश्त के सम्बन्ध में केरल सरकार की योजना को अनुमोदित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी, त्रिपुरा

7051. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की एपेक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी दिवालिया हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह अब भी कोई व्यापार कर रही है ; और

(ग) उक्त सोसाइटी को ऋण के रूप में कितना धन दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन के सहकारी विभाग ने 1,97,500 रु० का ऋण दिया था, जिसमें से 75,000 रु० वसूल कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि० ने भी 1967-68 से 1970-71 तक की अवधि के लिए 14,68,346,94 रु० का नकद ऋण निभाव मंजूर किया था : इस राशि में से बैंक 11,23,047,91 रु० वसूल कर चुका है।

Incidents of Gherao in Industrial Establishments of west Bengal

7052. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of gheraos in industrial establishments in west Bengal since the Ist January, 1970 to-date ;

(b) the total man-hours lost as a result there of ; and

(c) the estimated loss suffered by Government as a result of incidents of gherao in the central industrial establishments ?

The Minister of Labour and Rehabiltation (Shr. R. K. Khadilkar) : (a) to (c) - Information is being collected and will be placed on the Table of the House soon after it is received.

आन्ध्र प्रदेश में पिग आयरन प्लांट के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के समन्वेषी मिशन का दौरा

7053. **श्री के० सूर्यनारायण :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के एक सदस्यीय समन्वेषी मिशन ने आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में कोयला वाले क्षेत्रों में पिग आयरन प्लांट स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान के चयन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए उक्त जिले का हाल में दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मिशन ने क्या निर्णय किया है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के श्री जैक मिलर ने 6-7 जुलाई 1971 खम्मम जिले का दौरा किया था। इस दौरे का प्रयोजन स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से फाउण्ड्री पिग आयरन के उत्पादन के लिए एक धातु कार्मिक प्रायोजना स्थापित करने की योजना का मूल्यांकन तथा स्थल का सर्वेक्षण करना था।

(ख) इस मिशन के निष्कर्षी सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

Memorandum from Mica Industry Association of India Domchuch Hajaribagh

7054. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether the Bharat Abhrak Udyog Sangh (Mica Industry Association of India) Do chonch (Hazaribagh) has submitted any memorandum to the Prime Minister,

(b) if so. the particulars there of ; and

(c) the reaction of Government there to ?

The Minister of state in the Ministry of steel and mines (Shri Shah Nawas Khan) :

(a) Yes, Sir.

(b) The main points raised in the Memorandum may be seen in the enclosed statement

(c) The matter is under consideration.

Statements

The following are the main points raised in the Memorandum submitted by Bharat Abhrak Udhog Sangh, Hazaribagh to the Prime Minister :—

S. No.	Point raised
1.	Vast areas of mica is held by the big Mine Owners under the statutory limit of 10 sq. miles of area fixed in the Mineral Concession Rules, 1964 which cannot be worked fully resulting in blocking of workable areas. The limit may be reduced to 1 sq. mile.
2.	Difficulties being experienced by the small Mine Owners regarding implementation of Metalliferrous Mines Regulations 1961 in the mica mining areas of Hazaribagh District of Bihar.
3.	Exploitation of small mine owners by the big mine owners/exporters and their influence on the fixation of floor prices of mica etc.
4.	Suggestion regarding arrangements for 'Single point Exports'.
5.	Smuggling of mica through Nepal.

Central Assistance to Madhya Pradesh for installation of Tube-Wells and Their Working

7055. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistanee given by the central Government to instal tube-wells in Madhya Pradesh during the last three years and the number of tube-wells installed there with this assistance ; and

(b) the number out of them which are in working order at present and the number of those which have gone out of order together with the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) & (b) : According to the procedure in vogue, Central Assistance to States is not related to any individual programme or scheme but it is provided by the Centre on block loan and grant basis in respect of the annual plan as a whole. The discretion for allocation of funds to the individual state plan schemes including tubewells rests primarily with the State Government. Hence, the question of giving financial assistance for specific schemes like tubewells, does not arise.

Tubewells, however, are being financed from the State Plan funds and the credit made available by the institutional sources including Land Development Banks Cooperative

Banks, Commercial Banks and the Agriculture Refinance Corporation. In Madhya Pradesh 1061 tubewells were drilled during the period from 1968-69 to 1970-71. Of these 521 were successful and 306 were put into Commission by end of March 1971. Others were under various stages of completion. No report has been received about any tubewells having gone out of order.

Import of fish eggs in Rajasthan for fisheries

7057. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the places from where fish eggs are imported for the development of fisheries in Rajasthan , and

(b) the fish species produced as a result thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Fish eggs as such are not imported for the development of fisheries in Rajasthan. However, the Department of Fisheries, Rajasthan has imported fry of various carps from West Bengal, Madhya Pradesh and Gujarat.

(b) **Catla catla** (Catla), Cirrihina **Mrigala** (Mrigala), **Labeo rohita** (Rohu).

Import of Fertilizers

7058. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the name of the countries from whom fertilizers are being imported ;

(b) their quantities , and

(c) on what rates ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c) : A statement is laid on the table of the Sabha·

Statement

Statement showing Fertilizer imported from various countries and the rates at which they are per cured against import programme for 1971-72.

Name of Countries	Kind of Fertilizers		Quantities to be imported	Rates in U. S. dollar	
U. S. A.	12-32-16	NPK	32,500	$ 55,21 to 56,95	(F. O. B.)
	14-36-12	NPK	20,000	$ 56,37 to 58,00	do
	10-26-26	NPK	35,000	$ 56,95 to 63,00	do
U. S. A.		DAP	90,000	$ 53,49 to 54,32	do
Canada		MOE	2,78,125	$ 29,95 to 30,53	do
	15-15-15	NPK	34,000	$ 58,16 to 63,50	do
	do	NPK (Bulk)	12,500	$ 46,53	do
	14-14-14	NPK	5,000	$ 55,94	do
	14-28-14	NPK	10,000	$ 67,96	do
		DAP	69,500	$ 54,56 to 59,64	do

South Korea	Urea	20,000	$ 46,40	do
Rumania	CAN	1,50,000	$ 50,25 (C & F)	
	Urea	40,000	$ 60,50 (C & F)	
France	ANP	30,000	$ 76,05 (C & F)	
West Germany	MOP	40,000	$ 48,20 (C & F)	
GDR	MOP	20,000	$ 51,00 (C & F)	
Bulgaria	Urea	1,80,000	$ 60,50 (C & F)	
Poland	Urea	1,00,000	$ 60,50 (C & F)	

Intensive Farming in States

7059 **Shri Oakar Lal Berwa :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the results achieved from intensive farming in Rajasthan ;

(b) the names of states other than Rajasthan where intensive farming has been undertaken ; and

(c) the results thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) to (c) : Under the new agricultural strategy adopted since 1966-67, intensive cultivation programmes like the High Yielding varieties and multiple Cropping have been taken up in all States including Rajasthan and Union Territories. As a result, food grains production has increased in all States and Union Territories. The States-wise details are given in the enclosed statement.

Statement

State	Total	Food-grains		1000	Tonnes
	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
Andhra Pradesh	6097,6	7717,6	7185,7	6846,9	7399,6
Assam	1909,6	1811,1	2037,3	2304,4	2118,7
Bihar	7189,7	4132,8	8627,0	8869,9	7545,7
Gujarat	2416,4	2185,9	3330,4	2345,9	3221,0
Haryana	2076,9	2572,5	3992,0	30006,2	4567,4
Jammu & Kashmir	499,4	652,3	681,8	1099,2	1151,5
Kerala	1025,0	1112,0	1151,2	1427,4	1242,6
Madhya Pradesh	6822,8	6310,7	10232,1	9460,0	9769,1
Maharashtra	4694,7	6050,0	6825,0	7157,2	6913,9
Mysore	3544,6	4172,6	4665,2	5849,4	5890,7
Nagaland	43,2	50,0	51,0	52,9	49,8
Orissa	3730,7	4354,9	4334,6	5429,4	5032,9
Punjab	3391,3	4216,8	5406,7	6252,1	6936,7
Rajasthan	3839,2	4350,6	6601,9	4006,8	4749,5
Tamil Nadu	5031,9	5789,9	5760,7	5415,3	6239,0

Uttar Pradesh	13311,4	11873,7	16779,0	16296,2	17547,2
West Bengal	5448,2	5377,2	5740,7	7162,3	7363,8
A. & N. Is and	8,3	8,9	8·5	10,7	2.6
Chandigarh	...	...	...	...	...
Dadar & Nagar Haveli	0,5	4,9	14,7	9,8	12,8
Delhi	61,0	70,6	106,7	108,0	103,2
Goa, Daman & Diu	60,7	52,8	63,4	61,5	66,3
Himachal Pradesh	616,7	772,1	897,7	960,9	982,3
L. M. & A. Island	...	...	...	...	...
Manipur	230,0	293,8	251,0	318,7	244,8
N. E. F. A.	41,3	42,9	41,9	100,0	45,2
Pondicherry	50,5	50,4	57,4	55,3	62,2
Tripura	205,0	204,0	208,8	206,2	235,8
All-India	72346,6	74231,0	95052,4	94012,6	99501,3

सहकारी ऋण की बकाया राशि में वृद्धि

7060. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिये गये सहकारी ऋणों की कितने प्रतिशत राशि बकाया है ; और

(ख) वर्षों से इस प्रतिशता में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सूचना अनुबन्ध 1 व 2 में दी गई है ।

(क) ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की, ने अतिदेयों में होने वाली वृद्धि के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया था । समिति ने कहा था कि विविध प्रकार के प्रभाव और परिस्थितियां, जिनमें से कुछ सहकारी ऋण ढांचे की आन्तरिक तथा दूसरी बाह्य हैं, अतिदेयों के संचयन के लिए जिम्मेदार हैं । इनके मुख्य कारण ये हैं :

(1) दोषपूर्ण ऋणदायी नीतियां, जिनके कारण आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है, ऋण की असामयिक आपूर्ति की जाती है तथा ऋण का दुरुपयोग होता है ।

(2) पर्याप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण अपर्याप्त निरीक्षण

(3) असन्तोषजनक प्रबन्ध ।

(4) राजनीतिक कारण ।

(5) तकावी ऋणों की व्यवस्था सम्बन्धी नीतियां तथा इस प्रकार के ऋणों की वसूली के लिए दी गई प्राथमिकता ।

(6) सूखा, बाढ़, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं जिनके फलस्वरूप फसल को आंशिक अथवा भारी हानि पहुंचती है ।

विवरण

प्राथमिक स्तर पर अल्प तथा मध्यकालीन ऋणों के अतिदेय (लाख रु० में)

राज्य - केन्द्र-शासित क्षेत्र	1968-69 की स्थिति			1969-70 की स्थिति (अनन्तिम)		
	बकाया कुल राशि	अतिदेय राशि	बकाया में अतिदेय का प्रतिशत	बकाया कुल राशि	अतिदेय राशि	बकाया में अतिदेय क प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3193	1180	37	3207	1397	44
असम	534	398	75	553	394	71
बिहार	1219	561	46	1331	651	49
गुजरात	7275	1781	24	7936	2081	26
हरियाणा	1448	351	24	1748	599	34
हिमाचल प्रदेश	537	123	23	653	123	19
जम्मू तथा काश्मीर	262	82	31	220	101	46
केरल	2279	585	26	2753	642	23
मध्य प्रदेश	6290	2319	37	7032	2394	34
महाराष्ट्र	12759	4979	39	14214	5630	40
मैसूर	4101	1683	41	4288	1601	37
नागालैंड (क)	1	(ख)		1		
उड़ीसा	1975	925	47	2086	918	44
पंजाब	4250	1123	26	5105	1997	39
राजस्थान	1788	556	31	2118	765	36
तमिलनाडू	5220	1497	29	5470	1862	34
उत्तर प्रदेश	6989	2293	33	7290	2586	36
पश्चिम बंगाल	1512	855	57	1656	865	52
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	2	6	50			
चण्डीगढ़ (प्रशासन)	6	—	—	2	1	50
दिल्ली	106	47	44			
गोवा, दमन तथा दीव	16	8	50	20	10	50
लकादीव	(ख)	—	—	1	—	—
मणिपुर	39	25	64			
त्रिपुरा	32	16	50	32	15	47
पांडिचेरी	45	16	36			
कुल योग	61875	21404	35	67716	24632	36

[क] ये आंकड़े 1968-69 से सम्बन्धित हैं । [ख] नगण्य ।

व्यक्तियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋण [लाख रु० में]

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	1968-69				1969-70 [अनन्तिम]			
	कुल वकाया	वर्ष में कुल मांग	वर्ष के अन्त में अतिदेय	मांग में अतिदेय का प्रतिशत	कुल बकाया	वर्ष में कुल मांग	वर्ष के अन्त में अतिदेय	मांग में अतिदेय का प्रति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	6213	700	34	4.9	7658	983	52	53
असम	22	5	2	38.6	29	4	2	50.0
बिहार [क]	527	66	20	30.0	807	53	17	32.1
गुजरात [क]	6616	950	122	13.9	7979	1921	207	16.0
हरियाणा	982	154			1581	102		
जम्मू तथा काश्मीर [क]	112	7			155	9	1	11.1
केरल	536	80	27	33.9	630	50	18	36.0
मध्य प्रदेश	1202	222	80	29.0	1682	225	114	50.1
महाराष्ट्र	8983	1557	366	23.5	9745	1713	341	19.9
मैसूर	3051	416	178	42.7	3251	310	161	51.9
उड़ीसा	633	73	16	21.0	652	88	16	18.2
पंजाब	1956	141			3336	301	1	03
राजस्थान	481	74	33	44.5	781	56	20	35.7
तमिलनाडू	4235	365	40	10.8	5514	638	77	12.1
उत्तर प्रदेश [क]	4252	297	39	13.1	5578	516	84	16.7
पश्चिम बंगाल	313	39	17	43.0	380	68	36	52.9
केन्द्रशासित क्षेत्र	103	15	5	33.3	176	15	8	53,3
योग	40217	5161	989	192	49934	7052	1157	16.4

[क] इन राज्यों में भूमि विकास बैंक की एकात्मक पद्धति है, जो प्राथमिक समितियों के बजाय शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में पूंजी निवेश

7061. **श्री ब्रज राज सिंह कोटा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) वहां कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) सरकार ने हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड पर इस समय तक 1727·01 लाख रूपए विनिहित किए हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

साम्या	ऋण	कुल
	(लाख रुपयों में)	
869·21	857·80	1,727·01

(ख) 1 जुलाई, 1971 को हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड में 4, 193 कमचारी कार्यरत थे ।

केरल में मछुओं की कालौनी के निर्माण के लिये केन्द्रीय अनुदान

7062. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मछुओं की कौलौनी के निर्माण के लिए अनुदान की मंजूरी के संबंध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी · शिन्दे) : (क) से (ग) : केरल सरकार के खाद्य तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री द्वारा 9 जून, 1971 के अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र में केरल में मछुओं की आवास कालौनियों के लिये 2 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया गया है । मामला विचाराधीन है ।

भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेन्द्रम, केरल के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि के दावे

7063. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेन्द्रम, केरल के कार्यालय में सेवा निवृत्त अथवा नौकरी से निकाले गये श्रमिकों के भविष्य निधि के कुल कितने लेखे तय किये जाते हैं ;

(ख) उनके इन लेखों को न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) भविष्य निधि के लेखों को न निपटाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से कुल कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) भविष्य निधि के लेखों को न निपटाने के मामलों को तय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुवर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की

व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :-

(क) और (ख) : 31 मार्च, 1971 को, निम्नलिखित कारणों से प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरल के कार्यालय में भविष्य निधि के दातों के निपटान के लिए लगभग 3433 प्रार्थना-पत्रनिर्णीत पड़े थे :-

(1) अपूर्ण आवेदन-पत्रों की प्रस्तुति ;

(2) नियोजकों द्वारा सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत न करना या दोषपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ;

(3) धन प्राप्त करने के अधिकार का विरोध किया जाता है ; और

(4) भविष्य निधि अंशदानों का जमा न करना।

(ग) और (घ) : सम्बंधित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है परन्तु दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :-

(1) सदस्य से सही ढंग से सूचना देने के लिए कहा जाता है ;

(2) विवरणियां प्रस्तुत न करने या बकाया राशि अदा न करने के दोषी प्रतिष्ठान में भविष्य निधि निरीक्षक प्रतिनियुक्त किया जाता है ; और

(3) सदस्यों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए प्रार्थना की जाती है।

राजस्थान में भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया जाना

7064. **श्री हमेन्दर सिंह बनेरा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने राजस्थान में भीलवाड़ा जिला के क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) : हाल ही के वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किए गए भूवैज्ञानिक मानचित्रण और विस्तृत अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप पुस्दरीबा क्षेत्र में 1·24 प्रतिशत ताम्रयुक्त ताम्र अयस्क के लगभग 12·1 लाख टन और 1·11 प्रतिशत ताम्रयुक्त ताम्र अयस्क के 5 लाख टन की उपलभ्य राशियाँ अनुमानित की गई हैं। अभ्रक, सेल-खड़ी, ताम्र, सीसा, जस्ता, लौह अयस्क, गार्नेट, बेरीयल, कायनाईट और निर्माण-पत्थर के प्राप्ति स्थलों की भी रिपोर्ट मिली है। इन खनिजों के प्राप्ति-स्थलों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

खनिज	क्षेत्र
अभ्रक	भोनस, टूंका, गुर्ला, गनेशपुर, सिद्रियास, चपरी, बंजारी, घोघास, इत्यादि ।
सेलखड़ी	म्यूरिया और बंगवासा ।
सीसा, जस्ता और ताम्र	तिरंग पहाड़ी, समोदी, धुलखेड़ा रानिगपुर और बनेरा ।
एसबेस्टॉस	दौलतगढ़ (बराना), लच्छिपुर और चंतीगला ।
बेरियल	देवरी, तिल्लोली, गुधा और रैरा ।
गार्नेट	देवरी, माशा और बनेरा ।
काईनाइट	पंसेल और हरनाई ।

इसके अतिरिक्त 'ओपरेशन हार्डरॉक' के परिणाम स्वरूप प्रोद्भूत हवाई विसंगतियों के भूतल अनुवर्त्ती कार्य से भी भीलवाड़ा जिले में देदवास और देवपुर के मध्य जस्ता-सीसा खनिजीकरण के दो क्षेत्रों की उपस्थिति का पता चला है ।

भीलवाड़ा जिले में अभ्रक श्रम कल्याण केन्द्रों के लिये किया गया धन का नियतन

7065. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** :क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीलवाड़ा जिले में अभ्रक श्रम कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं और

(ख) इन केन्द्रों के लिए वर्ष 1969, 1970 और 1971 में कितनी राशि नियत की गई थी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1969 — 116400 रुपये (वास्तविक)

1970 — 114350 रुपये (वास्तविक)

1971 — 117800 रुपये (अनुमानित) ।

विवरण

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण केन्द्रों के नाम

1. बेमाली
2. बगोड्डा
3. आम्ली
4. रोपा

5. भादु

6. लुहारिया

7. दौलतगढ़

8. ब्राह्मणों-की-सराय

9. जमोली

10. महेन्द्रगढ़

11. धोसर

12. सोनियाना

13. भुनास

14. साहाडा

15. नाँसा

16. अमरगढ़

17. गणेशपुर

18. टूंका

19. गुंडली

20. पिथस (गोदास)

कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद द्वारा मंजूरी के बिना की गई नियुक्तियां

7066. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद ने भारत सरकार की मंजूरी के बिना ही काफी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों को किस प्रकार नियमित किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : कोयला खान भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध न्यासी बोर्ड से है जो कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि भूतपूर्व कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त ने कुछ अमले की नियुक्ति न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के बिना की थी और यह कि इन नियुक्तियों को नियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन जोनल निरीक्षालयों के कार्यालय

7067. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन सभी क्षेत्रों में जोनल इन्सपेक्टरों के कितने कार्यालय खोले गये हैं और, क्षेत्रवार उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनमें कितने कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर रिहायशी क्वाटरों सहित निरीक्षणालयों के स्थायी कार्यालय भवन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है। यह यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद द्वारा सरकारी मकान का खाली किया जाना

7068. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद, ने सरकारी क्वाटर खाली नहीं किया है जबकि वह एक वर्ष पूर्व ही सेवा निवृत्त हो गए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का सरकारी मकान खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध न्यासी बोर्ड से है जो कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :-

(क) और (ख) : भूतपूर्व कोयला भविष्य निधि आयुक्त को निधि का बंगला बंटित किया गया था। वे गतवर्ष सेवा से निवृत्त हुए परन्तु बार बार कहे जाने पर भी उन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। बंगले से उन्हें बेदखल करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

Unemployment of Post-Graduates and Agricultural Scientists

7069. **Shri Rana Bahadur Singh :**
Shri . Ganga Reddy :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of agricultural post-graduates and Ph. Ds. unemployed in the country;

(b) whether Government main'ain any record of agricultural scientists in the country who are unemployed even after attaining specialisation in their respective fields from abroad or with-in the country ; and

(c) the scheme formulated by the Government to provide them suitable jobs in their respective fields in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) There were 542 Agricultural Post Graduates on the live registers of Employment Exchanges as on 31-12-70. (No. of unemployed P. Hd's is not available).

(b) Yes, but separate statistics of scientists attaining specialisation from abroad or within the country is not available.

(c) According to a study made in 1969, it appears that during the IV Plan period, the Government of India, the State Governments and the private sector will require about 3,000 agriculture post-graduates in addition to the existing number employed for various extension and research programmes.

Furthermore, Government have scheme for establishing 5,000 agro-service centres which are likely to employ about 50,000 graduates, post-graduates and Diploma holders of whom 10% to 15% are expected to specialists in agriculture.

Other special schemes launched by the Ministry of Agriculture, (SFDA, MFAL, RWP, Dry Land Farming Command Area Development and Crash Rural Employment Programmes) are expected to generate demand for technical and scientific manpower including agricultural personnel for planning, formulation and execution even though these schemes are meant mainly for unskilled labourers, small farmers etc. In addition, indirect benefits arising out of these investments may also lead to more employment potential including that of agricultural personnel. The Government are having under contemplation a scheme for providing employment to educated unemployed at a cost of Rs. 25 crores per annum. When this scheme is finalised and implemented, agricultural graduates and post-graduates are also likely to benefit.

Loan Requirements of Farmers by end of Fourth Plan

7070. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual amount of loans required by farmers with a view to meeting the requirements of a bumber agricultural production by the end of the Fourth Five Year Plan; and

(b) the various sources from which funds are proposed to be mobilised for advancing loans to farmers for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a)

& (b) : The total requirements of Agricultural credit in the 4th Plan, as estimated by the All India Rural Credit Review Committee are Rs. 2,000 crores of short-term loans for the last year of the 4th Plan; and Rs. 500 crores and Rs. 1,5000 crores, respectively as medium and long-term loans during the five years of the 4th Plan.

It is estimated that about Rs. 800 crores will be provided by the cooperatives as short-term and medium term loans during the last year of the 4th Plan. The commercial banks are also expected to provide Rs. 400 crores during the 5 years of the plan period. The Land Development Banks are expected to provide Rs. 700 crores as long-term loans during the plan period. The Agricultural Refinance Corporation would provide refinance facilities to the extent of Rs. 200 crores. This is likely to go up because of implementation of World Bank Credit Projects. The Agro-Industries Corporations are expected to provide Rs. 100 crores as long-term loans. The Government is also expected to provide about Rs. 100 crores as short-term **Taccavi** loans in the last year of the Fourth Plan period.

नेफा के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिये सुधरे हुए औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग

7071. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिये सुधरे हुए औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के निर्णय की क्रियान्विति

7072. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में श्रमिकों के भाग लेने के निर्णय को अभी तक किसी भी सरकारी कारखाने में क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस निर्णय को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के ऐसे विशेष उपक्रम, जिनमें प्रबन्धक-बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की योजना को कार्यान्वित किया जाना है, सरकार के विचाराधीन है ।

पेड़ों के जल्दी उगने वाली किस्मों के बागान लगाने की योजना

7073. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में सरकार ने जल्दी उगने वाली किस्मों के पेड़ों के बागान लगाने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। जल्दी उगने वाली किस्मों के पेड़ों के बागान लगाने के लिए स्कीम तीसरी पंच वर्षीय योजनावधि में तैयार की गई थी। यह स्कीम चौथी योजना के अन्तर्गत भी चल रही है।

(ख) **और (ग)** : उपरोक्त स्कीम तीसरी पंच वर्षीय योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के रूप में चालू की गई थी जिसका उद्देश्य जल्दी उगने वाली किस्मों के पेड़ उगाना था ताकि 15-20 वर्षों की अवधि में वनों विशेषतया लुगदी तथा कागज पर आधारित उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सके। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाई गई मुख्य वृक्ष किस्म यूकैलीप्तस है। इस स्कीम के अन्तर्गत बांस भी उगाए जाते हैं। यह स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में वर्ष 1968-69 तक जारी रही। जल्दी उगने वाली किस्मों के वृक्षों के बागान लगाने के लिए राज्य सरकारों को 250 रु० प्रति एकड़ तक केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिए गए। तीसरी योजनावधि में 84,770 हैक्टार भूमि में वृक्ष लगाने के लिए 3.80 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई। वर्ष 1966-69 की अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 1,67,000 हैक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्ष लगाने के लिए लगभग 8 करोड़ रु० का उपयोग किया गया है।

इस स्कीम को चौथी योजनावधि में स्टेट सैक्टर के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। राज्य सरकारें चौथी योजनावधि में 3,02,000 हैक्टार से अधिक क्षेत्र में जल्दी उगने वाली किस्मों के वृक्षों के बागान लगाने का इरादा रखती है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 और 1970-71 में लगभग 97,000 हैक्टार क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए हैं।

कृषि के प्रशिक्षण पर व्यय

7074. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के सामूहिक प्रशिक्षण के लिए कितनी धन राशि दी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार ने देश में राज्य वार ऐसे कितने संस्थान खोले हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यद्यपि "कृषकों का सामूहिक प्रशिक्षण" नामक कोई योजना नहीं है, फिर भी, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जो कि मूलत: राज्य सरकारों को अधिक उत्पादनशील किस्म कार्य- क्रम की सफलता के लिए कृषक प्रशिक्षण योजना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए 1971-72 की अवधि में 95 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया है। जिले में कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण केन्द्र 1,96,252

रुपये (1,19,252 रुपये आवर्ती तथा 77,000 रुपये अनावर्ती का अनुदान प्रतिवर्ष ले सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर, प्रत्येक केन्द्र विशिष्ट संस्थापनपाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों के लिए शयमागार प्रकार के आवास स्थलों के निर्माण के लिए 50,000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकारों को चुनींदा अधिक उत्पादनशील किस्म कार्य-क्रम जिलों में कुल 100 कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। ये केन्द्र निम्न प्रकार हैं :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	असम	3
3.	बिहार	6
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	5
10.	महाराष्ट्र	10
11.	मेघालय	1
12.	मैसूर	6
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	4
15.	पंजाब	7
16.	राजस्थान	4
17.	तमिलनाडु	7
18.	उत्तर प्रदेश	11
19.	पश्चिम बंगाल	7
20.	दिल्ली	1
21.	गोवा	1
22.	नेफा	1
23.	पांडिचेरी	1
24.	त्रिपुरा	1
	कुल :	100

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार मार्च, 1971 के अन्त तक कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति निम्न प्रकार है :

	सस्थागत प्रशिक्षण	संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	उत्पादन एवं प्रदर्शन प्रशिक्षण कैम्प	17,457	6,15,608
2.	कृषक/कृषकमहिला विचार-विमर्श दल	12,815	2,49,517
3.	कृषक/कृषक महिला विशिष्ट विषय कार्यक्रम	1,815	58,027
4.	विचार विमर्श दलों के संयोजकों के लिए संस्थागत पाठ्यक्रम	205	3,454
5.	युवा कृषकों के लिए तीन माह का प्रशिक्षण	73	2,025

खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि

7075. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं , और

(ग) गत वर्ष इन महीनों में खाद्यान्नों के क्या मूल्य थे और गत वर्ष के मूल्य के इस वर्ष के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ख) : अप्रैल से जुलाई, 1971 तक के पिछले चार महीनों के दौरान महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के थोक मूल्यों और 1970 के इन्हीं महीनों के सूचकांक तथा जुलाई, 1970 की तुलना में जुलाई, 1971 के दौरान इन सूचकांकों के प्रतिशत में घटा-बड़ी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। पिछले तीन महीनों के दौरान कुछ के खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़े हैं, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य घटे हैं। इन महीनों में मूल्यों में वृद्धि प्राय: मौसमी आधार पर होती है और इसका कारण विशेषकर खरीफ के मौसम में सप्लाई में कमी होना है।

खाद्य पदार्थों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय मासान्त सूचकांक
(आधार 1961-62 = 100)

सूचकांक

जिन्स	वर्ष	अप्रैल	मई	जून	17 जुलाई	17 जुलाई, 1970 की तुलना में 17 जुलाई, 1971 में सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (−)
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य पदार्थ	1971	201.2	204.6	206.8	209.8	(+) 1,8
	1970	109.7	205.5	204.8	206.1	
धान्य	1971	104.2	195.4	197.9	200.7	(−) 2,7
	1970	201.3	205.4	205.9	206.2	
चावल	1971	198.5	200 6	204.8	208 2	(−) 0,4
	1970	203.1	207.1	209.2	209.1	
गेहू	1971	203.1	200.5	199 9	200.0	(−) 3,5
	1970	205-8	206.9	205.9	207·3	
ज्वार	1971	193.0	194.2	191.9	201.3	(+) 4,7
	1970	191.7	192.3	188.8	102.3	
बाजरा	1971	126.1	182.6	189.5	147.5	(−) 21,2
	1970	276.0	100.9	187,6	187.3	
मक्का	1971	169.2	178.1	177.5	171.6	(—) 21,1
	1970	211.6	223.8	227.8	217.6	
दलहन	1971	225.5	235.1	247.8	255.7	(+) 6,6
	1970	220.8	244.8	240.0	2898.	
चना	1971	204.5	220.9	225.8	221.2	(−) 8,9
	1970	236.1	256.4	248.5	242.9	
फल और तरकारियां	1971	224.9	286.5	284.3	287.5	(+) 8,6
	1970	208.2	248.0	205.6	218.6	
आलू	1971	111.0	117.5	180.8	142.4	(−) 20,5
	1970	161.8	188.5	204.0	201.9	
दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ	1971	215.8	215.3	216.2	214.3	(+) 1,0
	1970	212.6	212.6	205.0	212.1	
खाद्य तेल	1971	202.0	202.9	108.1	202.6	(−) 14,3

	1970	221.4	238,5	280,5	286.3	
मूंगफली	1971	100.1	202.5	191.2	198.2	(–) 17,5
का तेल	1970	286.2	250.9	244.9	240.1	
सरसों का तेल	1971	200.8	204.3	212.9	225.5	(–) 5,2
	1970	211.6	285.6	237.7	237.8	
वनस्पति	1971	181.8	178.9	178.9	171.2	(–) 15'1
	1970	187.6	187.6	204,5	201.7	
मछली अण्डे	1971	217.1	234.9	288.1	248.5	(+) 18,2
और मांस	1970	104.4	198.0	216.6	219.6	
चीनी तथा	1971	104.7	199.1	209.4	222.2	(+) 30,4
सम्बद्ध उत्पादन	1970	154.6	166.9	158.6	162.7	
गुड़	1971	258.2	263.6	208.8	801.4	(+) 77,3
	1970	150.2	154.7	180.0	170.0	
चाय	1971	184.3	186.8	185.0	188.8	(+) 26,9
	1970	112.6	...	115.0	100.4	
काफी	1971	155.1	158.1	152.8	152.7	(–) 17,4
	1970	175.5	178.2	190.2	210.3	
मसाले तथा	1971	275.6	265.6	261.9	254.4	
गर्म मसाले	1970	369.8	355.4	361.6	350.0	(–) 27,5
लवण	1971	154.8	149.7	152.2	158.7	
	1970	185.2	187.6	188.5	137.8	(+) 115

हरियाणा में गोदामों के नि॰ांण के लिए वित्तीय सहायता

7076, **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री विजयपाल सिंह :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरियाणा में पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं नहीं हैं और राज्य सरकार ने उस राज्य में गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : कृषि-उत्पादन में वृद्धि होने और उसके फलस्वरूप इस वर्ष गेहूं की भारी अधिप्राप्ति होने के कारण हरियाणा में भंडारण स्थान अपर्याप्त समझा जाता है ।

2. राज्य सरकार विपणन बोर्ड के माध्यम से भाण्डागारों के निर्माण हेतु एक योजना पर विचार कर रही है जिसके लिए वे सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेंगे । इसके अलावा, केन्द्रीय भाण्डागार निगम भी 1971-72 और 1972-73 वर्षों के दौरान कुल

* —22 मई, 1971 से सम्बन्धित

41,500 मी० टन की क्षमता वाले भाण्डागारों के निर्माण हेतु 1,00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण

7077. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिक आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य व्यापारों में कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) ऐसे कितने प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और उद्योगों में उनको रोजगार देने की क्या स्थिति है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य दिसम्बर 1966 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय श्रम आयोग का उल्लेख कर रहे हैं। आयोग ने खेतीहर मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में फालतू भूमि का अर्जन और वितरण

7078. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी फालतू भूमि अर्जित की गई है और कितनी भूमि किसानों में बाँटी गई हैं ; और

(ख) फालतू भूमि के अर्जन और उसके वितरण में क्या मुख्य बाधायें हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) दिनांक 31 मई, 1971 तक राज्य के अधिकार में कुल 3,59,000 हैक्टार कृषि भूमि थी जिसमें मार्च, 1967 के बाद की 110,000 हैक्टार भूमि भी सम्मिलित है। भूमिहीन कृषकों तथा एक हैक्टार से कम-भूमि वाले छोटे कृषकों में अब तक लगभग 1,40,000 हैक्टार भूमि वितरित की जा चुकी है।

(ख) अविशेष भूमि को अधिकार में लेने तथा इसके वितरण में मुख्य बाधक बात काफी दीवानी मुकदमें तथा न्यायालयों द्वारा सिविल नियम तथा निषेधाज्ञायें जारी करना है। एक तरफ कृषि भूमि निषेधाज्ञा तो जारी करने तथा कम से कम 10 एकड़ या अधिक कृषि भूमि के मामलों में निषेधाज्ञा समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7079. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता और बेहाला (पश्चिम बंगाल) के सिनेमाघरों में सिनेमा कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल और उसके परिणाम स्वरूप 100 सिनेमाघरों के बन्द होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सिनेमा कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने बन्द पड़े सिनेमाघरों को खोलने और कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

दुग्ध परिष्करण संयंत्रों का आयात और उनकी क्षमता

7080. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कितने दुग्ध परिष्करण संयंत्रों का आयात किया गया है और उनमें से कितने संयंत्र उपहार स्वरूप प्राप्त हुए ,

(ख) उनमें से कितने संयन्त्र निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं और कितने संयंत्र निर्धारित क्षमता से आधी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं , और

(ग) पूरी निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में दूध की औसत दैनिक खपत में कमी

7081. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में अधिकतम पशुधन वाला होने के बावजूद भारत में दूध की औसत दैनिक खपत सबसे कम है और खपत वर्ष प्रतिवर्ष और भी कम होती जा रही ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1968-69 मैं भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि का औसतन 105 ग्राम प्रति दिन था । यदि विकसित देशों के ऐसे आंकड़ों से तुलना की जाये तो यह मात्रा कम ही है । किन्तु एशिया और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में देशों के आंकड़ों की तुलना में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि अधिक है ।

यद्यपि वर्ष 1965-66 में दुग्ध उत्पादन 200 लाख मीटरी टन से बढ़कर वर्ष 1968-69 में 216 लाख मीटरी टन हो गया है, तथापि दूध की बढ़ती हुई मांग की अपेक्षा दूग्ध उत्पादन काफी कम रहा । निम्नलिखित कारणों से प्रति व्यक्ति दूध की उपलधि कम हो गई है :

वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक दुग्ध उत्पादन की वृद्धि में मानव की बढ़ती हुई आबादी के कारण रुकावट पड़ी ।

अधिकांश लोगों की क्रय क्षमता में कमी होना भी एक कारण है जिसे मानना होगा ।

सरकार को दूध की भारी कमी के बारे में जानकारी है और राज्य सरकारों के सहयोग से दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए शिविरों में अस्थाई नियुक्ति

7082. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए लगाये गये शिविरों में सेवा के लिए कुछ अस्थाई नियुक्तियाँ की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी कौन है तथा इन नियुक्तियों के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है , और

(ग) क्या यह नियुक्तियाँ केवल उन्हीं व्यक्तियों में से की जा रही हैं जो शरणार्थियों के लिए शिविर लगाये जाने के समय से स्वेच्छापूर्वक सेवा कर रहे हैं।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है।और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की सुधरी हुई प्रणाली को लागू किया जाना

7083. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों जहां कृषि की पुरानी प्रणाली जारी रहने का समाचार है के कृषकों को विशेषज्ञों की सलाह देने की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : मनीपुर प्रशासन से जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि उपकरण और उर्वरक खरीदने के लिए मनीपुर के किसानों को ऋण

7084. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपकरण और उर्वरक खरीदने के लिए मनीपुर के किसानों को कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं जिनका अब भुगतान किया जाना था परन्तु जो अभी बकायां है।

(ख) क्या खरीदे गये औजारों और उपकरणों तथा उर्वरकों की खरीद और प्रयोग पर कोई उचित निरीक्षण और नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सरकारी सहायता के अधिकांश भाग का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं किया जाता हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने मनीपुर के कृषकों को उपकरणों और उर्वरकों के क्रय के लिए कोई ऋण मन्जूर नहीं किया गया है। अतः अदायगी के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। मनीपुर प्रशासन से मांगी हुई जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(ख) और (ग) ; जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, प्रश्न ही नहीं होता।

मनीपुर में कृषि सहकारी समितियों का पंजीकरण

7085. **श्री एन० टौम्बी सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में बहुत सी कृषि सहकारी समितियों को यह तय किये बिना ही कि समितियों के नाम कोई भूमि है अथवा नहीं पंजीकृत कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप नये खेती वाले क्षेत्रों में पंजीकृत समितियों में भूमि के लिये तीव्र होड़ आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो पंजीकृत कृषि सहकारी समितियों की संख्या क्या है और पंजीकरण से पहले उनके नाम से कितनी भूमि सही और कानूनी ढंग से तय की गयी थी ; और

(घ) क्या ऐसी कृषि सहकारी समितियों का जिनके पास कोई भूमि न हो पंजीकरण करना विद्यमान नियमों के विरुद्ध है ?

कृषि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) : सरकारी खेती समितियाँ दो किस्मों की हैं, अर्थात्, संयुक्त खेती तथा सामूहिक खेती समितियां। संयुक्त खेती समितियों में सदस्यों की अपनी भूमि एक साथ पूल का जाती है, जबकि सामूहिक खेती समितियों में उनके पास भूमि पूर्ण स्वामित्व अथवा पट्टेदारी के आधार पर होती है ; दोनों ही मामलों में खेती संयुक्त रूप से की जाती है।

मणिपुर के केन्द्र शासित क्षेत्र में 121 सहकारी सामूहिक खेती समितियाँ हैं।

समिति को सरकारी भूमि का औपचारिक रूप से आबंटन केवल उसके पंजीकृत होने पर ही किया जा सकता है। मणिपुर में लागू किए गए उसमें सहकारी समिति अधिनियम में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं हैं, जिसमें खेती समिति के पंजीकरण के लिए उसके नाम भूमि का होना एक पूर्व-शर्त हो। मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि, यद्यपि सरकारी बेकार भूमि के आबंटन में सहकारी खेती समितियों को तरजीह दी जाती है, फिर भी उनमें से बहुत सी समितियों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है।

समुद्री तथा अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों के विकास के बारे में उप-समितियों के प्रतिवेदन

7086. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य की बोर्ड की आठवीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर

सरकार ने समुद्री तथा अन्तर्देशीय मत्स्यकी के विकास के बारे में कतिपय तकनीकी उप-समितियाँ नियुक्त की थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मीन-उद्योग बोर्ड की आठवीं बैठक की सिफारिशों के अनुसार समुद्रीय तथा अन्तर्देशस्थ मीन-उद्योग विकास के लिये दो तकनीकी उप-समितियाँ गठित की गई हैं।

(ख) और (ग) : इन समितियों को कार्यक्रमों तथा समस्याओं का निरन्तर पुनरीक्षण करना है। समुद्रीय समिति द्वारा जिन समस्याओं की जांच की जानी है उनमें गहन समुद्र मीन-हरण की आर्थिक व्यवस्था, गहन समुद्र मीन-हरण जलयानों का मानकीकरण, तटवर्ती प्रोन के भण्डारण का अध्ययन, समुद्रीय डीजल इन्जनों तथा उनके सुधार के उपाय, एवं सूत, जाल तथा रस्सियों की उपलब्धि को समस्यायें सम्मिलित हैं। अन्तर्देशस्थ मीन-उद्योग समिति ने प्रमुख कार्य मछली के अण्डों तथा पोनों का वितरण तथा अन्तर्देशस्थ मीन-उद्योग वाणिज्यक परि-योजनाओं की वित्तीय सहायता की समस्याओं का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया है।

अब तक प्राप्त हुई सिफारिशों, मछली के जाल बनाने वाली फैक्टरियों तथा समुद्रीय इन्जनों के प्रमाणीकरण के लिए उपकरणों के आयात की नीति से सम्बन्धित हैं। मछली के जाल बनाने वाली वर्तमान फैक्टरियों का आर्थिक स्तर तक विस्तार करने तथा क्षेत्रीय आधार पर नई फैक्टरियाँ स्थापित करने के लिए सिफारिश की गई हैं। समुद्रीय इन्जनों की कोटि में सुधार के उपाय के लिए समिति ने वाणिज्यिक जल परिवहन विभाग द्वारा निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण की पद्धति शुरु करने की सिफारिश की है। पहली सिफारिश स्वीकृत कर ली गई है। समिति, दूसरी सिफारिकशो क्रियान्वित करने के लिये और उपायों का अध्ययन कर रही है।

भारतीय मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत रिक्शा श्रमिकों को श्रमिक माना जाना

7087. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री विनश जोरदार :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ अधिनियम के अनुसार रिक्शा श्रमिकों को श्रमिक नहीं माना जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : इस प्रश्न का

निर्णय कि, क्या रिक्शा श्रमिक मजदूर सघ अधिनियम 1926, के लिए श्रमिक है, सम्बन्धित मजदूर संघ पंजीयक द्वारा किया जाता है ।

Refugees from foreign Countries

7088 Shri S. D. Singh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which refugees came to India during the last two years prior to influx of Bangla Desh evacuees, indicating the number thereof country wise ; and

(b) the names of the place where those refugees have been rehabilitated and the arrangements made for their permanent settlements end employment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R: K. Khadilkar) : The names of the countries from which the refugees came to India during the last two years prior to influx of Bangla Desh refugees and their number country-wise are as specified below :-

Conuctry	No, of refugees
Pakistan	2,66,585
Burma	13,861
Ceylon	17,867
Tibet ...	209

(b) **Pakistan** : A great majority of migrants from Fast Pakistan being agriculturists, are being resettled **in agriculture** at various rehabilitation projects in different states viz., Betul, Surguja and Panna in Madhya Pradesh : Chanda project in Maharashtra; Isagaon project in Andhra Pradesh and Sindhanaur project in Mysore, as well as in the Dandakaranya project and in Andaman & Nicobar Islands. The remaining migrants are being resettled in small trades, in industrial units, etc., in various states. The Central Government are also endeavouring to locate sufficient lands for the resettlement of the migrants, who are now living in Camps.

Burma : Most of the refugees from Burma originally belonged to the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal and Uttar Pradesh. The repatriates are, therefore, sent to the states of their origin for resettlement a far as possible, on the basis of the entries made in their travel documents by the Embassy of India, Rangoon For their resettlement, the repatriates are advanced loans for starting business as well as for agriculture, depending on their profession. They are also given educational concessians, house building loans and other financial assistance in accordance with approved scales.

Ceylon : About 90 %. of the Ceylon repatriates are plantation workers. They are, therefore, being resettled in Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu and Andaman & Nicobar Islands in rubber, tea and coffee, etc., plantation schemes, some of which have already been sanctioned. The repatriates other than plantation workers are given rehabilitation assistance in the form of business loans, housing loans and allotment of land for their resettlement in agrieulture and educational concessions etc.

T bet : The 209 refugees who entered India during the last years have been sent to Mundgod and Bylakuppe agrcultural settlements in Mysore for rehabilitation.

Acreage of V sted Khas and Benami land and their Distribution to to landless and small peasants in Maldah, West Bengal

7089. Shri Dinesh Joardar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) the total acreage of vested, khas and benami land that was distributed to the landless and small peasants in the District of Maldah, West Bengal during 1969 and 1970;

(b) the acreage of the same that was again taken forcibly by jotedars and landlords in 1971; and

(c) the steps Government are going to take to protect these poor peasants in retaining those land in their possession?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P, Shinde): (a) to (c); Information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha.

पंचायत निदेशक, पश्चिम बंगाल का स्थानान्तरण

7090. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत निदेशक, पश्चिम बंगाल को अनायास ही स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंचायत निदेशक, पश्चिम बंगाल के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को सामान्य अनुक्रम में स्थानान्तरित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Observance of company rules and labour welfare rules in textiles and allied Industries research organisations, Baroda

7091. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether hundreds of labourers have been working for the last many years in the Textiles and Allied Industries Research Organisation, Baroda, which is engaged in the improvement of equipments used by textile industry and its allied industries; and

(b) whether the company rules and the labour welfare rules are not observed there; if so, the main reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) The required information is being collected and will be placed on the table of the Sabha as early as possible.

Deposit of Employees Provident Fund. Contribution by Textiles and allied Industries Research Organisation, Baroda

7092. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of employees in respect of whom Provident Fund contributions have been deposited by the Textiles and Allied Industries Research Organisation so far and the number of times bonus has been paid to them since the inception of the said company; and

(b) the amount of grants so far given by the State and the Central Government to the said company since its inception for enhancing the wages of the labourers?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The Textiles and Allied Industries Research Organisation, Baroda has not been covered under

the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and as such no provident fund contribution has been deposited by them. As regards payment of bonus to the employees no information is available.

(b) Information is not available.

Camp allowance to Scavengers in Mana Refugee camp, Raipur, Madhya Pradesh

7093, **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Camp Allowance is not paid to the Scavengers working in Mana Refugee camp Mana, District Raipur, Madhya Pradesh ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether this allowance is paid to other employees ;

(c) whether the Raipur Branch of the Labour Union has drawn the attention of Government in this regard ; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R K. Khadilkar) : (a) Camp Allowance is being paid to the scavengers working in Mana Group of Transit Centres, Mana, Raipur (Madhya Pradesh).

(b) Yes, Sir, excepting Head Masters of Primary Schools and Primary Teachers.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए योजना

7094. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई राज्यवार योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो बनाई गई योजनायें क्या हैं और सरकार से इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चौथी योजना के केन्द्रीय तथा राजकीय क्षेत्रों में पशु विकास तथा डेरी योजनायें तैयार की जाती हैं। ये योजनायें वैज्ञानिक प्रजनन. बेहतर प्रबन्ध, पशु चिकित्सा सम्बन्धी देख-रेख, उचित विपणन सुविधाओं और भूसा तथा चारे के विकास से सम्बन्धित है। कार्यान्वित होने वाली कुछ मुख्य योजनायें सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित है।

सघन पशु विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत पशु विकास के समस्त पक्षों की ओर ध्यान देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और विदेशी सांडों से सकर प्रजनन पर अधिक बल दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सघन पशु विकास परियोजनायें चालू नहीं है वहाँ आदर्श ग्राम खण्ड खोले जा रहे हैं। 'आपरेशन फ्लड' परियोजना, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार मुख्य महा नगरों में दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति में वृद्धि करेगी, 10 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में

पशु विकास कार्य को भी आयोजित करेगी। इससे दुग्ध उत्पादन के कार्य को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए मुख्य योजनायें

1. सघन पशु विकास परियोजनायें।
2. आदर्श ग्राम खंड।
3. स्थानीय पशुओं में दुग्ध उत्पादन हेतु विदेशी वंशागति के प्रयोग के लिए संकर प्रजनन की योजना।
4. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
5. दाना-चारा विकास योजनायें।
6. गोशाला विकास योजनायें।
7. बड़े पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना और सांडों का नस्ल का परीक्षण।
8. 50,000 और उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिए दुग्ध वितरण योजनायें।
9. ग्रामीण डेरी केन्द्र।

गत दस वर्षों में श्रमिकों की संख्या में कमी होना

7095. **श्री श्यामनन्दन मिश्र:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961-62 की दशाब्दी में श्रमिकों की कुल संख्या में 50 लाख श्रमिकों की कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

मैसूर में बेरोजगारी

7096. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में 31 मार्च, 1971 को विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ; और

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में बेरोजगारी दूर करने लिए कोई कदम उठाये हैं, और यदि हाँ तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी उन काम चाहने वालों (जिनमें से सबका बेरोजगार होना जरुरी नहीं है) की संख्या से सम्बन्धित है जिनके नाम मैसूर के रोजगार कार्यालियों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे। यह संख्या 31-3-71 को 2,40,204 थी। इनका वर्गानुसार विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

(एक) ग्रेजुएट (जिसमें इन्जीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति भी शामिल है)	20,951
(दो) दस्तकार/शिशु और अन्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति ।	3,884
(तीन) मैट्रिक पास	1,02,179
(चार) अन्य	1,13,190

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को बनाते हुए बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखा गया है और इन कार्यक्रमों को इस तरह बनाया गया है जिससे (मैसूर राज्य सहित) देश में अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाये जा सकें । निर्बल वर्ग और क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ कि यह समस्या बहुत जटिल है कुछ विशेष कार्यक्रम बनाये गये हैं । जिनका उद्देश्य आमदनी की क्षमता को बढ़ाना एवं नियुक्ति अवसर जुटाना है । इन कार्यक्रमों पर 1970-71 से अमल हो रहा है । ये योजनायें जो कि मैसूर राज्य में भी लागू की जा रही हैं, छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसियों, सीमांत किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए एजेंसियों, सतत् सूखा पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण कार्यों, अजल खेती योजनाओं और सिंचाई योजना के कमांड क्षेत्र में क्षेत्र विकास कार्यों से सम्बन्धित है । चालू वित्त वर्ष में एक विशेष कार्यक्रम यथा देहाती क्षेत्रों में बेरोजगार की विशिष्ट योजना (*क्रेश स्कीम*) मैसूर राज्य सहित देश भर में आरम्भ की गई है । इसके फलस्वरूप प्रत्येक जिले में एक हजार अतिरिक्त लोगों को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे ,

इसके साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों को विशेष रूप से तकनीकी योग्यता रखने वालों को कुछ सहायता देने के लिए मैसूर सरकार ने कई विशेष योजनायें भी आरम्भ की हैं । इनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं ।

(1) शिक्षितों बेरोजनारों को नियुक्ति सहायता देने तथा राहत देने के लिए प्रायोगिक योजना ।

इस योजना के अधीन राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में 465 इन्जीनियरों 480 इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा रखने वालों और 560 कला एवं विज्ञान के स्नातकों को एक वर्ष के लिए काम पर लगाने की व्यवस्था है ।

(2) बेरोजगारी इन्जीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के लिए राज्य वृत्ति सहित प्रशिक्षण की योजना ।

इस योजना के अधीन 175 इन्जीनियरी स्नातकों और 175 इन्जीनियरी के डिप्लोमाधारियों को राज्य में सरकारी तथा निजी औद्योगिक एककों में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षणात्मक नियुक्ति की सुविधा जुटाई गई है ।

(3) प्रायोगिक "कस्टम सर्विस" योजना ।

इस योजना का उद्देश्य तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अपना निजी कार्य आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

(चार) प्रमाण-पत्र प्राप्त दस्तकारों के स्व-नियोजन के लिए योजना।

इस योजना के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त दस्तकारों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध मशीनरी और साज सामान को रियायती दरों पर उपयोग करने की सुविधा प्राप्त है ताकि वे बाजार से मिला हुआ काम पूरा कर सकें।

(पांच) प्रशिक्षित दस्तकारों को स्व-नियोजन के लिए गहन प्रशिक्षण की योजना।

इस योजना के अधीन महत्वपूर्ण व्यवसायों में आठ से चौबीस सप्ताह के अल्पकालिक पाठ्यक्रम का चुने हुए स्थानों पर आयोजन किया जायेगा।

(छः) इन्जीनियरों के लिये वृत्ति विहीन प्रशिक्षण योजना।

इस योजना द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग मैसूर विद्युत बोर्ड और मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम में कम से कम 100 सिविल इन्जीनियरों, 25 इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरों और 25 मैकेनिकल इन्जीनियरों को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हैं।

(सात) बेरोजगार इन्जीनियरी-स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को राज्य सरकार के कोटे में से मोटरकारों और आटो रिक्शाओं के आवंटन की योजना।

इस योजना में बेरोजगार इन्जीनियरी-स्नातकों और डिप्लोमाधारियों में स्व-नियोजन की भावना को विकसित करने के लिए मोटरकारों और आटो-रिक्शाओं के सरकारी कोटे में से 10 प्रतिशत के आवंटन की व्यवस्था है।

(आठ) लोक निर्माण विभाग से ठेका लेने के इच्छुक बेरोजगार सिविल इन्जीनियरी-स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के लिए बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(नौ) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा चिकमगलुर जिले में बेरोजगार स्नातकों को बसाने की योजना जिसमें वे उन्नतिशील कृषि स्नातक किसान के रूप में विकास करें।

(दस) बंगलोर, हुबली, बेलगाम, मंगलोर और मैसूर में औद्योगिक शैड् बनाकर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता की योजना।

Employees Provident Fund dues with Textile Industry

7097. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of Provident Fund deposited by the textile industries in the country during the last two years ;

(b) the total amount of Provident Fund which was required to be deposited by the textile industries during the said period ?

(c) the names of the textile mills which have not deposited their amount ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to ensure that the textile mills deposit the outstanding amount of Employees Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) ; (a) to (d) The administration of the Employees, Provident Fund in the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees, Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund Authorities have intimated that requisite information is being collected from the Regional Provident Fund Commissioners. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Labourers working under contractors in National Coal Development Corporation

7098: **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the labourers work under the contractors in the National Coal Development Corporation if so, the number thereof : and

(b) Whether the award of the Coal Wage Board has been made applicable to the labourers working under the said [contractors if so, the number of labourers who have been benefited from the said award ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) 4006 labourers work under contractors in the National Coal Development Corporation.

(b) 1775 contractors labourers engaged in coal loading and transportation work get the benefit of the recommendations of the Coal Wage Board. The remaining 2231 labourers working in civil construction works do not get such benefits.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की सेन्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजायन ब्यूरो द्वारा इस्पात संयंत्र का डिजायन और इन्जीनियरिंग सम्बन्धी कार्य करना

7099. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सेण्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो को केवल डिजाइन और इन्जीनियरिंग सम्बन्धी कार्य के लिए पृथक् संगठन बनाया जायेगा ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त सुझाव कहां तक सहायक होगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इन्जीनियरों तथा रूपांकन ब्यूरों को एक पृथक संगठन बनाने के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में ही अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

(ग) इसके वर्तमान विस्तृत कार्यों तथा इसकी भावी भूमिका को देखते हुए प्रस्तावित

परिवर्तन का उद्देश्य यह है कि ब्यूरों को सलाहकार संस्था के रूप में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जाय।

Misuse of EPF by Factories or companies in Madhya Pradesh

7100. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of factories or companies in Madhya-Pradesh against whom action has been taken by Government for not contributing their share to the Employees, Provident Fund in time or misusing the said Fund for their personal work ;

(b) the names of the said companies ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) The administration of the Employees 'Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees 'Provident Funds and Family Pension Fund Act. 1952 and is not the direct concern of the Central Government. A statement showing the names of the un-exempted establishments in Madhya Pradesh which defaulted in payment of Provident Fund contributions of Rupees one lakh and above as on 31-3-1971 together with the action taken to recover the amount as furnished by the Provident Fund authorities is attached. **[Placed in library. See No. LT. 816/71]**

Influx of Refugees from Bangla Desh

7101. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state .

(a) whether about 70 lakhs refugees have crossed over to India from Bangla Desh so far ;

(b) the names of the States where these refugees are being sent ;

(c) the number of camps set up in each State for accomodating these refugees at present separately : and

(d) the number of refugees proposed to be kept in each camp ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) As on 31 7-1971, 71,44,383 refugees are reported to have crossed over to India from East Bengal.

(b) In order to relieve pressure in West Bengal and Tripura it has been decided to remove substantial number of refugees who have chosen to take shelter in camps to other States. From West Bengal, refugees are being moved at present to Central Camps in the State of Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. From Tripura the refugees are being moved to Central Camps in Assam.

(c) 1,029 camps have been set up in the following States upto the 24th July, 1971 :—

State	State Camp,	Central Camp.	Total
West Bengal	463	4	467
Tripura	401	4	405

Meghalaya	17	—	17
Assam	129	2	131
Bihar	4	1	5
Madhya Pradesh	—	3	3
Utter Pradesh	—	1	1
	1014	15	1029

In addition, a staging camp in Assam is also functioning

(d) In the camps run by the State Governments the number of refugees in each camp would depend upon the organisational facilities for relief operations and the availability of land. In regard to the Central Camps, however, normally each camp will have accomodation for 50,000 persons. Depending upon the availability of land more than one camp may also be established at the same site.

Rehabilitation of Bangla Desh Refugees on Gandhi Sagar dam site in Madhya Pradesh

7102. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Bangla Desh refugees who have been shifted or are proposed to be shifted to Gandhi Sagar Dam site in Madhya Pradesh ;

(b) the number of those refugees who came over to India before the developments in Bangla Desh and were transferred from the Mana camp and settled on the aforesaid place; and

(c) the facilities made available to such refugees there at present ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir

(b) According to the imformation available, 138 fisherman families of 1970 influx were moved from Mana Camp to Gandhi Sagar Dam site in Madhya Pradesh.

(c) The following facilities are provided to these fisheman families at the rehabilitation sites.

'Loan'

(1) Fishing nets made of Nylon at the rate of 20 nets per family (ten will be given in the Ist year and ten in the 2nd year) @ Rs. 1,000/-per family.

(2) Floats and Dori for the net @Rs. 250/—per family.

(3) Advance Royalty to Fisheries Department @ Rs. 15/—per family.

(4) Housing loan @ Rs. 1,250/-per family.

(5) Mechanised Boats of 30' with Bukh or Torpedo Marine diesel engine.

(6) Fishing Boats 11' x 2' x 1⅛'.

(7) P. O. L. for maintenance of Boats.

'Grant'

(1) Jeep pick-up van for transport of fish,

(2) Walkie Talkie Sets,

(3) A maximum maintenance assistance for 3 months @ Rs. 10/- per month per family.

Steps for Increase in Production of Cotton. Groundnut, Oilseeds and Sugareane

7103. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the production of cotton. groundnut, other oilseeds and sugarcane has declined in the country during the past three years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government to increase their production ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : The following statement gives the production of cotton, groundnut, other oil-feeds and sugarcane during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 and that of groundnut during 1970-71.

Crop	1967-68 (P)	1968-69 (P)	1969-70	1970-71
Cotton (1000 bales of 180 KGs)	5454	5144	5233 (F)	N. A.
Groundnut (1000 tonnes)	5731	4631	5130 (P)	6065 (F)
Other Oilseeds (1000 tonnes) (Castorseed, sesamum repeseed-mustard and linseed)	2572	2214	2465 (F)	N. A.
Sugarcane (Gur) (1000 tonnes)	9786	12826	13438 (F)	N. A.

During 1968-69 production of the above crops (excepts sugarcane) showed a fall compared to the previous years. However, during 1969-70, production of all these crops registered an increase over 1968-69. The decline in production during 1968-69 was mainly caused by erratic weather at the sowing time during the period of growth of the crops.

During 1970-71, production of groundnut is substaintially higher than that in the previous year. However, production of cotton is estimated at a lower level due to adverse weather conditions. In the case of sugarcane, production durirg 1970-71 is estimated to be marginally different from that in 1969-70.

(c) The tempo of work under the existing intensive cultivation schemes is being accelerated. Considerable stress has been laid on research under coordinated improvement schemes. In the case of cotton, a new scheme for Intensive Cotton. District Programme formulated on the lines of the intensive Agricultural District Programme (IADP) with an outlay of Rs. 14.74 crores has been approved by the Government of India. A hybrid variety of cotton (Hybrid—+) which has a considerable potential of increased production is being

(P) – Partially revised estimate

(F) – Final Estimate

N.A. – Not yet available.

extended to suitable areas, Besides raising the production of traditional oilseeds, specific schemes have been put into effect for the cultivation of non-traditional crops such as soya-bean and sunflower. It would help in raising the total production of oilseeds.

बिल्लेट्स का आयात

7104. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० पिछले कुछ समय से 5000 टन इलेक्ट्रोड की किस्म के बिल्लेट्स का आयात करने में विफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने बिल्लेट्स के आयात अथवा उसकी स्थानापन्न वस्तु के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क से (ग) : अप्रैल 1971 में हिन्दुस्तान स्टील लि० को 5,000 टन इलेक्ट्रोड की किस्म के बिलेट आयात करने की सलाह दी गई थी। पूर्व इसके कि इस मात्रा के लिए विस्तृत विशिष्टियाँ प्राप्त की जा सकती तथा बंटन आदेश जारी किए जा सकते, सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि बिलेट का आयात मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० की मार्फत किया जायेगा। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा तथा सभी सम्बन्धित जानकारी दे दी है।

राष्ट्रीय नीति के अनुरूप भूमि में सुधार करने के बारे में राज्य सरकारों के विचार

7105. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री 8 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने भूमि की सीमा को घटाकर और परिवार के अनुसार भूमि की सीमा निर्धारित कर काश्तकारी को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बनाया है ; और

(ख) अन्य राज्य सरकारों द्वारा इसकी क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और उसको अविलम्ब राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बताने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में हाल ही के संशोधनों से भूमि की अधिकतम सीमा स्तर को सिंचित क्षेत्रों में 25 एकड़ से घटाकर 12·4 एकड़ (5 हैक्टार) और अन्य क्षेत्रों में 17·3 एकड़ (7 हैक्टार) कर दिया गया है। यह सीमा किसी परिवार के समस्त रैयतों के अधीन कुल क्षेत्र पर लागू होगी। असम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 एकड़ से घटाकर 25 एकड़ कर दी गई है। केरल में एक परिवार के लिए भूमि की सीमा स्तर को घटाकर 10 मानक एकड़ (12 से 15 साधारण एकड़) कर दिया गया था। तमिल नाडु में भी अधिकतम सीमा स्तर को 30 मानक एकड़ (24 से 120 साधारण एकड़) से घटाकर 15 मानक एकड़ (12 से 60 साधारण एकड़) करने के विषय में पहले ही कानून बना लिए गये हैं।

प्रधान मन्त्री और मन्त्री (कृषि) समय-समय पर इस मामले में राज्य सरकारों से पत्र-

व्यवहार करते रहे हैं। मुख्य मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सीमा कानूनों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के पास भेजा जाना चाहिए। 3 अगस्त, 1971 को हुई अपनी बैठक में समिति ने कुछ निर्णय किये थे। अब राज्य सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि वे इन मार्ग-दर्शनों के अनुरूप अपने कानूनों में संशोधन करें।

पश्चिम बंगाल में पतमोहना कोयला खान की छत का गिरना

7106. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई, 1971 को पश्चिम बंगाल में पतमोहना कोयला खान की छत बैठ जाने के कारण एक श्रमिक उसके नीचे दब कर मर गया था ;

(ख) कोयला खानों के सुरक्षा निदेशक ने ऐसी दुर्घटनाओं को पहले ही रोकने के लिए क्या कार्यवाही की थी ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां। दुर्घटना 9 जुलाई, 1971 को घटी।

(ख) और (ग) : ऐसे पतन को रोकने के लिए भूमि-गत कार्य चालनों की गैलरियों की चौड़ाई के बारे में साविधिक सीमायें निर्धारित की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान घटना में इन सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने के कारण प्रबन्धकों के विरुध खान-सुरक्षा के महा निदेशक द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है। खान अधिनियम, 1952 के अधीन एक आदेश भी जारी किया गया है जिसके द्वारा गैलरियों को भरने और छत को सहारा देने के लिये ऐसे श्रमिकों को छोड़कर जिनका वहां कार्य करना आवश्यक है, इस क्षेत्र में श्रमिकों को काम पर लगाना मना कर दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का खपाया जाना

7107. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि यदि वे निगम की सेवा में स्थाई रूप से रहना चाहें तो उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से खपाये जाने के लिये कोई अनुरोध मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सामान्यत: प्रतिनियुक्तों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि खाद्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों, को भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं,

सरकार की सामान्य नीति के अनुसार निगम की सेवा में स्थायी तौर पर खपने का वैकल्प दिया जाना चाहिये।

(ख) खाद्य विभाग सचिवालय के प्रतिनियुक्तों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रतिनियुक्तों की खपत के बारे में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये मार्ग-दर्शन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे स्टाफ को, जिन्हें ऐसी खपत के लिए उपयुक्त समझा जाता है, को स्थायी तौर पर खपाने का वैकल्प दिया गया है :

पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों सम्बन्धी विकास एजेंसी और सीमान्त किसान कृषि श्रम योजना में मालदह और कूच बिहार का सम्मिलित किया जाना

7108. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों सम्बन्धी विकास एजेंसी और सीमान्त किसान कृषि श्रम योजनायें पिछले प्रदेशों और क्षेत्रों के लिए हैं,

(ख) यदि हां, तो इन दो योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या वे योजनायें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदह जिलों पर भी, जिनको राज्य के पिछड़े हुये जिला माना गया है सामान रूप से लागू होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन दो योजनाओं में उक्त दो जिलों को सम्मिलित करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) जी नहीं। छोटे किसानों की विकास एजेंसी की योजना छोटे किसानों के लिये है, जो कि संभाव्य सक्षम हैं और जो उन्नत तकनीकों, आदानों की सहायता, सिंचाई आदि से अविशेष उत्पादक होंगे। इन योजनाओं के लिये गठित क्षेत्रों के चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्ड हैं :

(1) जिस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता वाले पर्याप्त छोटे सम्भाव्य क्षमता के किसान हों ;

(2) सहकारी संस्थाओं तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंक की अवस्थापना काफी सुदृढ़ हो और जो ऋण कार्यों को जिनकी आशा है, प्रारम्भ करने के लिये योग्य हों, तथा

(3) क्षेत्र में सतह सिंचाई या भूमिगत जल सम्भाव्यता विद्यमान हो।

सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूरों की योजना का कार्य छोटी जोत के अधिकतम उत्पादक के उपयोग के लिये डेरी, कुक्कुट-पालन, आदि जैसे गौण व्यवसायों से सीमान्त कृषकों की सहायता करना है। सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों को इन गौण क्रिया-कलापों से पूरक आय तथा अधिक रोजगार के अवसर की व्यवस्था करने पर बल दिया जा रहा है। इन योजनाओं के लिये क्षेत्रों के चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्ड हैं :

(1) क्षेत्र में कृषि मजदूर तथा सीमान्त कृषक काफी हों ;

(2) क्षेत्र के शहरी केन्द्र अथवा विकसित या विकसित होने वाले उपभोग केन्द्र से पहुंच होनी चाहिये, जिसमें भागीदारों को बेमौसम के समय रोजगार प्रदान करने की सम्भाव्यता हो और या दुग्ध, अण्डे, कुक्कुट, मछली, आदि जैसे उत्पादों के लिये, जिनके उत्पादन को क्षेत्र में तीव्र किया जाना है, लाभप्रद बाजार की व्यवस्था हो ,

(3) वन, खनिज केन्द्रों के निकट कुछ पिछड़े, आदिवासी क्षेत्र भी छांटे जायेंगे । इन क्षेत्रों में गौण वन उत्पादों, इमारत की लकड़ियों का गिराना, उत्खनन, मधु-मक्खी, पालन, पशु पालन तथा कुक्कुट कार्य कलापों और मछलियों आदि के संग्रह, परिसंस्करण, तथा विपणन द्वारा रोजगार के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था की जा सकती है ,

(4) सहकारी समितियों जैसी संस्थागत एजेन्सियों की अवस्थापना उपलब्ध है अथवा क्षेत्र में विकसित की जा सकती है, जिससे कि परियोजना के साझीदारों को संयुक्त गतिविधियों के उद्देश्य से एक साथ मिलाया जा सके ; और

(5) क्षेत्र को एक ही जिले अथवा एक जिले से अधिक क्षेत्र में फैले हुये निकटस्थ क्षेत्र में निर्धारित किया जा सकता है, जिसकी कि एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में सुविधापूर्वक देख-भाल की जा सके ।

सीमित संख्या में कुछ परियोजनायें अर्थात् 46 लघु कृषक विकास एजेन्सियाँ और 41 सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनायें, इन योजनाओं के अन्तर्गत चतुर्थ योजना में मार्ग-दर्शी परीक्षण के रूप में प्रारम्भ की गई हैं । ये परियोजना क्षेत्र राज्य सरकारों के परामर्श से छांटे गये हैं । पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर, दार्जिलिंग, तथा हुगली जिलों की लघु कृषक विकास एजेंसी के लिये तथा पुरुलिया और बंकुरा को सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाओं के लिये छांटा गया है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में दलालों के माध्यम से धान का खरीदा जाना

7109. **श्री एम॰ सत्यनारायण राव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में करीम नगर में भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानों से धान नहीं खरीद रहा है ।

(ख) यदि हां, तो दलालों के माध्यम से धान खरीदने और इस प्रकार किसानों को उचित मूल्य से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या किसानों ने निगम के कर्मचारियों के असहयोगपूर्ण रवैये के विरुद्ध जिला कलक्टर से कोई शिकायत की है ; और

(घ) सीधे किसानों से धान खरीदने और करीमनगर में निगम के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी॰ शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय

खाद्य निगम अब करीम नगर, आन्ध्र प्रदेश में किसानों से सीधे ही धान की खरीदारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर खरीदारी कार्य करने के कारण निगम ने खरीफ फसल के मौसम में एजेंटों के माध्यम से धान खरीदा था। खरीदारी निगम के कर्मचारियों की देख-रेख में की गई थी। रबी फसल से, धान की खरीदारी एजेंटों के माध्यम के बिना सीधे की जा रही है। सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य किसानों को दिये गये थे लेकिन किस्म सम्बन्धी कटौती काट ली जाती थी।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) रबी की फसल से सीधी खरीदारी का कार्य शुरु किया जा चुका है।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी में प्रतिनियुक्ति अधिकारी

7110. **श्री एस० ए० शमीम : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी में प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने विशेषज्ञों को देश से बाहर से आमन्त्रित किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस समय 5 अधिकारी त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० में प्रतिनियुक्ति पर गये हुये हैं।

(ख) कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये आस्ट्रिया से 18 विशेषज्ञ भेजने को कहा था तथा इस काम के लिए वायस्ट ने 3 विशेषज्ञ अपने खर्च पर अल्पावधि के लिए भेजे थे।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी में भर्ती और पदोन्नति के आधार

7111. **श्री एस० ए० शमीम : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी में भर्ती और पदोन्नति के आधार क्या है ?

(ख) क्या 1300-1600 रुपये के वेतनमान में नियुक्त अधिकारियों को त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर की योग्यताएं प्राप्त हैं ; और

(ग) कम्पनी का वर्तमान संगठनात्मक ढाँचा क्या है और इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के आधार पर कम्पनी ने भर्ती तथा पदोन्नति के अपने नियम बनाये हैं। कम्पनी में भर्ती तथा पदोन्नतियां इन्हीं नियमों के अनुसार की जाती हैं।

(ख) जी हाँ, दो मामलों को छोड़कर, जिनमें निदेशक मंडल की अनुमति से केवल अनुभव के लिये निर्धारित किये गये स्तर में छूट दी गई थी।

(ग) वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में कम्पनी में एक प्रबन्ध निदेशक है जिसके अधीन चार स्कन्ध हैं—अर्थात् वाणिज्यिक, तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासकीय, जिनका प्रबन्ध क्रमशः महा-

प्रबन्धक (वाणिज्य), महाप्रबन्ध (तकनीकी) वित्तीय-प्रबन्धक तथा सचिव एवं प्रशासकीय अधिकारी करते हैं।

कम्पनी को आरम्भिक वर्षों में अर्थात अगस्त, 1968 से, जब से इसने कार्य करना शुरु किया है, घाटा हो रहा है। यद्यपि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथापि वर्ष 1971-72 में भी इसे लगभग 49 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी, मार्च, 1972 तक उत्पादन दर हानि-लाभ सम स्तर तक पहुंच जायेगी और इसके बाद कम्पनी को लाभ होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ से ज्ञापन

7112 **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ से उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन अथवा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है

(ख) यदि हां, तो कामगरों की मुख्य मांगें क्या हैं, और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांगें हैं :-

(1) सभी तंग करने की कार्यवाहियों की समाप्ति ;

(2) छंटनी किए गये सभी कर्मचारियों की बहाली।

(3) कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की समुचित कार्यान्वित ;

(4) पृथक्करण के कारण पर विचार किये बिना सभी कर्मचारियों को उपदान की अदायगी ;

(5) सभी कर्मचारियों को मुफ्त डाक्टरी इलाज ;

(6) मुफ्त शिक्षा-सुविधायें और शिक्षा-शुल्कों की प्रतिपूर्ति ;

(7) तरक्की के अधिक अच्छे मार्ग ;

(8) वर्तमान सेवा-शर्तों में सुधार ;

(9) ठेकेदारों और बिचौलियों की प्रणाली का उन्मूलन ; और

(10) कोयला मजदूरी बोर्ड पंचाट में दिये वर्गीकरण के अनुसार सभी नैमित्तिक और एवजी मजदूरों का विनियमन।

(ग) समझौता कार्यवाहियां शुरु की गई हैं और वे जारी हैं।

केरल के भूगर्भीय मानचित्र का प्रकाशन

7113. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल राज्य के भूगर्भीय मानचित्र का प्रकाशन किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वह कार्य पूरा हो जायेगा ।

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1 : 1 मिलियन के मापमान पर तैयार किया गया केरल का भूवैज्ञानिक मानचित्र मुद्रित किया गया है और समस्त सम्पृवक्तों को परिचालित किया जा रहा है ।

तुमकुर जिला, मैसूर में ग्राम्य रोजगारी सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम

7114. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत तुमकुर जिले के बारे में राज्य सरकार से मई, 1971 के अन्त में 11.25 लाख रुपये की लागत के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । योजनाओं का प्रकार, उनकी अनुमानित लागत, मजदूरी का भाग तथा पैदा होने वाला सम्भावित रोजगार नीचे दिया गया है :

योजना का प्रकार	अनुमानित लागत	मजदूरी का भोग लाख रुपये में	रोजगार श्रम-दिनों में (लाख रु०)
1. लघु सिंचाई	5.05	4.09	1.26
2. वनरोपण	0.45	0.37	0.11
3. ग्रामीण संचार-व्यवस्था	5.65	4 45	1.53
	11.25	9.00	3.00

इन योजनाओं को सम्बन्धित तकनीकी विभागों के मार्गदर्शन में तालुक विकास बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित करने का विचार है । सामुदायिक विकास विभाग ने 22 जून, 1971 को अपनी मंजूरी सूचित की और आवश्यक धनराशि राज्य सरकार को दे दी गई है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का इस्पात का उत्पादन

7115. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में चालू वर्ष के लिए इस्पात उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों में उनमें वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) क्या लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने वर्ष 1971-72 में भिलाई, दुर्गापुर, तथा राउरकेला के तीनों इस्पात कारखानों के लिए 47.5 लाख टन पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ख) अप्रैल-जुलाई 1971 के महीनों में इन कारखानों का कुल उत्पादन 11.23 लाख टन हुआ ।

(ग) उत्पादन में अब तक हुई कमी, राउरकेला में हाल ही में हुई दुर्घटना तथा अन्य रुकावटों को देखते हुए लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा ।

Production and Distribution of Seeds in Madhya Pradesh

7116. **G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrangements made by the Seeds Corporation in Madhya Pradesh for production and distribution of seeds , and

(b) the number of farmers in Madhya Pradesh registered by the Seeds Corporation for extending help in production of seeds and in increasing their production ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The National Seeds Corporation arranged production of certified seeds in Madhya Pradesh on an area of 2825 acres during 1970-71 comprising mainly wheat, paddy, cotton, soyabean etc. During the current season seed production programme over 3,200 acres is being arranged in Madhya Pradesh.

In Madhya Pradesh the Corporation has set up 5 sale depots which directly supply the seed to the farmers. The Corporation has also appointed 33 dealers who are engaged in distribution of seeds. In addition to sale counters and dealers, supplies are effected directly to the State Government and Cooperative Societies. Before the season starts the stock position is reviewed and stock of different varieties of seeds are moved in time to all the sale counters as well as dealers in deficit areas.

(b) In Madhya Pradesh the Corporation has registered 312 certified seed growers for contract production for the Corporation during 1970-71.

Timber production in Timarni, M. P.

7117. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the yield of timber in Timarni area of Hoshangabad district in Madhya Pradesh and its annual production during the last three years , and

(b) whether any special efforts are being made to increase the timber production in the said area and if so, the details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) & (b) The necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Lok Sabha,

Increase in per acre yield of paddy in Madhya Pradesh

7118. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the maximum production of paddy per acre in Madhya Pradesh during 1969-70 and the comparative figures of various States and Union Territories in this regard and the details of the incentives being given to increase the per acre production of paddy in Madhya Pradesh ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Information has been called for from different States and Union Teritories and would be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

Acreage of land under major and minor Irrigation Projects in Madhya Pradesh during 1970-71

7119. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state -

(a) the total acreage of land under cultivation in Madhya Pradesh and the acreage of land covered by irrigation facilities ; and

(b) the details of the schemes for increasing the acreage of land covered by irrigation facilities in Madhya Pradesh under major and minor projects during 1970-71 and also the schemes proposed to be under taken during 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) According to the latest statistics which is available for the year 1959-70 about 183.90 lakh hectares (net) were under cultivation in Madhya Pradesh. During the same period about 14.31 lakh hectares (net) were provided with irrigation facilities.

(b) Minor Irrigation schemes taken up in Madhya Pradesh during 1970-71 or proposed to be undertaken during 1971-72 comprise construction of dug wells, boring of dug wells, deepening of dug wells, installation of shallow tubewells, pumpsets, persian wheels and State Tubewells and construction of storage and diversion works. Major schemes include Chambal Stage I & II, Barna, Tawa, Hasdeo a Hasdeo (Right Bank canal). In addition 26 medium Irrigation schemes were under execution during 1970-71. Work on 14 out of these 26 schemes will continue during 1971-72 and 8 additional new schemes will be taken up.

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पशुपालन के विकास के लिए पशुओं का आयात

7120. **श्री एस० राधा कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत देश में पशु पालन के विकास के लिए कितने पशुओं का आयात किया गया ;

(ख) चालू वर्ष में इस प्रकार की नस्ल के कितने पशुओं के आयात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन नस्लों के पशुओं का वितरण किस प्रकार किया जावेगा और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जावेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) 300 जर्सी ढोर।

(ख) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत लगभग 600 जर्सी ढोरों की मांग की गई है।

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये 300 जर्सी ढोरों की निम्नलिखित राज्यों/संस्थाओं को विपरीत किया गया था :

राज्य का नाम/संस्था	जर्सी (नर)	जर्सी ओसर
1. हरियाणा	3	90
2. जम्मू तथा काश्मीर	2	45
3. हिमाचल प्रदेश	2	23
4. उत्तर प्रदेश	2	48
5. कृषि विश्वविद्यालय, असम	5	30
6, कृषि अनुसंधान संस्था, आनन्द, गुजरात राज्य ।	2	48
योग	16	284

विदेशी ढोरों का उपयोग संकर प्रजनन के उद्देश्यों के लिये सम्बन्धित राज्यों में वितरण हेतु अभ्यस्त जर्सी साँडों के उत्पादन के लिये किया जाता है ।

भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी चीनी कारखानों की संख्या

7121. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे गैर-सरकारी तथा सरकारी चीनी कारखानों की संख्या कितनी-कितनी है : और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कारखानों की कुल चीनी उत्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी चालू चीनी कारखानों की संख्या, उनकी चीनी के उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता और 1970-71 के मौसम में 22-7-1971 तक वास्तव में चीनी का उत्पादन नीचे दिया जाता है :-

वर्ग	1970-71 के दौरान कार्य कर रहे चीनी कारखानों की संख्या	चीनी के उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता (लाख मी० टन में)	1970-71 के मौसम में 22-7-71 तक चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन में)
गैर-सरकारी			
(ज्वाईट स्टाक /			
सहकारी समितियाँ	211	34.99	36.45
सरकारी	4	0.98	0.87

उपभोक्ता सहकारी समितियों का पुनर्गठन

7122. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सहकारी समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम गत वर्ष आरम्भ किया गया था और उसके अन्तर्गत अलाभप्रद एक्कों को समाप्त कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रकार पुनर्गठित किये गये एक्कों की संख्या कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार छ: राज्यों और एक केन्द्रशासित क्षेत्र में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों के सर्वेक्षण किये गये हैं और अन्य पांच राज्यों में वे किये जा रहे हैं । छ; राज्यों और एक केन्द्रशासित क्षेत्र में 181 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां और दो थोक / केन्द्रीय सहकारी भण्डारों को परिसमापन के अन्तर्गत लाया गया है, 16 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को पुनर्गठित किया गया है और थोक भण्डारों की 15 अलाभकर शाखाओं को बन्द किया गया है ; अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में भी उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण एवं जीव्यता के सुधार करने के लिये भी उपाय किये गये हैं ।

एक समान पंचायत विधि

7123. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में एक समान पंचायत विधि बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसी कि सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में परामर्शदात्री परिषद की जुलाई, 1970 की हुई बैठक में सिफारिश की गई थी ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब से कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सामुदायिक विकास सलाहकार परिषद ने 7 जुलाई, 1970 की अपनी बैठक में यह सिफारिश नहीं की थी कि समग्र देश के लिए एक समान पंचायत विधान होना चाहिये । एक सदस्य ने महसूस किया कि देश में एक समान पंचायतीराज विधान होना चाहिये । बाद में सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग की संसद सलाहकार समिति की 28 जुलाई, 1970 को बैठक में एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि विधानीय अध्युपाय अधिनिमित किए जाने चाहिये, जिनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त शक्तियाँ तथा संसाधन विनिहित किये जायें, ताकि वे लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके इस बारे में सदस्य महोदय का ध्यान 1968 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया था कि पंचायती राज को लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में जारी रखा जाना चाहिये और दो स्तरीय अथवा तीन स्तरीय ढांचे का प्रश्न राज्यों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिये ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र में जिला सहकारी विपणन समितियों को रासायनिक उर्वरकों का आवंटन

7124. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में जिला सहकारी विपणन समितियों को ऋण एवं माल के आधार पर कितनी कीमत के रासायनिक उर्वरकों का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या जिला सहकारी विपणन समितियों ने, जिन्हें रसायन उर्वरकों का आवंटन किया गया था, उनकी कीमत का भुगतान किया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार को उर्वरकों के दुर्विनियोग के बारे में जानकारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : **(क) से (ङ)** सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मांगें

7125. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी बकाया मांगों को पूरा करने के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस बारे में कोई विचार विमर्श किया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी महासंघ से इस प्रकार की किसी कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महासंघ की 9 मांगों पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और महासंघ के प्रतिनिधियों में द्विपक्षीय वार्तायें हुई हैं । उसके बाद केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने इन माँगों की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की । समिति की ऐसी सिफारिशों पर जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो चुकी है, कार्यवाही शुरु कर दी गई है । वेतन-मानों और मकान किराया भत्ता में वृद्धि सम्बन्धी समिति की सिफारिशें बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

A creage of land under afforestation in Bihar

7126. **Shri Jagannath Mistra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state , the acreage of land in Bihar particularly in North Bihar, likely to be brought under afforestation under Forest development scheme during the Fourth Plan Period ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : The necessary information is being collected from the State Goverment and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

आन्ध्र प्रदेश में रामगिरि सोना खानों में खोज सम्बन्धी कार्य

7127. **श्री पी० गंगा रेड्डी :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में समागिरि सोना खानों की खोज सम्बन्धी कार्यों के लिए पुनः खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब से आरम्भ कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : रामगिरि स्वर्ण:खानों को स्वर्ण के उत्पादन के लिए पुनः चालू किए जाने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मंजूरी

7128. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी वर्ष 1962 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या तब से अब तक निरन्तर अभ्यावेदन देने के उपरान्त भी न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक मजूरी की दरों का पुनरीक्षण किया जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : छावनी बोर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी-दरें 1952 और 1954 में निर्धारित की गई थीं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत और कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया । तथापि, 1960 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट और 13-5-1969 को छावनी बोर्डों तथा उनके कर्मचारियों जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया, के बीच हुए समझौते द्वारा मजदूरी-दरों का पुनरीक्षण किया गया । इस व्यवस्था द्वारा छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के तदनुरूपी वर्गों के समान बना दिया गया है ।

(ग) 1970 में पुनरीक्षण के बाद, पंचाट और समझौते द्वारा पहले से ही मजदूरी-दरों में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम

दरों में संशोधन न करने का निर्णय किया गया है।

चन्डीगढ़ में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

7129. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये चण्डीगढ़ प्रशासन ने कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की थी, यदि हाँ, तो इसे राज पत्र में किस तारीख को प्रकाशित किया गया, और मजदूरी की निर्धारित दरें क्या थीं ?

(ख) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि श्रमिक विक्षेषतया ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिक इस कारण क्षुब्ध हैं कि उन्हें पर्याप्त मजदूरी, यहां तक की न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन ने भवन निर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है। तथापि, चण्डीगढ़ पशासन भूतपूर्व पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 1153-3-श्रम-11-60/5706, दिनांक 1 मार्च, 1960 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों को मान रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली की खली की कमी

7130. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे पक्षुदन के लिये खली की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने मूंगफली की खली पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) खली की उपलब्धि और विशेषकर देश में घुलनशील निस्सारित खली घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ; घरेलू खपत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : देश में पशुओं की आवश्यकता सम्बन्धी सभी संबद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा खली के लिये निर्यात नीति तैयार की जाती है। इसी संदर्भ में मूंगफली की खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों में पुंजीकृत बेरोजगार

7131. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में क्रमश: 30 जुन, को पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालियों में कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे , और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री० आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष	वर्ष में 30 जून को रोजगार कार्यालियों के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	वर्ष में नियुक्ति सहायता पाने वाले
1.	2.	3.
1969	4,44,016	23,270
1970	5,31,925	20,404
1971	7,45,889	8,897*

पश्चिम बंगाल में बन्द किए गये कारखानों तथा औद्योगिक संस्थान

7132. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिय बंगाल में 2 अप्रैल तथा 30 जून, 1971 के बीच बन्द होने वाले कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों के बन्द होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए ; और

(ग) क्या कुछ ऐसे कारखाने तथा औद्योगिक संस्थान हैं, जो इस बीच फिर से खोले गये हैं यदि हाँ, तो कितने, और इन कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पश्चिम बंगाल से बाहर भेजे गये बंगला देश के शरणार्थी

7133. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) पश्चिम बंगाल से बाहर भेजे गये बंगला देश के शरणार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या कुछ ऐसे शरणार्थी हैं, जिन्हें पश्चिमी बंगाल से दूसरे राज्यों में भेजा गया था और वे फिर से पश्चिम बंगाल में वापस आ गये हैं और यदि हां, तो कितने ?

* जनवरी से जून 1971.

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 3-8-1971 तक पश्चिम बंगाल से 1,47,049 शरणार्थी बाहर भेजे गये हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने के उपरान्त शरणार्थियों के वापस आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

बंगला देश के शरणार्थियों में अनाथ बच्चे

7134. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों में 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे कितने अनाथ बच्चे हैं जिनकी देख-रेख के लिये उनका कोई सम्बन्धी अथवा संरक्षक नहीं है ; और

(ख) ऐसे नवयुवक शरणार्थियों की देख-रेख के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) निरन्तर शरणार्थियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए शिविरों में रह रहे अनार्थी, जिनकी देख-रेख के लिए कोई सम्बन्धी अथवा संरक्षक नहीं है, की संख्या की गणना करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

(ख) इन शरणार्थियों को भाषा, संस्कृति और सम्बन्धियों के अपने ही वातावरण में रखने के उद्देश्य से उन्हें पूर्वी बंगाल से आये अन्य शरणार्थियों के साथ शिविरों में रखा जा रहा है ।

तथापि, इन अनाथों का विशेष ध्यान रखने के लिये हिदायतें जारी कर दी गई हैं और शिविरों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से कहा गया है कि इनकी ओर विशेष ध्यान दें ।

बगला देश से आये शरणार्थियों की राहत के लिए प्राप्त सामग्री की हानि

7135. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कोई समाचार प्राप्त हुए हैं कि बंगला देश से आये विस्थापितों की राहत के लिये प्राप्त सामग्री की चोरी चले जाने तथा अन्य कारणों से हानि हुई थी :

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं की हानि हुई थी और उनकी कीमत कितनी थी, और

(ग) राहत सामग्री की उक्त हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही हैं और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) रिपोर्टों के परीक्षण पर, जिनकी राज्य सरकारों आदि से प्रतीक्षा है, उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और जिलों में कृषि कालेजों की स्थापना

7136. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक जिले में कृषि कालेज स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार हाई स्कूल स्तर पर कृषि को अनिवार्य विषय बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) हाई स्कूल स्तर पर कृषि को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में कृषि और बागवानी के लिए कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग

7137. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केरल राज्य में कृषि तथा बागवानी के लिए प्रतिवर्ष औसतन अनुमानतः कितनी कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : केरल राज्य में वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में विभिन्न प्रकार के सूचीकरणों में प्रयोग की गई अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है : -

1969-70	999 मीटरी टन
1970-71	2256 ,, ,,

सन् 1971-72 में लगभग 1,880 मीटरी टन कीटनाशी औषधियों के प्रयोग होने की सम्भावना है। इन मात्राओं में विभिन्न प्रकार के 29 रसायन शामिल हैं।

केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए नलकूपों का लगाया जाना

7138. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल के पर्वतीय क्षेत्र भूमिगत जल स्रोतों की दृष्टि से बड़े सम्पन्न हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए और अधिक नलःकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1957-58 के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने कोटायम, क्विलन तथा अलीपे के जिलों में 5 नलकूपों का वेदन किया था। उनमें से केवल एक ही नलकूप सफल रहा। तब से केरल में कोई समन्वेषी कार्य नहीं किया गया है। अतः केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धि के सम्बन्ध में हमारे पास कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केरल में रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता

7139. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केरल राज्य में पिछले 3 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की वार्षिक औसत खपत 27217 मीटरी टन नाइट्रोजन, 17,316 मीटरी टन पी2 ओ5 (फास्फेट) और 17.748 मीटरी टन के2 औ पोटाश रही है ।

राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि उन्हें 1971-72 में 4500 मीटरी टन एन, 35000 मीटरी टन पी2 औ5 और 35000 मीटरी टन के2 औ की आवश्यकता पड़ेगी । यह आवश्यकतायें देशी उत्पादन और आयात से पूरी की जायेगी ।

केरल का एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण

7140. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केरल के औद्योगिक विकास को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने वहां एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण कराया है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केरल में कोई हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) इस समय केरल में हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण करने का केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अमरीका तथा रूसी फार्मों के साथ किये गये करारों के परिणामस्वरूप हैवी ईन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई क्षति

7141 **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, राँची, की

उपकरण डिजाइन तथा उत्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु उसकी सहायतार्थ सोवियत जिपरोमेज और यूनाइटिड इन्जीनियरिंग (अमरीका) फर्मों के साथ किए गए दो सहयोग करारो से उक्त निगम को भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त करारों में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि करारों पर अमल करते समय हानि पहुंचाने वाले उपबन्धों को निष्प्रभावी करके स्थिति को अपने अनुकूल बनाया जा सके ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में नियुक्तियां

7142. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० सरदीश राय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की लोकतंत्रात्मक मिली-जुली सरकार ने भर्ती के सभी नियमों का उलघंन करके शरणार्थी शिविरों में काम करने के लिये 17,000 व्यक्तियों की नियुक्ति की थी ,

(ख) क्या शरणार्थी शिविरों में वास्तव में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या की तुलना में रिक्त स्थान बहुत कम हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व उप-मुख्य मन्त्री द्वारा इस मामले में पूरी तरह जांच करने की हाल ही में मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** लगभग तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत, बंगला देश से भारी संख्या में, 50 लाख से भी अधिक, शरणार्थियों के आ जाने से, शिविरों के प्रशासन की देख-रेख, जो कि शरणार्थियों के लिए स्थापित किये जा रहे थे, और उन्हें राशन वितरण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना अपरिहार्य हो गया। चूंकि इन व्यक्तियों को अभिलम्ब कार्य पर लगाना था इसलिए विज्ञाप्तियों के माध्यम से सामान्य भर्ती की प्रणाली का अपनाना सुगम नहीं था। लोक तन्त्रात्मक मिली-जुली सरकार द्वारा स्थापित की गई केबिनेट उप-समिति ने, इन अस्थायी पदों की भर्ती के लिए 20,000 व्यक्तियों के नामों, जो समाज-सेवा के इच्छुक थे, के पैनल का अनुमोद कर दिया था। प्रत्येक शिविर के लिये आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की वास्तविकनियुक्तियों का कार्य जिला प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक उक्त पैनल में से 7 से 8 हजार व्यक्ति नियुक्त किये जा

चुके हैं। अन्य व्यक्तियों को जब कभी आवश्यकता होगी और यदि वे उस समय उपलब्ध हुए तो नियुक्त किया जायेगा।

(ग) और (घ) : शरणार्थी शिविरों में कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति के लिये की गई व्यवस्थाओं के बारे में राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न माँगें प्राप्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस स्थिति का स्पष्टीकरण 14 और, 19 जुलाई 1971 को जारी किये गये अपने दो प्रेस नोटों (प्रतिलिपि संलग्न है) में किया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० **817/71**]

रूई की आवश्यकता और उसका उत्पादन

7143. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुई की अनुमानित आवश्यकता कितनी हैं तथा इसका उत्पादन कितना है ; और

(ख) इसकी अनुमानतः कितनी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये रुई के आयात पर कितना व्यय आयेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष भर में लगभग 68-70 लाख रुई की गांठों की आवश्यकता है जिसमें निर्यात के लिये 2.5 लाख गांठें और अम्बर चर्खा आदि के लिये एक लाख गाठै भी शामिल हैं।

अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान के अनुसार वर्ष 1969-70 के दौरान देश में रुई (लिन्ट) का उत्पादन 52.33 लाख गाठें (प्रत्येक गांठ 180 किलो ग्राम की) है। वर्ष 1970-71 के लिए इसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

रुई की कमी को पूरा करने के लिये रुई के चालू वर्ष, 1970-71 के दौरान 130 करोड़ रुपये की 10.35 लाख गांठों के आयात के लिये नियत को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आयातित ट्रैक्टरों के शुल्क में वृद्धि

7145. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्कोर्टस् लिमिटेड के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि आयातित ट्रैक्टरों का शुल्क 30 प्रतिशन से बढाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों का मूल्य भी बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया जाये ;

(ख) क्या एस्कोर्ट्स ट्रैक्टरों का स्टाक कारखाने में और व्यापारियों के पास जमा हो गया है तथा उनके खरीदार नहीं हैं ;

(ग) क्या स्टाक के इस प्रकार जमा होने का कारण एस्कोर्ट्स ट्रैक्टरों की किस्म का घटिया होना है ; और

(घ) यदि हां, तो आयात शुल्क और मूल्य में वृद्धि करने के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मैसर्स एस्कोर्ट्स

लिमिटेड ने सुझाव दिया है कि आयातित ट्रैक्टरों का शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60-70 प्रतिशत कर दिया जाये। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उपहार योजना के अधीन आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों पर मौजूदा आयात शुल्क हटा दिया जाये। उन्होंने एस्कोर्ट्स-37 कृषि ट्रैक्टरों में लगभग 1600 रुपये की वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है।

(ख) फैक्टरी में एस्कोर्ट्स-37 का कोई स्टाक इक्ट्ठा नहीं हुआ है। परन्तु उर्सस एस० के० डी०। पी० के० डी० पैक का स्टाक नहीं उठाया जा सका। इसका कारण यह है कि लागत लेखापालों की परीक्षा पर आधारित मूल्यों के निर्धारण के बारे में विचार किया जा रहा है। एस्कोर्ट्स ने लगभग 1,500 मशीनों को अस्थायी मूल्यों के आधार पर बेच दिया है।

(ग) सरकार को एस्कोर्ट्स ट्रैक्टरों की कोटि में किसी प्रकार की गिरावट आने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु, कम्पनी एक सुधरे हुए नए माडल को तैयार कर रही है, अतः शीघ्रता से विलुप्त होने वाले माडल की बिक्री में रुकावट आ गई है।

(घ) **आयात शुल्क** : मौजूदा शुल्क जारी रहेगा।

मूल्य में वृद्धि : सरकार इस मामले में विचार कर रही है।

चौथी योजना के दौरान अन्य संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण

7146. **श्री के०के० रामी रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य संसाधनों के निवेश-पूर्ण सर्वेक्षण द्वारा चौथी योजना के दौरान राज्यवार कुल कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है तथा कितने क्षेत्र का अब तक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में अब तक सर्वेक्षण किये गये क्षेत्र के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की गई है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वन-संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के लिये 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का चयन किया गया हैं, जिसका राज्यवार व्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	राज्य	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
1.	जम्मू तथा कश्मीर	10,000
2.	उत्तर प्रदेश	5,000
3,	बिहार	10,000
4.	महाराष्ट्र	20,000
5.	मध्य प्रदेश	15,000
6.	आन्ध्र प्रदेश	15,000

7.	पश्चिम बंगाल	4,000
8.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,000
9.	उड़ीसा	5,000

इसके अतिरिक्त, चौथी योजना विधि के दौरान देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तीव्र तालिका कार्य शुरु करने का भी प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों में वन-क्षेत्र का व्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र
1.	असम तथा मेघालय	24,670
2.	नागालैंड	2,630
3.	नेफा	48,620
4.	मणिपुर	5,990
5.	त्रिपुरा	6,350

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1969-70 तथा 1970-11 के दौरान सर्वेक्षण किया गया कुल क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में
1.	जम्मू तथा काश्मीर	10,000
2.	आन्ध्र प्रदेश	9,700
3.	महाराष्ट्र	11,300

(ख) जी नहीं, आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और रिपोर्ट लिखी जा रही है।

लपेटने के काम आने वाले कागज के उत्पादन में मिश्रित दृढ़काष्ट की उपयोगिता के बारे में अनुसंधान

7147. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

लपेटने के काम आने वाले कागज के निर्माण में आन्ध्र प्रदेश के मिश्रित दृढ़काष्ट कीउप योगिता के बारे में देहरादून स्थित वन्य अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय

देहरादून ने आन्ध्र प्रदेश के वनों में आम तौर पर होने वाली निम्न 6 दृढ़काष्ट किस्मों के गुद्दे के बारे में खोज की है ।

1. जाइलिया जाइलोकार्पा ।
2. पटेरोकार्पुस मारयूपियस ।
3. टरमिनलिया टोमेन्टास ।
4. पटेरोकार्पुस मरयूपियम ।
5. गारुगा पिनाटा ।
6. प्रोटियम सिराटा ।

खोज से पता चला है कि इन 6 दृढ़काष्ठों का मिश्रण रेपिंग कागज बनाने के लिए उपयोगी है ।

पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर मत्स्य उद्योग का विकास

7148. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में, राज्यवार, समुद्री उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ है ?

(ख) मछली पकड़ने के कितने बन्दरगाह हैं और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तटों पर मछली पकड़ने की सभी तरह की विद्युत चालित कितनी नावें प्रयोग में लाई जा रही हैं ;

(ग) समुद्री उत्पादों के उत्पादन के लिए पूर्वी-समुद्री तट का उचित रूप से उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर कितनी विकास योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है तथा कितनी योजनाओं पर कार्य हो रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मछली उत्पादन के आंकड़े कलेण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं और नवीनतम उपलब्ध आंकड़े वर्ष 1970 से सम्बद्ध है । वर्ष 1970 (क) में कुल समुन्द्री मछली उत्पादन 10.75 लाख मीटरी टन था जबकि वर्ष 1969 में 9.12 लाख मीटरी टन था । राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुद्री मछली उत्पादन 1969	1970
1. गुजरात	82248	89027
2. महाराष्ट्र	168720	182070
3. मैसूर	73597	114833

4. केरल	293774	396733
5. तमिलनाडु	151876	149114
6. आन्ध्र प्रदेश	77526	71976
7. पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा	22299	3142[illegible]
8. गौवा	27559	28000
9. लक्कादीप	1193	1200
10. पांडीचिरी	10637	10624
11. अन्दमान	412	400
कुल	911841	1075402

(ख) पूर्वी या पश्चिसी समुद्री तटों पर स्वत: पूर्ण मछली पकड़ने के बन्दरगाह अभी तैयार नहीं किये गये हैं। वर्तमान मछली पकड़ने के बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें जेट्टी, व्हावों तथा रैम्पों के रूप में छोटे पैमाने पर हैं। इस प्रकार की सुविधायें पूर्वी समुद्री तट पर 5 स्थानों पर और पश्चिमी समुद्री तट पर 14 स्थानों पर प्रदान की गई है। 1.5 से 5 करोड़ रुपये की लागत से बड़े स्वत: पूर्ण मछली पकड़ने के बन्दरगाह हैं प्रत्येक समुद्री तट (पश्चिम समुद्री तट पर बम्बई, कोचीन तथा विभिन्जस और पूर्वी समुद्री तट पर मद्रास, ट्टीकोरिन तथा रायचौक) पर तीन-तीन स्थानों के लिए स्वीकृत की गई है। 1 लाख से 25 लाख के बीच की अनुमानित लागत वाले छोटे बन्दरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर 6 स्थानों और पूर्वी समुद्री तट पर 2 स्थानों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। छोटे पैमाने की सुविधायें जिनमें से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये से कम की लागत आती है पश्चिमी समुद्री तट पर 44 स्थानों के लिये स्वीकृत की गई है।

मार्च, 1971 के अन्त में पूर्वी समुद्री तट पर 1803 छोटे यंत्रीकृत नावें और 7 गहरे समुद में मीन हरण ट्रालर कार्य कर रहे थे जबकि पश्चिमी नावें और 35 रहरे समुद्र में मीनहरण ट्रालर कार्य कर रहे थे।

(ग) तुलनात्मक रूप से अधिक अनुकूल परिस्थितियों, नावों को ठहराये जाने वाले अधिक सुरक्षित स्थानों के होने और भींगा मछलियों तथा शोलिंग मछलियों की अधिकता के कारण पश्चिमी समुद्री तट पर मत्स्य की विकास का कार्य अधिक तेजी से किया गया है। आइल सर-डाइन्ज जो भारत में पकड़ी गई कुल मछलियों का लगभग 30 प्रतिशत है केवल पश्चिमी तट पर पाई जाती है। फिरभी, पूर्वी समुद्री तट पर पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और इस समुद्री तट पर भी समुद्री मत्स्य को विकसित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तटों के लिये मछली पकड़ने के स्वीकृत बन्दरगाह इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में क्रमश: वर्णित कर लिए गये हैं। बड़े बन्दरगाहों के अतिरिक्त, जो पूर्वी समुद्री तट के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं, मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास के लिए

* समुद्री तट पर 7094 छोटी यंत्रीकृत।

उपयुक्त स्थान पाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजना द्वारा दोनों समुद्री तटों पर सर्वेक्षण किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर दोनों समुद्री तटों पर अतिरिक्त मछली पकड़ने के बन्दरगाह प्रदान किये जाने का विचार है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी समुद्री तटों पर बम्बई और कोचीन में और पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापटनम तथा तूतीकोरिन में समुद्री संसाधनों के समन्वेषण के लिये केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पश्चिमी समुद्री तट पर चार स्थानों में और पूर्वी समुद्री तट पर तीन स्थानों में अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में, जिसकी बहुत कम खोज की गई है समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के समन्वेषी जहाज के बेड़े का सबसे बड़ा जलयान कलकत्ता के केन्द्रों को आवंटित कर दिया गया है।

जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में वर्णित है पश्चिमी समुद्री तट पर चलने वाली विद्युत चालित नावों की संख्या पूर्वी समुद्री तट पर चलने वाली नावों से कहीं अधिक है फिर भी यंत्रीकृत मीनहरण पद्धति पूर्वी समुद्री तट पर प्रगति कर रही हैं। पूर्वी समुद्री तटीय राज्यों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में मीन हरण व्यवसाय के यंत्रीकरण हेतु की गई व्यवस्था 9 करोड़ रुपये की है जबकि पश्चिमी समुद्री तट पर 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गहरे समुद्र में मीनहरण यानों के परिचालकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी समुद्री तट (कोचीन में) पर और पूर्वी समुद्री तट (मद्रास में) पर एक-एक यूनिट स्थापित कर दिया गया है।

इस्पात कारखानों के लिये तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए गैर-सरकारी सलाहाकार कोफर्म नियुक्त करना

7149. **श्री बयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले से निर्मित कारखानों अथवा भविष्य में निर्मित होने वाले कारखानों के सम्बन्ध में इस्पात कारखानों के लिये तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिबेदनों को तैयार करने के लिए किसी गैर-सरकारी सलाहकार फर्म को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी सलाहकार फर्म को यह कार्य देने के क्या कारण हैं और उसे किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) इन मामलों से सम्बन्धित ठेकों की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र की एक सलाहकार फर्म मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लि० को हाल ही में दो तकनीकी-आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, एक विशाखापटनम में स्थापित किया जाने वाला 20 लाख टन का सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना तथा दूसरा सेलम में स्थापित किया जाने वाला 2,50,000 टन का विशेष इस्पात कारखाना। पहले भी, 1964 में इसी फर्म ने गोहा-हासोट क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने हेतु सरकार के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था। इस सलाहकार

फर्म को काम सौंपने का मुख्य कारण, ऐसे कामों के लिये देश में उपलब्ध विशेषज्ञों के कौशल का यथा सम्भव उपयोग करना था।

(ग) मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० से, योजना आयोग द्वारा प्रकाशित सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए शक्यता अध्ययन नामक पुस्तिका में वर्णित पथ-प्रदर्शन के अनुसार, सेलम तथा विशाखापटनम प्रायोजनाओं के लिये तकनीकी-आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया है। सेलम प्रायोजना प्रतिवेदन के लिये उन्हें 6 माह का समय दिया गया है (शुल्क 3 लाख रुपये) तथा विशाखापटनम प्रायोजना के लिये 9 माह का समय (शुल्क 5 लाख रुपये)। गोहा हारपेट क्षेत्र के इस्पात कारखाने के लिये प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपये दिये गये थे।

दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात कारखाने के निर्माण में त्रुटियां

7150. **श्री बयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात कारखाने के निर्माण में पाये गये दोषों के बारे में जांच करवाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्ययाही की गई है।

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अध्यक्ष द्वारा सरकार के ध्यान में लाई गई कुछ कमियों की एक छोटे से सरकारी दल ने जांच की है। इस दल की रिपोर्ट मिलने के बाद हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा उपकरण-संभारकों तथा अपने विशेषज्ञों के परामर्श से आवश्यक प्रत्युपाय किये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी सलाहकार फर्म द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

7151. **श्री बयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी सलाहकार फर्म द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिये तैयारा किये गये प्रारुप परियोजना प्रतिवेदन को रूस और संयुक्त राज्य अमरीका ने अस्वीकार कर दिय है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सलाहकार फर्म के विरुद्ध ऐसी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है जिससे सरकार को हानि हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। एक गैर-सरकारी सलाहकार फर्म मेसर्स दस्तूर एण्ड कं० द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अमरीका द्वारा अस्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि बोकारो इस्पात कारखाने के र्माण में सहायता के लिए अमरीका सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं हुई थी।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को पुनः तैयार करते समय रूसी संगठन ने मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने में पहले किये गये काम का पूरा-पूरा लाभ उठाया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में भू-परीक्षण के लिए चल प्रयोगशालायें

7152. **श्री वी० एम० मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भू-परीक्षण को चल प्रयोगशालाओं द्वारा कौन-कौन से क्षेत्रों का परीक्षण किया गया है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कितनी प्रयोगशालायें कार्य कर रही है ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चल मृदा परीधन प्रयोगशाला वेन ने हैदराबाद जिले के राजेन्द्र नगर, चेवेल्ला, इब्राहिमपतनम तथा तन्दूर सामुदायिक विकास खंड क्षेत्रों में और करीम नगर जिले के करीम नगर तथा पेडपल्ली ब्लाकों में कृषकों की मृदा परीक्षण सुविधायें प्रदान की हैं । वे आजकल यह वेन करनूल जिले के करनूल तथा नन्दी कोटकुर क्षेत्रों में बहु फसली प्रदर्शन स्थलों के नमूनों का परीक्षण करने में संलग्न है ।

(ख) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में एक चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन कार्य कर रही है ।

(ग) अभी तक 1706 मृदा नमूनों तथा 33 सिंचाई जल नमूनों का परीक्षण किया गया है और कृषकों को सिफारिशें दी गई हैं ; 1150 कृषक इस सेवा से लाभान्वित हुये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि सोसायटी संघ

7153. **श्री वी० एम० मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने राज्य स्तर पर एक सौसाइटी संघ का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संघ के सदस्य बनने वाली सहकारी कृषि सोसाइटियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अभी और कितनी सौसायटियाँ इसमें शामित होंगी तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी समुद्र तट पर मछली पकड़ने के स्थानों की खोज के लिए सर्वेक्षण

7154. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केन्द्रीय संगठन ने देश के पूर्वी समुद्र तट पर मछली पकड़ने के स्थानों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) किस-किस प्रकार की तथा किस-किस जाति की मछलियां उपलब्ध हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत केपूर्वी तट पर मछली पकड़ने के स्थानों की खोज करने के लिये 11,400 वर्ग मील समुद्र-तल क्षेत्र का मुख्य तौर पर तल-भूमि में खेंचने के जालों द्वारा समन्वेषी सर्वेक्षण किया गया है। प्रचालन के केन्द्र विशाखापतनम तथा तूतीकोरिन रहे ।

(ख) तूतीकोरिन, कुडालौर तथा एन्नौर (तमिलनाडु), काकीनाडा और कालिंगपतनम (आन्ध्र प्रदेश), पुरी तथा चान्दवाली (उड़ीसा) और हुगली नदी के मुहाने के निकट के कुछ क्षेत्र तली में रहने वाली मछलियों की किस्मों की उपलब्धि के लिए काफी अच्छे स्थान पाये गये हैं। इन क्षेत्रों में प्रति घण्टा पकड़ी जाने वाली मछलियां, जो कि मछलियों के सम्भाव्य भण्डार को सूचक हैं, 100 किलोग्राम से 1050 किलोग्राम के बीच में रही हैं ।

(ग) उत्तरी क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों की प्रतिशतता से पता चलता है कि औसतन झींगा मछली 2.22 प्रतिशत, कैट फिश 20.83 प्रतिशत, रेज 5.28 प्रतिशत, शार्क तथा स्टेकस 7.78 प्रतिशत, विविध अन्य छोटी मछलियां 56.39 प्रतिशत और विविध बड़ी मछलियां 7.50 प्रतिशत पाई गई हैं। दक्षिण क्षेत्र में पकड़ी गई मछलियों में झींगा मछली 11.22 प्रतिशत, स्यानिड्स 28.63 प्रतिशत, सिल्वर वेलीज 16.24 प्रतिशत, पोलीनेमिड्स 3.11 प्रतिशत, पर्चिज 4.57 प्रतिशत, विविध मछलियाँ 28.07 प्रतिशत और शार्क तथा रेज 13.16 प्रतिशत पाई गई।

कोचीन में भारत-नार्वे परियोजना तथा उसी प्रकार की अन्य परियोजनायें

7155. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित भारत-नार्वे परियोजना की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या किसी अन्य देश ने ऐसी परियोजना स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत में मीन-उद्योग विकास की भारत-नार्वे परियोजना, संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार तथा नार्वे सरकार के मध्य हुए करार पर आधारित है, जिस पर 17-10-1952 को हस्ताक्षर किये गये थे और पूरक करारों पर 1953, 1956 तथा 1961 में हस्ताक्षर किये गये। अप्रैल, 1967 से मार्च 31, 1972

तक की पांच वर्ष की अवधि तक परिजोजना के क्रिया कलापों को बढ़ाने के लिये मार्च 17, 1967 में एक नये करार पर हस्ताक्षर किये गये।

यह परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई थी :—

(1) उन्नत मीन-ग्रहण प्रणालियों तथा मछलियों के दक्षपूर्ण वितरण का प्रारम्भ कर को बढ़ाने से मछुओं के जीवन-स्तर को बढ़ाने ; तथा

(2) मछुवों के स्वास्थ्य के सुधार

प्रवृत नवीनतम पूरक करार के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि भारत सरकार तथा नार्वे सरकार संयुक्त रूप से निम्नलिखित कार्यों को हाथ में लेगी (क) 1961 के पूरक करार के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य को पूरा करना (ख) तटदूर तथा गहन समुद्र समन्वेषी मीन-ग्रहण (ग) तट तथा समुद्र पर आधुनिक तकनौलोजी का व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन (घ) जलयानों तथा तट पर लगाने के लिये मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धि। करार के अनुसार स्लिपवे एर्नाकुलम में, मीन चूर्ण संयंत्र मंडापम, **कणानजल. प्रबलित** कंकरीट निर्माण घाट कन्नानोर में, नौका निर्माण यार्ड करवाड़, आदि जैसे निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। लेकिन इन कार्यों के लिये मशीनरी तथा उपकरण नार्वे सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने हैं। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि परियोजना को भारतीय मीन-उद्योग के विकास के लिये अपेक्षित कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी है। भारतीय सहभागियों तथा अन्य कार्मिकों को अधिक से अधिक मार्च, 1972 तक सब तकनीकों, संचालानात्मक एवं परामर्शदात्री कार्यों को हाथ में लेने के योग्य बनाने के लिये नार्वे के कार्मिक, भारतीय कार्मिकों को अपने व्यवसाय एवं व्यापार की प्रणाली, तकनीकों तथा पद्धतियों में प्रशिक्षण देंगे।

भारत सरकार को भारतीय कार्मिक, भूमि के स्थान, भवन, उपकरण, मशीनरी, भारत में उपलब्ध उपभोग योग्य भंडार, समस्त आवर्त होने वाला व्यय तथा नार्वे के कार्मिकों के लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था करनी होगी। नार्वे सरकार को नार्वे कार्मिक, उपकरण, मशीनरी तथा भारत में उपलब्ध न होने वाली अन्य मदें और मशीनरी, उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे तथा मीन-उद्योग की अन्य मदों की उपलब्धि एवं भारतीय मीन-ग्रहण उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिये तट संस्थापन के सम्बन्ध में ऋण सहित नार्वे का कुल योगदान 400 लाख नार्वे क्रौनर्स (लगभग 4.2 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगा। शर्तों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि 1967 के पूरक करार के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास की नार्वेजिमन एजेन्सी द्वारा खरीदी गई तथा भारत में लाई गई मदें भारत सरकार की सम्पत्ति होगी, लेकिन इन मदों के रख-रखाव तथा उपयोग के लिये नार्वे के निदेशक की तकनीकी सलाह प्राप्त की जानी चाहिये।

वर्तमान पूरक करार के अन्तर्गत सितम्बर, 1968 में हस्ताक्षर किये गये ऋण करार में प्रमुख पूरक करार में निर्दिष्ट 420 लाख रुपये में से, ऋण के रूप में 157.5 लाख रुपये की एक धन राशि की व्यवस्था है। समय समय पर लिये गये तथा बकाया ऋण की मूल धन राशि पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत ब्याज है। ब्याज प्रति वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अदा किया जा

रहा है। मूलधन को 1-1-74 से 31-12-93 के अन्त तक 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अर्द्ध-वार्षिक के रूप में अदा किया जाना है। ऋण का उपयोग मशीनरी, उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों एवं जलयानों के लिये अन्य मदों की उपलब्धि तथा भारतीय मीन-ग्रहण उद्योग को बढ़ाने के हेतु तट संस्थापनों के लिये किया जायेगा।

(ख) तथा (ग) : भारत नार्वे परियोजना की पद्धतियों के आधार पर अन्य परियोजना की स्थापना के लिये किसी अन्य देश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपक्रम स्थापित करना

7156. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने में केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है ;

(ख) इसके लिये कितने ऋण और आर्थिक सहायता की मांग की गई है ; और

(ग) ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) से (ग)** : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्र में मीनहरण के लिये एक सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया है। राज्य में 3 केन्द्रों पर समुद्री मीन उद्योग के विकास के लिये नार्वे से सहायता प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया गया है। कोई सरकार सहायता या ऋण नहीं माँगे गये हैं।

Irregularities in Central Desert Research Institute

7157. **Shri Naval Kishore Sharma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether charges of serious irregularities have been levelled against the Central Research Institute ;

(b) Whether any investigation has been made into these charges ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) : The Central Bureau of Investigation conducted a preliminary fact finding enquiry at the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur. The allegations are subject matter of further enquiry.

(c) The findings will be known only after the investigation referred to above has been concluded.

Registered Organisations of Railway Workers

7158. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :**

(a) the number of organisations of Railway workers registered by the Labour Organisation Department up to December, 1970;

(b) Whether it is compulsory for registered labour organisations to send to the Registration Department the yearly details alongwith the number of members and the list of office-bearers of the organisation every year; and

(c) it so, the names of the labour organisations registered, the number of members of each organisation and the names and duties of the President and secretaries and thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of House on its receipt.

(b) : The registered Trade Unions are required, under section 28 of the Trade Unions Act, 1926 to send annual returns to the Registrar of Trade Unions containing details regarding receipts and expenditure, duly awaited, their assets, liabilities, changes of office bearers and uptodate copy of the rules of the union.

आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों के निर्माण के लिए लोहा और इस्पात का आबंटन

7659. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी सहकारी समितियों ने सहकारी चीनी मिलों के निर्माण हेतु गत तीन वर्षों से अब तक लोहा और इस्पात का आबंटन करने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) लोहा और इस्पात की कितनी मात्रा के लिये आवेदन किया गया था और कितना आबंटन किया गया है तथा प्रत्येक मिल को वस्तुतः कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यन्त्रीकरण

7160. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम ने यन्त्रीकरण के बारे में विशेष समिति की रिपोर्ट विचाराधीन होने की स्थिति में ही श्रम और पुनर्वास मंत्रालय से विचारविमर्श करके लिपिक-कार्य तथा अन्य रोजमर्रा के सामान्य कार्य के लिये कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने की अनुमति प्राप्त करली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के क्या नाम है तथा तत्सम्बन्धी शर्तें आदि क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम (मार्केटिंगडिवीजन) तथा राज्य व्यापार निगम ने अपने कार्यालयों में लिपिक कार्य तथा अन्य रोजगार के सामान्य कार्य के लिये कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने से पूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अनुमति मांगी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इन दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस मामले की जांच की जा रही है ।

Survey for Non-ferrous, Ferrous Metals & Mineral Fertilizers in Rajasthan.

7162. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the names of the places in Rajasthan where survey has been conducted to explore the possibilities of non.ferrous, ferrous metals and mineral fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : A statement showing the names of the places in Rajasthan where survey has been conducted to explore the possibilities of non-ferrous, ferrous and mineral fertilizers is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See. No. L T 818/71**]

Diamond Mines in Rajasthan

7163. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether diamond mines have been located in the area falling between Udaipur and Ajmer districts of Rajasthan ; and

(b) if so, the progress made in the exploitation of the said diamond mines by the National Mineral Development Corporation ?

The Minister of state in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Underground Water Divisions and Underground Water District Units

7164. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister **of Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of Underground Water Divisions and Underground Water District Units for survey of underground water functioning throughout the country ;

(b) The fresh surveys made in 1970 in regard to fixing targets of water supply for military, industrial and agricultural purposes in the country; and

(c) The conclusions reached in regard to underground water in Luni valley in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Under the Central Ground Water Board, there are five Divisions located at Ahmedabad, Ambala, Varanasi, Madras and Ranchi with five to six drilling units under each Division functioning throughout the country. In addition, three projects have also been taken up.

(b) The primary function of the Board is to assess the underground water potential for the purpose of irrigation. During the year 1970-71, the Board has in all constructed 266 tubewells mostly for agricultural purposes. However, of these 266, three production tubewells were for the Ministry of Defence and one for an industry.

(c) Under the UNDP (SF) Project which has been completed by March, 1971, detailed quantitative assessment of the ground water resources of the four areas i.e., Lathi basin (Jaisalmer) Borunda (Jodhpur), Doli-Jhanwar—Pal (Jodhpur) and Jalore was made in addition to a general reconnaissance survey of an area of about 23,000 sq. miles of Western Rajasthan. No estimate was made of the potential of the alluvium near the river Luni and this would require a separate study. There does, however, appear to be considerable potential for the development of ground water in this alluvium.

उत्तरी कामरूप में अकाल की स्थिति

7165. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कामरूप के विस्तृत क्षेत्रों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है और कुछ व्यक्ति वहाँ पर भूख से मर गये हैं,

(ख) अकालग्रस्त कुल जनसंख्या कितनी है,

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इन क्षेत्रों का आर्थिक दृष्टि से उद्धार करने के लिये सरकार की दीर्घकालीन योजना क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . असम में किसी क्षेत्र को अकाल से प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तथापि, उत्तरी कामरूप, वरपेटा, नलवाड़ी तथा मंगलदाई सब-डिवीजनों के अधिकांश क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार से भुखमरी से मृत्यु के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में टैस्ट राहत कार्य, शुरू करने, मुफ्त सहायता देने और उचित मूल्य की दुकानें खोलने जैसे आवश्यक राहत उपाय शुरू किये हैं। 1.00 लाख रुपये की लागत की पौद वितरण के लिये उगाई जा रही है।

राज्य सरकार ने यथा सम्भव सिंचाई के लिये पानी देने के भी प्रबन्ध किये हैं और इस प्रयोजन के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 292 बिजली के पम्प चालू किये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी देने के लिये गहरे। उथले नलकूप लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

असम में सूखे की स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने तथा सूखा सहायता उपायों के लिये केन्द्रीय सहायता देने के प्रयोजन के लिए पैसे की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिये अधिकारियों का एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने का निर्णय लिया गया है।

वनस्पति के मूल्यों का पुनरीक्षण

7166. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति के मूल्यों का कितने समय के बाद पुनरीक्षण किया जाता है ,

(ख) क्या उसके लिये लागत लेखा परीक्षण पद्धति है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रत्येक पखवाड़े में वनस्पति के मूल्यों की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उनमें संशोधन किया जाता है।

(ख) अधिसूचित मूल्यों में विधायन तथा अन्य अनुमेय खर्चे वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा कारखानों के खातों की स्थल पर की गई जांच के आधार पर दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Inclusion of Construction of Primary School Buildings Under Crash Programme for Rural Employment

7167. **Shri S. N. Singh** : will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include construction of primary school buildings in the crash programme for removel of rura unemployment; and

(b) whether Government propose to charge labour cost under this programme, if the rural people are willing to provide material for the construction of primary school buildings and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : The matter is under consideration.

अन्य राज्यों को चावल निर्यात करते समय पकड़े गये व्यक्ति

7168. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी और किस्तना जिलों के कुछ व्यापारी अन्य राज्यों को टूटे चावल के स्थान पर चावल का निर्यात करते हुए पकड़े गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये और अधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा कब्जे में की गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) जुलाई, 1971 में आन्ध्र प्रदेश के सतर्कता सैल ने नेल्लोर जिले में वित्तरागुन्ता तथा गुडुर रेलवे स्टेशनों पर चावल में 34 रेलवे वैगनों को पकड़ा था, जिन्हें पश्चिमी गोदावरी जिले के कुछ व्यापारियों ने कालीकट, केरल को टोटा चावल के रूप में चावल निर्यात किया था। उन्हें टोटा चावल का निर्यात करने के लिए परमिट जारी किया गया था।

(ख) वैगनों के साथ किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया था। लगभग 16,000 क्विंटल चावल पकड़ा गया था। व्यापारियों, कुछ सिविल रसद अधिकारियों, जिन्होंने झूठे प्रमाण-पत्र जारी किए थे और रेलवे के अधिकारियों, जिन्होंने टोटा चावल के निर्यात के लिये जारी किये गये परमिटों के अन्तर्गत चावल के परिवहन की अनुमति दी थी, के विरुद्ध उचित नियंत्रण आदेशों तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और 120-बी के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। पकड़े गए चावल को जब्त करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी, नेल्लोर के सम्मुख कार्य-

वाही शुरू भी हो चुकी है। कुछेक वैगनों से चावल के लिये गये नमूनों का विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि इनमें साबुत चावल था और न कि टोटा चावल था। आन्ध्र प्रदेश सरकार के सतर्कता सैल द्वारा आगे जांच की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Merger of E. S. I. and E. P. F. Schemes

7169. **Shri M. C. Daga** : will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Study Team appointed in 1969 to coordinate social security schemes has stated in its report that the Employees State Insurance Scheme and Employees Provident Fund Scheme may be merged together; and

(b) the total number of employees covered under the Employeens state Insurance Scheme at the beginning of 1971 and the number of Employees State Insurance Centres functioning at present for the benefit of the employees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) : Yes.

(b) : The total uumber of employees covered under the Employees state Insurance Scheme as at the beginning of the year is 36, 86, 100 and the number of centres functioning at present is 3·30.

दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के राजपत्रित अधिकारी

7170. **श्री टी० सोहन लाल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या अपेक्षित प्रतिशतता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** : अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षित श्रेणी I तथा II के राजपत्रित पदों के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार इन जातियों के लगभग 7 पद भरे जाने हैं। इनमें से ऐसे उम्मीदवारों से 4 पद भरे गये हैं। इस प्रकार यह कमी लगभग 45 प्रतिशत है।

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित समस्त पद पर आरक्षित रिक्तियों के रूप में विज्ञापित किये जाते है परन्तु सदैव उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ये रिक्तियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगामी वर्षों में भरने के लिए छोड़ दी जाती है।

बंगला देश के शरणार्थियों में सहायता कार्य कर रही विदेशी एजेंसियों को भारत से चले जाने का नोटिस

7171. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों में कार्य कर रही कुछ विदेशी एजेंसियों को बंगला देश में अपने कार्यकलापों को छोड़ कर एक मास के भीतर भारत छोड़ कर चले जाने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनकी गतिविधियां किस प्रकार की हैं; और

(ग) सरकार के इस विनिश्चय के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

हिल टिप्पेरा टी ए टेट, बधरधल, अगरतल्ला

7172. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिल टिप्पेरा टी एस्टेट, बधरधल, अगरतल्ला का मुख्यालय इस समय कहाँ पर स्थित है :

(ख) उक्त चाय बागान में कितने कर्मचारी हैं;

(ग) पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) कितने श्रमिकों की छंटनी की गई; और

(ङ) क्या सेवा से छंटनी किए गए श्रमिकों को कोई सहायता दी जाती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) से (ख)** : अपेक्षित सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

संरचनात्मक इस्पात का निर्यात

7173. **श्री सी० सी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरचनात्मक इस्पात जैसे कड़ियां, चेनलों, कोणों का भारत से निर्यात होता है और यदि हां, तो वर्ष 1971-72 में कितने टन माल के निर्यात का ठेका प्राप्त हुआ;

(ख) क्या इंजीनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों को ऐसे संरचनात्मक इस्पात की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इंजीनियरिंग उद्योग की संरचनात्मक इस्पात की कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी, हां । कितने टन माल के लिए करार किये गये हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : चूंकि उत्पादन की कमी तथा मन्दी के पश्चात् मांग के बढ़ जाने के कारण स्ट्रक्चरल स्टील की कुल उपलब्धि आवश्यक से कम है, अतः इंजीनियरी तथा मशीनें बनाने वाले उद्योगों के उपभोक्ताओं के लिए स्ट्रक्चरल स्टील की कमी है। जिन किस्मों के इस्पात की अधिक कमी है- उनके आयात के मामले में आयात नीति काफी उदार है। बढ़िया इस्पात (प्राइम स्टील) के निर्यात के भी विनियमित कर दिया गया है तथा इसकी मात्रा में कमी कर दी गई है जिससे इसकी देशीय उपलब्धि अधिक हो सके। इसके अलावा दिनांक 11-9-70 के पब्लिक नोटिस नम्बर 140/70 के अन्तर्गत निर्यात के पक्के आर्डरों के लिए इंजीनियरी उद्योग साधारण इस्पात का जितना आयात करना चाहें कर सकते हैं।

इस्पात का आयात

7174. **श्री सी० सी० देसाई :**
श्री देवेन्दर सिंह गरचा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में कोक ओवन में दरार पड़ना और रूरकेला में छत के बैठ जाने के कारण से चालू वर्ष में इस्पात उत्पादन में आशा के विपरीत भारी गिरावट आएगी;

(ख) क्या इस अप्रत्याशित इस्पात की कमी को दूर करने के लिये ऐसे इस्पातों के द्रुत आयात के लिये कोई तुरन्त कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे अतिरिक्त आयातित इस्पातों के भारत पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (ग) : भिलाई और राउरकेला में हुई दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी ऐसी संभावना है कि 1970-71 की तुलना में उत्पादन कम होगा।

विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त मूल्यांकन के आधार पर यथावश्यकता आयात भी किया जायेगा। आयात कब किया जायेगा यह बात विदेशों में उपयुक्ततम मूल्य पर माल की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिए गम्भीर संकट उपस्थित करने वाली गुप्ता बांध में कथित दरार

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement there on : "Reported Breach in the Gupta Bandh posing a serious threat to Barauni oil Refinery".

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : श्रीमान् जी, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री बजाय के पेट्रोलियम तथा रसायन

मन्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए। सिंचाई मन्त्री क्षति का ब्यौरा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त बरौनी में उद्योग समूह और तेल शोधक कारखाने के महत्व को देखते हुए इस पर पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत यह भी किया जा सकता है, परन्तु ध्यानाकर्षण सूचना पर विचार के समय नहीं।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : गंगा के बाएँ किनारे पर स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने और ताप विद्युत केन्द्र का बाढ़ से बचाव एक पुराने तटबन्ध से होता है, यह तटबन्ध मोकामा पुल को प्रतिप्रवाह दिशा से उस पुल को अनुप्रवाह दिशा में लगभग 30 किलोमीटर लम्बा है। इस तटबन्ध प्रतिप्रवाह भाग को कस्बा रूप नगर तटबन्ध और निचले भाग को गुप्ता तटबन्ध कहते हैं। बरौनी से मोकामा पुल तक का रेलवे तटबन्ध और राष्ट्रीय राज-मार्ग 31 भी इन प्रतिष्ठानों के लिए पश्चिम की तरफ बचाव को दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं।

जुलाई के उत्तरार्ध में गंगा नदी का पानी बिहार में चढ़ने लगा। इसके जल स्तर ने 21 जुलाई को पटना के निकट गांधी घाट पर 48.6 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर लिया और 30 जुलाई को जल-स्तर 49.429 मीटर तक पहुंच गया। उसके बाद यह स्तर कुछ नीचे आ गया। परन्तु 3 अगस्त को पुन: चढ़ने लगा। आज सुबह इसका स्तर 49.55 मीटर था। यद्यपि प्रतिप्रवाह दिशा में गंगा का स्तर गिर रहा है। सोन नदी में बाढ़ों के कारण, उसके बढ़ जाने को पूर्व चेतावनी दी जाती है। मोकामा के निकट हाथीदह पर गंगा ने 21 जुलाई को 41.757 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर लिया और आज सुबह उसका स्तर 43.0 मीटर था। अत: गंगा में लगभग दो सप्ताहों तक निरन्तर भारी बाढ़ रही है।

बरौनी ताप-विद्युत केन्द्र के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम में कस्बा रूप नगर तट-बन्ध 3 अगस्त को लगभग 2 बजे दोपहर लगभग 20 मीटर की लम्बाई में टूट गया। इस दरार से गुजरने वाले पानी से रेलवे लाइन और कस्बा रूपनगर तटबन्ध के बीच लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि जल प्लावित हो गई थी। पानी बारो गाँव तक पहुंच गया था जो कि बरौनी रेलवे स्टेशन के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर पर है। बरौनीतेल शोधक कारखाने और ताप विद्युत केन्द्र वाले क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन क्षेत्रों में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को नीचे उन सभी जगहों से बंद कर दिया गया है जहां से पानी आ सकता है। राज्य सिंचाई विभाग, भारतीय तेल-शोधक कारखाना और ताप विद्युत केन्द्र के प्राधिकारी चौबीसों घण्टे सतर्कत्ता बरत रहे हैं। सिंचाई विभाग ने दरार को और अधिक चौड़ा होने से रोकने के लिए उपाय किये हैं और दरार को बन्द करने के लिए कार्य को शुरु कर दिया है।

बहार सिंचाई विभाग ने भारतीय तेल-शोधक कारखाने, बरौनी ताप-विद्युत केन्द्र और उर्वरक परियोजना प्राधिकारियों की सहायता से तटबंधों में और अधिक दरारें पड़ने से रोकने के लिये सभी एहतियाती उपाय किए गये हैं। भारतीय तेल-शोधक कारखाने को पाइप लाइन सुर-क्षित है और यह काम कर रही है।

Shri R. S. Pandey : Dr. K. L. Rao has not given any information regarding the damage caused due to the floods and the breach in the dam. It has been reported in the press that a grave danger has been caused to the huge Industrial complex including fertilizer plant, oil refinery and thermal plant. This small bundh had been erected by the Bihar Government to protect the farmers. The National Highway was submerged. I would like to know as to why the precautions were not taken to protect the huge industrial complex at Barauni. What were the reasons for this breach ? Who had constructed this bundh ? The damage has not been estimated and I request that a discussian should take place.

डा० के० एल० राव : हमने आज सुबह बरौनी स्थित अधिकारियों से सम्पर्क किया था और उन्होंने हमें बताया है कि सभी महत्वपूर्ण उपक्रम पूर्णतः सुरक्षित हैं। पानी उन तक नहीं पहुंच पाया है।

माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर पानी बहने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ऊंचाई पर है।

हमें इस बात का भी पता है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का करोड़ों रुपया इन उपक्रमों में लगा हुआ है।

यह दरार ऐसे स्थान पर हुई है, जहां इसकी कोई आशंका नहीं थी। जल के निचले स्तर में, जहाँ इसकी आशंका थी उसे तेल-शोधक कारखाने के कर्मचारियों ने मजबूत बना दिया था ; परन्तु दरार ऊपरी हिस्से में पड़ी है। पानी रेल लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण रुक गया है। सभी प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं। सेना को भी बुला लिया गया है और वह तैयार है। इस समय स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है।

गंगा में लगातार पन्द्रह दिन से बाढ़ आई हुई है और कच्चे बांध कभी-कभी टूट ही जाते हैं।

भाखड़ा बांध में कभी भी दरार नहीं पड़ सकती। अब भाखड़ा बांध हरएक नदी पर तो बनाया नहीं जा सकता।

हम बाढ़ से बचाव के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरत रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : डा० राव को नवीनतम स्थिति की जानकारी नहीं है, क्योंकि नवीनतम स्थिति यह है कि दरार काफी चौड़ी हो गई है और पानी भी अधिक मात्रा में प्रवेश कर गया है।

बाढ़ के कारण अगर उद्योग की, भले ही वह सरकारी क्षेत्र का हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का हो, हानि पहुंचती है ; तो उसे सुधारा जा सकता है ; परन्तु गरीब किसान और आम आदमी के नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती।

बाढ़ें हर साल आती हैं। बाढ़ों से क्षति होने और बाढ़ें आने के अनेक कारण हैं — किसी क्षेत्र विशेष में भारी वर्षा और समुद्री तूफान उनमें से प्रमुख हैं। भू-संरक्षण और भूमि कटाव

पर रोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में बहुत कम कार्यवाही की गई है।

1961-70 की अवधि में कुछ वर्गों के लिए क्षति 778 करोड़ रुपये थी, जबकि अन्य वर्गों के लिए क्षति 1231 करोड़ रुपये थी। इस बारे में सरकार ने केवल 185 करोड़ ही खर्च किये।

फसल के जल-प्लावन के कारण भी अत्यधिक हानि होती है। एक वर्ग-मील में 600 एकड़ क्षेत्रफल होता है और प्रति एकड़ एक फसल में 2000 रु० की क्षति होती है।

डा० के० एल० राव : हमें बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने चाहिये क्योंकि इससे प्रतिवर्ष भारी क्षति होती है। परन्तु हम वित्तीय साधनों के अनुसार ही उपाय कर सकेंगे। एक चौथाई समस्या का समाधान हम कर चुके हैं और एक चौथाई समस्या को हम अगले दस वर्षों में नियन्त्रित कर लेंगे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जहां इस प्रकार के महत्वपूर्ण उपक्रम हैं, वहाँ इस बात की अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिये कि इस प्रकार की दरारें न पड़ें और सुरक्षा का दूसरा साधन भी वहाँ होना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The honrible Minister has himself admitted that public undertaking worth 150 crores has been in danger due to floods there. What measures were taken to check water from entering the Barauni Refinery ?

Is it not possible to have a joint project in collaboration with the state Government to check the flood ?

Whether officials of central Govt. are being deputed there to co-ordinate the measures so that Barauni complex and national highway could be saved ?

Patna city is also in danger due to heavy flood in Ganga and I would like to know the measures being taken for the security of Patna City.

डा० के० एल० राव : पिछले माह जब मैं पटना गया था तब मैंने मुख्य इन्जीनियर को इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए आदेश दिये थे, जिससे पटना नगर का निकला हिस्सा बाढ़ के पानी से जलमग्न होने से बचाया जा सके। मुख्य पटना शहर में पानी का प्रवेश नहीं हुआ है। पानी विश्वविद्यालय क्षेत्र जैसे इलाकों में ही गया है। तटबंध बनाकर उसकी रक्षा की जा सकती है। इस बारे में बाढ़ उतरने पर कार्यवाही शुरु कर दी जायेगी।

तेल शोधक कारखाना तटबंध द्वारा चारों ओर से सुरक्षित है। एक ही तटबंध के एक हिस्से को गुप्ता बांध और दूसरे हिस्से को रूप नगर बांध कहा जाता है। गुप्ता बांध में कोई भी दरार नहीं पड़ी है, अन्यथा तेल शोधक कारखाने में पानी प्रवेश कर चुका होता। मैं उन्हें इसका सुझाव दे रहा हूं कि वहां सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति का निर्माण किया जाना चाहिये।

जो दरार पड़ी भी है, वह पुल के ऊपरी तटबन्ध में हुई है और इसका कारण सम्भवतः भूमि कटाव है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : बाजपेयी जी के मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि विशाल उद्योग समूह के कारण बाढ़ नियन्त्रण की राज्य और केन्द्र की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिये।

डा० के० एल० राव : बाढ़ नियन्त्रण पूर्णतः राज्य विषय है। केन्द्र तो केवल ऋण के

रूप में सहायता दे रहा है। तटबन्ध का निर्माण, सुरक्षा और रख रखाव है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी मैं यह मानता हूं कि महत्वपूर्ण संस्थानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सावधानी वरतनी चाहिए।

Shri Shastri Bhushan (South Delhi) : I would like to know from the honrible Minister whether he himself or high officers of his Ministry would pay a visit to that place so that effective measures may be taken for the security of Barauni refinecy, national highway and railway track ?

I would also like to say that a detailled money of the area should be carried out before a central undertaking is established there. I would also like to know whether the Government would look after this bundh now on wards so that further breaches could not ake place ?

डा० के० एल० राव : हम केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली आयोग के मुख्य इन्जीनियर को वहां निरीक्षण हेतु भेज रहे हैं और वह बिहार के मुख्य इन्जीनियर से विचार विमर्श करेंगे। बाढ़ वहीं नहीं हरएक जगह पर ही बाढ़ आई हुई है। रेलवे लाइन सभी जगह सुरक्षित हैं। आशा है अब गंगा का जल स्तर घटना शुरु हो जायगा।

Shri K. M. Madbukar (Kesaria) : There has been unprecedented flood situation in Bihar this year and nearly one crore of people and an area of 15,000 sq. miles have been affected due to this flood. The information furnished by the Government is entirely wrong. It was reported in the Aryavarta dated 30th July, 1971 that water level was 65 cms. above the danger point, but a reduced level was announced by the Government. I would like to know whether a detailed survey of the place was carried out before establishing the oil refinery and other central undertakings there ? Whether protective measures were taken according to that report ? I would also like to know whether Govt. is preparing any programme with the co-ordination of Ministries of Industrial development, Petroleum and chemicals, Irrigation and Power as well as Railways for the security of the Industrial complex at Barauni ? I would also like to know the steps being taken to safeguard the undertakings established at the banks of various rivers ? I would also request that there should be a full fledged discussion over this subject.

डा० के० एल० राव : 12 अगस्त, 1971 को इस विषय पर सदन में चर्चा होगी, तब सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं।

सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत कैसे हो सकती है, क्योंकि समाचार पत्रों और मेरी सूचना का सूत्र तो एक ही है। राजगीर नामक स्थान से ही समाचार पत्र भी सूचना एकत्र करते हैं। 30 तारीख को मैं स्वयं वहाँ पर था।

तालमेल के बारे में मुझे यह कहना है कि तटबन्ध की सुरक्षा और रखरखाव पूर्णत: राज्य विजय है और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को निभा रही है। जहां केन्द्रीय संस्थान हैं, वहां केन्द्रीय सरकार को भी ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि दरारों आदि के कारण संस्थानों में पानी का प्रवेश न हो सके। भूमि कटाव के कारण आने वाली बाढ़ को रोकना मुश्किल है। सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति तैयार की जा सकती है। बिहार में बाढ़ तीन स्थानों पर दरार पड़ जाने के कारण आई है—पेयरासी में गण्डक पर, मधुबनी तटबन्ध में और करिहार के निकट आलमपुर तटबन्ध में। पानी भूमि कटाव के कारण आया। हजारों मील के तटबन्ध के बारे में कुछ भी

नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण संस्थानों के बचाव के लिए रक्षा की दूसरी पंक्ति खड़ी की जानी चाहिए, जिससे पहले तटबन्ध के टूट जाने पर पानी संस्थानों में न जा सके। इसी प्रकार की सलाह मैं राज्य सरकार और पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय को दे रहा हूं।

यू किरोलका रिलम, शिलांग के सम्पादक आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
Question of Privilege against Editor etc. of U. Kyrowlaka, Rilum, Shillong

अध्यक्ष महोदय : सभा को यह स्मरण होगा कि 23 जून, 1971 को जब श्री सेजियान ने शिलांग से खासी में प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक समाचार-पत्र 'यू काईरोलका रिलम" के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध एक समाचार प्रकाशित करने के लिये, जिसमें इस सभा के अध्यक्ष श्री जी० जी० स्वैल के प्रति तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था तब मैंने कहा था कि इस मामले को समाचार-पत्र के सम्पादक के पास भेजा जायेगा। मुझे उत्तर मिलने के पश्चात् मैं श्री सेझियान और उपाध्यक्ष महोदय से परामर्श करूंगा। यदि वे संतुष्ट हो जायेंगे तो इस मामले को समाप्त कर दिया जायेगा अन्यथा विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जायेगा।

समाचार पत्र के सम्पापक को भेजे गये पत्र के उत्तर में मुझे श्री यू० एल० एल० डी० बासन से, जिन्होंने अपने आपको कथित समाचार-पत्र का भूतपूर्व सम्पादक बताया है, एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अस्वस्थ होने के कारण कथित समाचार-पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के पदों से 22 जून, 1971 से त्याग-पत्र दे दिया है। उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी कहा है कि यह समाचार वास्तव में श्री सी० एम० लिंगडोह का 10 जून, 1971 का सम्पादक के नाम एक पत्र था और यह पत्र गलती से समाचार के रूप में प्रकाशित कर दिया गया और उनका इस सभा की तथा उपाध्यक्ष के पद की गरिमा का उपहास करने या इसके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण खेद व्यक्त करते हुये श्री बासन ने इसके लिये और उत्तर भेजने में हुये विलम्ब के लिये क्षमायाचना की है और इस मामले को समाप्त करने की अपील की है।

20 जुलाई, 1971 को श्री बासन को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे कहा गया कि वह "यू काईरोव्ह का रिलम" के अगले अंक में इस समाचार का खंडन करें और इस पर खेद प्रकाशित करें तथा इसकी एक प्रति मुझे सूचनार्थ भेजें। कथित समाचार के लेखक श्री सी० एम० लिंगडोह को भी श्री बासन के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण मेरे विचारार्थ 31 जुलाई, 1971 तक भेजें।

परन्तु इन दोनों व्यक्तियों से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इन परिस्थितियों में यदि सभा सहमत हो, तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज जा सकता है।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पारित करने के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

Point of Order Re: passing of The Constitution (Twenty-Fourth Amendment) Bill

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 155 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब इस सभा में संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पारित किया जा रहा था तो श्री मीलु मोडी ने नियम 155 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उन्होंने इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति उठाई थी। हम जानते हैं कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि मंत्रालय की गलती के कारण रद्द कर दिया गया था ? हमें इस मामले में कोई त्रुटि नहीं छोड़नी चाहिये। अध्यक्ष महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस सभा द्वारा इस विधेयक के पारित किये जाने में कोई ऐसी त्रुटि न रह जाये जिसके कारण कोई व्यक्ति इसे न्यायालय में चुनौती दे सके।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले हमने इसका भली भांति अध्ययन कर लिया है। पिछले संवैधानिक संशोधनों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

गत संसद में नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया था। नियम समिति के सदस्यों ने कहा कि खंडवार मतदान के दौरान विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है और इस बहुमत की उस समय जरुरत है जब अध्यक्ष तीसरे वाचन के अन्त में मामले को मतदान के लिये अन्तिम रूप से प्रस्तुत करते हैं।

नियम समिति का प्रतिवेदन 9 दिसम्बर 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था। वे इस बात से पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने यह सिफारिश की थी कि विधेयक की अन्तिम अवस्था में ही विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाना चाहिये। अत: हम पुराने तरीके को अपनाने के लिये बाध्य नहीं हैं। नियभ समिति के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये थे।

अब मैं नियम 155 के बारे में सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने पुरी सावधानी बरती है। नियम 145 के अन्त में कहा गया है कि "परन्तु यह और भी कि संक्षिप्त नाम, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।"

खंडों और अनुसूची के संशोधनों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसी प्रकार किया जाना चाहिये जैसा कि अन्य विधेयकों के मामले में होता है। हमने यह प्रक्रिया अब तक पारित किये गये सभी संविधान (संशोधन) विधेयकों के मामले में अपनाई है।

मतदान के बारे में नियम 158 में उल्लेख किया गया है कि जब कभी किसी प्रस्ताव पर सभा के कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से कम मत न होते हों तो मत-विभाजन द्वारा मतदान होगा। नियम 155 के परन्तुक में कुल सदस्यों के बहुमत का उल्लेख नहीं किया गया हैं। मत-विभाजन का उल्लेख नहीं है। नाम, अधि-नियम सूत्र और पूरे नाम की संविधान के संशोधनों की तरह नहीं लिया जाता।

न्यायालय सभा में अपनाई गई प्रक्रिया पर विचार नहीं कर सकते। अध्यक्ष की यह घोषणा पर्याप्त है कि विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती। मैंने संविधान के पहले पारित किये गये सभी 23 संशोधनों को देखा है। तब हमने राय प्राप्त की थी और इकट्ठे बैठ कर चर्चा की थी तथा हमने सोचा कि हमें पहले अपनाई गई प्रतिक्रिया से हटना नहीं चाहिये। परन्तु यह आवश्यक नहीं है जैसा कि नियम समिति ने सिफारिश की है। मैं सभा को शत-प्रतिशत आश्वासन दे सकता हूँ कि मैंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों का अध्ययन किया है और उसमें निर्दिष्ट सही प्रक्रिया को अपनाया है।

श्री बी० एस० रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों पर जिनमें स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, अकारण ही पुलिस द्वारा, अत्याचार किये जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया इसे स्वीकार कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बीमा (संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : मैं बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। जो भारत के राज पत्र, दिनांक 21 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1051 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 799/71)**

कोयला खान परिवार पेंशन योजना आदि

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1. कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 299 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 800/71**]
2. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 6क के अन्तर्गत जारी की गई कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 315 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 801/71**]

3. उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8 2/71**]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सहकारी समीक्षा

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

1. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

2. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखें और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 803/71**]

गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा (संशोधन) नियम और खाद्यान्न स्टार्च के निर्माण में उपयोग का निषेध आदेश 1971

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्री शिन्दे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

1. गुजरात राज्य सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 53 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा(संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनाँक 23 मई. 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम० 2041/एम-आई साएच-1162/63374 जे में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्यापार व्याख्यात्मक टिप्पण । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 804/71**]

2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत खाद्यान्न (स्टार्च के निर्माण में उपयोग का निषेध) संशोधन आदेश 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1082 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 805/71**]

एकाधिकार और निबन्धकारी व्यापार प्रथा (माल का वर्गीकरण) नियम, 1971

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

1. एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा (माल का वर्गीकरण) नियम, 1971 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जुलाई 1971 में अधिसूचना संख्या-जी० एस० आर० 1033 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 806/71]**

उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला तथा अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 807/71]**

रबड के मल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पर सरकारी संकल्प आदि

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

1. टेरिफ आयोग अधिनियम, 1951 कर्ज धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(एक) कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्य में संशोधन सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8 8/71]**

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 16 (3)-प्लाट (बी)/69, दिनांक 28 अप्रैल, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8.9/7**

2. उपर्युक्त दस्तावेज उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों तथा प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का ए विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 810/71]**

विभिन्न आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

Statements showing motion taken on various assurances

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरा नन्द) : मैं लोक-सभा से विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दस विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या चौंतीस　　　　　　　　　　चौथा सत्र, *1968*

2. विवरण संख्या अट्ठाइस	पांचवा सत्र, 1968
3. विवरण संख्या छब्बीस	सातवाँ सत्र, 1969
4. विवरण संख्या सोलह	आठवां सत्र, 1969
5. विवरण संख्या चौदह	नौवां सत्र, 1969
6. विवरण संख्या सोलह	दसवां सत्र, 1970
7. विवरण संख्या सात	ग्यारहवाँ सत्र, 1970
8. विवरण संख्या छः	बारहवां सत्र, 1971
पांचवी लोक सभा	
9. विवरण संख्या तीन	पहला सत्र, 1971
10. विवरण संख्या दो	दूसरा सत्र, 1971

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 811/71**]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए बजट अनुमान

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) ; मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1970-71 के संशोधन अनुमानों तथा वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 812/71**]

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

1. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 812 A/71**]

2. उपर्युक्त प्रतिवेदन का सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 813/71**]

प्राक्कलन समिति
Estimates Committee

सिफारिशों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तरों के बारे में

निम्नलिखित पांच विवरण सभा पर रखता हूँ जो की गई कार्यवाही के सम्बन्धित प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे ।

1. प्राक्कलन समिति (चौथी लोक-सभा) के 80 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण

2. प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 96वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

3. प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 106 वें प्रतिवेदन के अध्याय पाँच में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

4. प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 107 वें प्रतिवेदन के अध्याय पाँच में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

5. प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 125 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Member's Bills and Resolutions

कार्यवाही — सारांश

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त शास्त्री जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालू सत्र के दौरान हुई पहली से पांचवी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति

Assent to Bills

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971

(2) पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971

(3) गुजरात विनियोग विधेयक, 1971

(4) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
Leave of Absence from the sittings of the House

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने श्री ए० के० सेन को 9 जून से 6 अगस्त, 1971 तक की अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी है। वह अस्पताल में हैं। मैं समझता हूं कि सभी समिति की सिफारिशों से सहमत हैं।

माननीय सदस्य : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

लोक लेखा समिति
Public Accounts Committee

आठवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सीमा शुल्क के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियां, 1970 सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के अध्याय दो के बारे में लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1971-72
Supplementary Demands for Grants (General) 1971-72

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971-72 (अगस्त, 1971) के लिये बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
Business of the House

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं 9 अगस्त 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :-

(1) आज की कार्य - सूची में बच रहे किसी सरकारी कार्य पर चर्चा।

(2) वर्ष 1971 — 72 के लिये अनुदानों की अनूपरक माँगे (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) चौथी पंच-वर्षीय योजना, 1969 — 74, पर चर्चा।

(4) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1971 को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा।

(5) जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के प्रस्ताव पर चर्चा।

(6) विचार तथा पास करना :

(एक) राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक, 1971

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1971

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I request that a debate on Bangla Desh should be fixed before the conclusion of the present Session.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये पहले ही अवधि निर्धारित कर दी गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बंगला देश के बारे में एक बार और चर्चा किये जाने की मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की माँग का समर्थन करता हूं।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि नहीं की है। यद्यपि सूचकांक 228 तक पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप उनमें व्यापक असन्तोष है। उनका एक प्रतिनिधि-मंडल प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर भी गया था लेकिन प्रधान मन्त्री ने उनसे भेंट नहीं की। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सूचकांक के 225 पार करने के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाना चाहिये।

बाढ़ की स्थिति और चीनी के मामले पर भी चर्चा की जानी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : रेलवे दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि को देखते हुए इस विषय पर भी चर्चा की जानी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने चौबीसवां संशोधन विधेयक पारित कर दिया है और 25वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इस संशोधन विधेयक को वर्तमान सत्र में ही पारित किया जाना चाहिये जिसे राजाओं और महाराजा की निजी थैलियां समाप्त की जा सकें।

श्री राज बहादुर : सरकार इस बात के लिये स्वयं ही बहुत चिन्तित है कि उक्त संशोधन विधेयक को पुनःस्थापित करने और पारित करने में अधिक समय नष्ट न हो।

बंगला देश की समस्या पर चर्चा न करने का सरकार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न है, इस विषय पर वेतन आयोग विचार कर रहा है और वह इस बारे में शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी संशोधन विधेयक पर चर्चा सामान्य चर्चा के बाद स्थगित कर दी गई थी। इस विधेयक की भारत में उन करोड़ों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगो पर प्रभाव

पड़ता है जिन्हें विशेषाधिकार के अवसर प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है। श्री हनुमन्तैया, ने जो उस समय विधि और समाज कल्याण मंत्री के सभा को आश्वासन दिया था कि उक्त विधेयक पर आगामी सत्र में चर्चा की जायेगी।

श्री राज बहादुर : मैं इस बारे में सम्बन्ध मंत्री महोदय से पूछताछ करूंगा। और फिर सभा को सूचित करूंगा।

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

Ce tral Sales Tax (Amendment) Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय बिक्री बिक्री कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुन: स्थापित करता हूं।

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक – जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAIMATION IN RELATION TO THE STATE OF PUNJAB AND PUNJAB STATE LEGISLATIVE (DELEGATION OF POWERS)—CONTD

अध्यक्ष महोदय : सभा अब राष्ट्रपति को पंजाब और पंजाब राज्य के विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के बारे में संवैधानिक संकल्प पर आगे चर्चा करेगी।

– श्री दरबारा सिंह

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : There is so much partialism in the offices for appointment that a first class candidate is rejected and a third class candidate gets appointment.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Cha i]

There have been grave irregularities in the allotment of evacuee land along the Sutlaj River. Although it has long been decided that this land will be allotted to the Harijan's cultivators or their cooperatives, no land has yet been alloted to them because they had voted for Congress. All the land has been distributed among the relatives of the Akali Ministers. In case an Enquiry Commission is set up, all the facts will come to light.

There has been discrimination between Hindus and Sikhs in the matter of distribution of evacuee land. An enquiry against the former chief Minister, Shri Prakash Singh Badal must be conducted.

Enquiry should be made regarding the issue of steel quota by the Industries Minister.

The work of State Agro- Industrial Corporation is suffering due to jack of funds as the State Government did not contribute its share. Now when there is central rule in the state, this difficulty should be removed.

The schedule castes people have not been given any facilites. Whatever concessions or facilities they were given during the coogress administration, have been withdrawn. Government should make an enquiry in this matter.

The present division is neither in favour of Punjab nor in favour of Sikhs.

Sant Fateh Singh had agreed to give up Fazilka in favour of Chandigarh. But now he has changed his mind and is demanding Fazilka also. Government should strictly adhere to the decision once taken. There must be some sanctity about such decisions.

The Gurdwara committee has been appointed in accordance with the judgment of the High Court. Now, from 20th May 1971 to 24th July 1971, an income of more than ten lakhs has been shown from Gurdwaras. But previously the used to show an income of eleven lakhs of rupees a year. So it has been proved that there is a lot of corruption in Gurdwaras and appropriate steps should be taken to improve the management conditions of Gurdwaras.

An inquiry should be held into all those matters. The ex-chief Minister is prepared for an inquiry and the actual facts can be brought to light by conducting proper inquiry. The distribution of land has been effected in an unjust manner which ought to be rectified. With these words I support the Proclamation.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : Our party has welcomed the steps taken by the Government. By abolishing the Assembly the process of defections has been stopped at least for the time being.

We also welcome the interim arrangements made for the administration of the state. We want that these arrangements should be continued properly. We also welcome the appointment of a consultative committee and want that it should function properly. The meeting of the consultative committee should be held every month. It is also necessary that the date for Assembly elections should be fixed sufficiently in advance.

During the Governor's rule the administration must try to undo the misdeeds of Akali Government.

Memorandums have been submitted to the President, the Prime Minister and the Governor in connection with certain cases. Those cases should be inquired into. If there is delay in conducting inquiry, the guilty persons will escape.

Uniform land laws should be enforced in the state during the Governor's rule. At present there is one set of laws in Pepsu and a different set of rules in the rest of the State. This anomaly must be removed.

If the recommendations of the Central land Reforms Committee are implemented during the Governor's rule it will be a great achievement.

There has been a green revolution in the country and Punjab has played an important role in so far as wheat production is concerned. But green revolution in wheat alone is not enough. We have to supply rice to the refugees coming from Bangla Desh. It is therefore, necessary that arrangements are made for the provision of electricity and for small irrigation.

There are no big industries in Punjab. Only small industries are there in the State. But they also depend on power. Attention should be paid to the generation power during Governor's rule.

The black marketing is going on in respect of agro-implements in Punjab. We have to pay almost double the price for the tractors that we are importing. The Government should look into this matter and see that it is stopped.

Birla's farm in Rupar should be converted into a Government farm. A promise has already been made by the Government to this effect. Immediate inquiry should be conducted with regard to the cases of corruption.

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : The Government deserves congratulation for bringing forward a Comprehensive Bill whereby more attention will be paid to the development of Punjab.

[श्री सेझियान पीठासीन हुए]
[Shri Sezhian in the Chair]

Corruption and malpractices are going on in the Gurdwaras of Punjab in a large scale. The Government should hold an inquiry into it. The income of the Gurdwaras is being swallowed by the management. The condition of the Gurdwaras in Punjab is the worst. Sant Fateh Singh should try to first improve the condition of those Gurdwaras and then come to Delhi for making improvement in the Gurdwaras here.

Akali Ministry headed by Shri Badal was very corrupt and each Minister was trying to make money.

An inquiry Commission should be appointed to hold inquiry into the charges of corruption made against the former Home Minister and the Chief Minister of Punjab.

Centre sanctioned 16 big industrial licences to Punjab but nothing was done to set up any industry.

One of the former Ministers of the state set up a Co-operative society in the name of some of his relatives.

The people of Punjab are happy now because they are now free from the clutches of the corrupt Government.

So far as Fazilka is concerned, I am giving a memorandum* for the hon. Minister to consider and to hold inquiry in this regard.

सभापति महोदय : आप सदन में इसे उन्हें न दें। या तो आप निजी रूप से यह उन्हें दे सकते हैं या फिर अध्यक्ष की अनुमति से सभा-पटल पर रख सकते हैं।

Shri Sat Pal Kapoor : There are two kinds of land laws in Punjab. A uniform law should be passed and the surplus land should be distributed among the landless people. Ceiling on land should be imposed in accordance with the recommendations of the Land Reforms Committee.

The Akali Government has suppressed the employees ruthlessly. About 1600

*अध्यक्ष महोदय द्वारा ततपश्चात् आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

*The speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

employees are facing trials. Cases against them should be withdrawn and some unterim relief should be given to them.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी): पंजाब में काँग्रेस ने जो शर्मनाक भूमिका निभाई है उसकी सभी को निन्दा करनी चाहिये। यही नहीं भारत की प्रधान मंत्री तक ने राज्य के राज्यपाल की विधान सभा भंग करने की सिफारिश की निन्दा की है हालांकि यही निर्णय उचित था ताकि दल-बदल की राजनीति पनपने न पाये। कांग्रेस यही चाहती है कि कोई भी प्रादेशिक दल, अपने राज्य में चाहे उसने कितना ही सराहनीय कार्य क्यों न किया हो और वहां वह कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो, अपना प्रभाव न बढा पाए। क्या काग्रेस का यह रवैया लोकतंत्र के हित में है ? अब जबकि काग्रेस को जनता का इतना अधिक समर्थन प्राप्त है, उसे थोडा उदार बनना चाहिये और गैर - काँग्रेस सरकारों इस प्रकार नही गिराना चाहिये।

Shri Sadhu Ram (Phillour) : Before Presidents Rule was clamped in Punjab, the state was smasting under the atrocites Committee by the Communal Akali Government. Harijans were facing annihilation. Wherever Harijans were murdered, no cases were registered with the police. Even some police officers collided with the Akalis. So much so, even today the Governor has not acted against those corrupt and unscrupulous officers complainst against whom were sent to him in writing.

Relative of many Akali & Ministers have grabled the land of Harijans in the state. Shri Riyasti's memorandun calling for inquiry egainst corrupt Akali ex- Minister has not borne any finsh so far. We are hopefully looking towards the Governors to take action in the matter of mess transfers of Teachers, grant of inter relief to State Government employees, removal of irregularities in the grant of power connections to farmers, loweing of increased price of fertilizers and taxes on tractors.

Today not even one percent people of Punjab are behind Sant Fateh Singh, who is threatening to launch another agitation. On the other hand, people had heaved a sigh of relief when Akali high handedness was checked following the imposition of President's Rule in Punjab,

I propose that through an amendment in the constitution, a political party must have at least 10,000 members after 100,000 population and that they must not belong to the same community, This would go a long way to check the mushroom growth of communal parties like the Akali Dal, Muslim league etc. The sant has always raised the slogan of 'Panth in Danger', whenever his interest suffers, as he is doing in the case of Delhi Gurudwaras. Government should not come down before such empty threats.

I want to assure the Central Govermmet that all ministers and non-Akalies in Punjab appreciate Government's step in ending Akali rule in the state, but they should pull up the Governor a little to be more active so that prompt action is taken against all those against whom complaints are pending with him as also to solve other pending cases as cited above.

In the end, I would suggest that the strength of State Cabinets be limited to ten percent of the total strength of State Legislatures through a Constitutional amendment and reiterate my demand to the hon. Home Minister to activise the Punjab Governor a little more.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Translated Version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : I intend to support the Bill introduced by Shri Pant. We welcome it as it follows the fall of the corrupt and communal Akali rule in Punjab. I support Shri Sadhu Ram's demand to limit the strength of Ministers to ten per-cent of the total number of legislators in any state, although this should have been implemented in 1967 itself, because even Congress Cabinets in many states like Haryana are too large.

I am happy to note the statement of Shri Darbara Singh regarding award on Chandi-Garh when he said that they should stand by the Award. But I am sorry to say that he says one thing here in Parliament and another thing outside it. I am sure that Union Foreign Minister and Shri Darbara Singh also attended the P. C. C. meeting held on 17th or 18th July wherein a resolution was passed that Chandigarh be given to Punjab along with Fazilka and Abohar. It is a very deplorable attitude and the Centre should not now bow to such pressure. I would request the Government to implement the award in letter and spirit and with all firmness.

I am all praise for the action taken by the Governor following the fall of Akali Government. The cancer of corruption is not new in Punjab, look at the Kairon, Ram Kishan and Gill regimes and Bakshi regime in Jammu and Kashmir. Today the same Congressmen are accusing the Akalis.

I do not know how one hon. Member was saying yesterday that Congress does not believe in defections and that Party does not in anyway encourage it, whereas this drama was played in U. P., Bihar etc. by Congress and I will add, it is the arch-leader in bringing about defectious. Inquiry into corruption charges against Ex-Ministers should not be taken up during President's Rule. It would be a bad precedent.

In the end, I would suggest that the same facilities should be given to Central Government employees sent to Punjab after President's Rule as are available to them here.

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा (लुधियाना) : अकाली राज में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि मन्त्री भी एक दूसरे का काम बिना घूस लिए नहीं किया करते थे। भ्रष्टाचार को राज चलाने का सामान्य माध्यम मान लिया गया था। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए भी घूस ली जाती थी।

यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने गिल सरकार को समर्थन दिया था यद्यपि वह भ्रष्ट थी परन्तु हमने ऐसा पता लगते ही अपना समर्थन समाप्त कर दिया था।

उक्त पंचाट की घोषणा किये जाने पर जिसके फलस्वरुप चण्डीगढ़ पजांब को और फाजिल्का तथा अबाँदर हरियाणा को दिये गये हरियाणा में अनेक रेलगाड़ियो को जला दिया गया था। हरियाणा के लोग इस पंचाट पर बहुत अप्रसन्न थे काँग्रेस के एक सदस्य को जीवित जला दिया गया था। यह जनसंध वालों का कार्य था **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : This is absolutely wrong. It may not be recorded.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Shri Kanti Kumar was burnt alive by them.

Shri Hukam Chand Kachwai : **

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded.

सभापति महोदय : वह जो कुछ कहें उसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री देविन्दर सिंह गरचा : हरियाणा में तीन दिन तक आन्दोलन होता रहा। पंजाबियो के लिये हरियाणा से गुजरना मुशकिल था। अकाली सरकार द्वारा इस पंचाट को इस लिये स्वीकार किया गया था क्योंकि वह अपने नेता का जीवन बचाना चाहते थे। परन्तु एक साम्प्रदायिक दल द्वारा स्वीकृत पंचाट को पंजाब के लोग मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। पंजाब के लोगों ने सर्व-सम्मति से इस बात का निर्णय किया है कि वे फाजिल्का और अम्बाला नहीं छोड़ेंगे। हमारे दल ने भी इस आशय का एक संकल्प पास किया है।

श्रीमुख्तियार सिंह इस बात की भी वकालत कर रहे हैं कि अभी जांच आयोग स्थापित न किया जाये हालांकि भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं हमारी मांग है कि जांच आयोग तुरन्त नियुक्त किया जाये।

जनसंघ ने पंजाब में विशेषकर अवसरवादी का भाग अदा किया है। मेरा निवेदन यह है कि लोगों की शिकायतों को दूर किया जाये। दरित क्रान्ति का लाभ छोटे किसानों को पहुंचना चाहिए। इन किसानों को प्रौद्योगिकी के लाभ भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। पंजाब में बिजली की बहुत कमी है। कारखाने पूरी तरह काम नहीं करवा रहे हैं। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। बिजली उत्पादन के कार्य को राष्ट्रीय कार्य समझा जाना चाहिए और इसे केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेना चाहिए।

कुछ भूमिहीन लोगों ने सतलुज तथा व्यास नदियों के साथ के क्षेत्रों में खेती की है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो से पांच एकड़ तक भूमि है। इन लोगों ने अपनी मेहनत से यहां पर खेती की है। अकाली दल सरकार ने पुनर्वास विभाग की सांठगांठ से इन लोगों को इन क्षेत्रों से निकालने का प्रयास किया था। मेरा निवेदन है इन लोगों के पास इस भूमि को रहने दिया जाये और किसी नये व्यक्ति को यहां पर भूमि अलाट न की जाये।

***श्री एम० सत्यनारायण राव** (करीमनगर) : यह चौथा राज्य है जिसमें राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। मेरे विचार में एक के बाद दूसरे राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना उचित नहीं है।

इससे विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है।

यह बड़े खेद की बात है कि सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा के साथ साथ पंजाब में भूतपूर्व सरकार चलाने वाले दलों पर भी आरोप लगाये हैं।

न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी पंजाब का ऊंचा स्थान है। मैं चाहता हूं कि यह राज्य देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बने। यहां के लोग बहुत परिश्रमी हैं। अब इस राज्य के अग्रेतर विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है।

---

*Hindi translation of the English version of speech delivered in Telugu.

*तेलुगू में दिये गये भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वैकल्पिक सरकार के गठन की सम्भावनाओं का पता लगाये बिना राष्ट्रपति का शासन लागू कराने की सिफारिश करना किसी भी राज्य के राज्यपाल के लिए उचित नहीं है। राज्यपाल को सर्वप्रथम वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए।

मैं जानता हूं कि पंजाब में सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। हम समाचार पत्रों में पक्षपात तथा भाई-भतीजाबाद के बारे में भी पढ़ते रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार अब इन बुराइयों को दूर कर सकती है। केन्द्रीय सरकार अब पंजाब में भूमि सुधारों को भी लागू कर सकती है।

मैं विचाराधीन विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि वास्तविक अधिकार गृह-मन्त्रालय को ही प्राप्त होगा। वास्तव में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। परन्तु पंजाब के बारे में अभी तक कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब में भूमि सुधार जैसे अनेक क्रान्तिकारी उपाय लागू करें।

डॉ० अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : पंजाब की अकाली सरकार को केन्द्रीय सरकार ने नहीं गिराया है। वास्तव में अकाली दल प्रशासन को नहीं चला सका और मुख्य मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा। जब राज्यपाल ने देखा कि कोई अन्य दल स्थायी सरकार न बना सका तो उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की।

पंजाब में जनसंघ और अकालीदल साम्प्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे।

संत फतेहसिंह तथा श्री बादल द्वारा अनेक बार वचन दिये जाने के बावजूद दोषी मंत्रियों के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई। इसका कारण यह है कि पंजाब को शोसन करने में वे सभी भागीदार थे। जनसंघ के सदस्य अब यह कह रहे हैं कि जांच को लोकप्रिय सरकार बनाने तक स्थगित कर दिया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभी साम्प्रदायिकवादी दल एक दूसरे का समर्थन करते हैं।

पंजाब के प्रति अब केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि वहां पर अब राष्ट्रपति का शासन है। समूची सरकारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। बीस हजार अध्यापकों का एक साथ तबादला कर दिया गया था यह अच्छी बात है कि उन तबादलों को अब रद्द कर दिया गया है सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। समझौता होने तक उनके नेताओं के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब में दक्ष आकार की स्थापना करेगी।

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepur) : It was misfortune of the people of Punjab that two communal parties Jan Sangh and Akali Dal came into power in 1967. The State of Punjab which was making progress by leaps and bounds suffered a set back. You will remember that Shri Kanti Kumar was burnt alive by the Jan Sangh people in Panipat.

सभापती महोदय : इसका खण्डन हो चुका है।

Shri Mahendra Singh Gill : It is said that Congress brought about defections in

Punjab. But we never asked them to come to-gather no we asked them to desert each other. Since 1967 there has been four different ministers in Punjab. A Bill to have defections should be brought in the Parliament.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Sikhs always played a great role in the independence movement, but Sant Fateh Singh has always acted against the interests of the country. In 1965, when the country was fighting with the enemy, sant had under taken fast un to death, Once again, when the country is facing the danger from Pakistan on account of the situation in Bangla Desh he has started morcha. When Sisganj Gurudwara was closed and different groups of Sikhs were fighting the sant did not come to Delhi, But now when the Central Government has resolved the dispute, he is coming to Delhi, because his supporters have lost control over the Gurudwaras and they are not getting the public money for their use, He was received with black flags at many places in Punjab.

The Passport of Mr. Gagjit Singh, General secretary of sant Akali Dal should be cancelled,

Some heavy industries should be set up in Punjab. The matter of Thien Dam should be settled soon. It is important for Punjab.

In order to counteract the propaganda of the television centre of Pakistan at Lahore, Our Government should start a television centre in the border areas of Punjab.

The Government employees and teachers in Punjab have been facing great difficulties during the Akali regimse. The question of giving interim relief to the employees should be settled soon,

Chandigarh should he linked with Delhi by the main railway line.

श्री ज्योतिमय बसु (डायमन्ड हार्बर) : अकाली और कांग्रेसी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बड़े-बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के पिट्ठू होने के कारण अकालियों ने पंजाब में कुछ नहीं किया, पर अपने लम्बे राज्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया ? उन्होंने लोगों को पिछड़ा हुआ ही बनाये रखा और अपना काम बनाया । वहाँ साक्षरता मैक्सिकों से भी कम है। उन्हें अनजान रखा। पंजाब में किसी प्रकार का भूमि सुधार नहीं हुआ क्योंकि अकाली दल तथा कांग्रेस दोनों के नेता बड़े-बड़े जमींदार ही थे । अतः उन्होंने कोई भूमि सुधार होने ही नहीं दिया। इसलिये इसके लिये अकाली और कांग्रेसी दोनों ही दोषी हैं। वहां अभी भी 2000 और 3000 एकड़ के व्यक्तिगत फार्म हैं पारिवारिक यह झूठी सहकारी समितियों जिसके सदस्य एक परिवार के लोग ही हैं के फार्म हैं। इन बड़े-बड़े जमींदारों ने लाखों लोगों को अपनी जमीनों से पुलिस की मदद से बेदखल कराया है।

सभी राज्यों के मन्त्रियों के आचरण की जांच की जानी चाहिये । क्योंकि इन्हीं की राह पर भ्रष्टाचार होता है और लाइसेंस दिये जाते हैं।

बड़े-बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों के लिये सरकार ने पुलिस द्वारा दमन चालू कर दिया है। नक्सलवादियों की आड़ लेकर मेरे दल के सदस्यों को कई प्रकार से तंग किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्र ने पंजाब तथा अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किये हैं कि वह उन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को हटाना चाहता है। वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रत्येक मामला सभा के सामने आया तथा उन सब पर यहां विचार हुआ था तथा दोनों सदनों ने राष्ट्रपति की घोषणा का अनुमोदन किया था। प्रत्येक मामले में कुछ विशेष बातें थीं। इस कारण स्थिति को सामान्य रूप देना उचित नहीं है। परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करती रहेगी तब तक केन्द्र बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर जब किसी राज्य में अव्यवस्था पैदा होती है तभी अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है।

जहां तक पंजाब का प्रश्न है वहां राष्ट्रपति शासन राज्यपाल और मुख्य मन्त्री की सलाह पर लागू किया गया है और उसके बाद कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि हम अपने दल की सरकार राज्यों में बनाना चाहते हैं। अत: इन आरोपों में कोई सार नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करती तब राज्यपाल की सलाह मान कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।

पंजाब में शीघ्र चुनाव कराये जाने की बात कही गई। हम भी ऐसा ही चाहते हैं, पर अभी मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण करना है और इस सब प्रक्रिया के बाद ही चुनाव हो सकते हैं।

श्री बसु ने कहा कि पंजाब में या तो अकाली नजर आते हैं या फिर कांग्रेसी। यह सही है। जब उनके दल ने अकाली दल का समर्थन किया तो उन्होंने भी नीली पगड़ियाँ पहन ली होंगी ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम तो विषयानुकूल समर्थन करते हैं। हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में माननीय मन्त्री के दल का भी समर्थन किया था।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : यह कटु सत्य है। समूची सभा को इसकी जानकारी है। मैं तो केवल इसका उल्लेख ही करना चाहता था।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता के पास बहुत अधिक भूमि है, परन्तु इस प्रकार किसी का नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : उनके पास 3,000 एकड़ भूमि है।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : इतनी अधिक भूमि बिल्कुल नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने पंजाब के लोगों को पिछड़ा हुआ बताया है। मैं समझता हूं कि उनका यह कहना एकदम गलत है। पंजाब के लोगों ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध हमेशा देश की रक्षा की है।

अभी भी पंजाब के लोग सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और देश को सशक्त बना सकते हैं।

पंजाब के सिपाही विश्व प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार पंजाब के किसानों, छोटे उद्योगपतियों और शिल्पकारों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पंजाब में बड़े उद्योग धन्धे नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि वहां पर बड़े उद्योग नहीं हैं परन्तु छोटे तथा कुटीर उद्योग वहां पर अवश्य है। इसीलिए पंजाब में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में पंजाब ने बहुत प्रगति की है। उद्योगों के लाभ पंजाब को ही नहीं, अपितु सारे देश को प्राप्त हो रहे हैं। अतः पंजाब के लोगों को पिछड़ा हुआ कह कर श्री ज्योतिर्मय बसु ने ठीक नहीं किया है।

श्री ज्योतिमय बसु : मैंने किसी को भी पिछड़ा नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में मौजूद है।

श्री ज्योतिमय बसु : भारतीय सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे कम है। आर्थिक विकास में हम सब देशों से पीछे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अब उनकी अपराधी भावना सामने आ रही है। बहुत से मित्रों ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया है। इन आरोपों की प्रारम्भिक जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जायेगी।

पंजाब के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में मैं सबसे पहले वहाँ से अध्यापकों के स्थानान्तरण की बात लेता हूँ। अब ये स्थानान्तरण रद्द कर दिये गये हैं और यथास्थिति कायम कर दी गई है।

मुझे आशा है कि पंजाब की वर्तमान सरकार अपने कर्मचारियों की अन्य सभी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हरिजनों की समस्याओं की ओर भी विशिष्ट रूप से ध्यान देगी।

कुछ सदस्यों ने भूमि सुधारों का भी उल्लेख किया था। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के साथ परामर्श करके इस मामले की पुनरीक्षा की जाये।

हमारे बहुत से मित्रों ने दिल्ली के गुरुद्वारों के बारे में कुछ कहा है। अब तक जो लोग गुरुद्वारों के चुनाव के लिए शोर मचा रहे थे, अब वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा प्रयास तो यही है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र हों।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ;

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2, and 3, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव पारित हुआ

The motion was adopted

मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS BILL

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्वापित करने की अनुमति दी जावे।"

श्री एस० एम० बनर्जी (काननुर) : इस विधेयक में मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने की बात नहीं की गई है। इस समय मन्त्रियों की उस आय पर जिस पर आय कर नहीं लगता, आयकर लगना चाहिये। इस विधेयक का उद्देश्य जनता को मन्त्रियों पर होने वाले व्यय की सही राशि की जानकारी देनी है। अगर इस विधेयक के स्थान पर अन्य विधेयक लाया जाये, जिसमें मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों को कम करने की व्यवस्था हो, तो मैं उसका समर्थन करूंगा।

श्री एच० एम० पटेल : इस विधेयक द्वारा मन्त्रियों की वास्तविक आय को जनता के समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 141 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 143क आदि का अन्तः स्थापन

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ :

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक
LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्ली चेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अनुसूचित जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*तमिल में विधेयक की पुरःस्थापना के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*Translated version of English translation of introduction in Tamil.

जल और वायु प्रदूषण निवारण विधेयक
PREVENTION OF POLLUTION OF AIR AND WATER BILL

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कारखानों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, मोटर गाड़ियों, विषाक्त ईंधन जलाने वाले गृहों, अन्य अभिकरणों तथा व्यष्टियों को वातावरण में विषाक्त गैसें फैलाने से और उन्हें अपना कचरा, किण्वित सीरा, अन्य बदबूदार पदार्थों, विष्ठा, कूड़ाकरकट तथा गंदा पानी नदियों नदिकाओं तथा खुले स्थानों में विसर्जित करने से, जिसके कारण कि जल पीने योग्य नहीं रहता है तथा वातावरण अस्वास्थ्यप्रद, दुर्गंधपूर्ण तथा असह्य बन जाता है और जिसके परिणाम-स्वरूप कि एक गंभीर लोक-कटेक तथा स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न हो जाता है, रोकने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन.स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखानों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, मोटर गाड़ियों, विषाक्त ईंधन जलाने वाले गृहों, अन्य अभिकरणों तथा व्यष्टियों को वातावरण में विषाक्त गैसें फैलाने से और उन्हें अपना कचरा, किण्वित सीरा, अन्य बदबूदार पदार्थों, विष्ठा, कूड़ाकरकट तथा गंदा पानी नदियों, नदिकाओं तथा खुले स्थानों में विसर्जित करने से, जिसके कारण कि जल पीने योग्य नहीं रहता है तथा वातावरण अस्वास्थ्यप्रद, दुर्गंधपूर्ण तथा असह्य बन जाता है और जिसके परिणाम-स्वरूप कि एक गंभीर लोक-कटेक तथा स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न हो जाता है, रोकने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 19, 22 आदि का संशोधन)

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 8 क का अन्तःस्थापन)

Shri P. L. Bampal (Ganganagar) : I beg to move :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने को अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri P. L. Bampal : I withdraw the Bill.

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Bill was, by leave, withdrawn

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा के उपर्युक्त विधेयक के बारे में मुझे श्री एस०एम० बनर्जी से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विधेयक पर बहस स्थगित कर दी जाये । इसके दो या तीन कारण हो सकते हैं सरकार भी इसी प्रकार का विधेयक पुनः स्थापित करना चाहती है अथवा सरकार मामले पर विचार हेतु समय चाहती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अन्तर्गत बताया गया है कि इस विधेयक का प्रयोजन मैथिली, राजस्थानी और भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना है । मैं चाहता हुं कि सरकार उत्तर देने से पूर्व इस मामले पर अच्छी तरह से विचार कर ले, इसलिए विधेयक पर बहस स्थगित कर दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय की बात भी सुन लीजिए ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं श्री गोखले के कथन की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

"आठवीं अनुसूची की पूरी योजना की विस्तृत जांच की आवश्यकता है, अतः इस विधेयक को वापस ले लिया जाना चाहिए ।

सरकार उचित समय पर इन तीन भाषाओं और अन्य भाषाओं के बारे में सदन में व्यक्त की गई राय पर ध्यान देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे ध्यान में रखते हुए मैं श्री एस० एम० बनर्जी को प्रस्ताव पुरः स्थापित करने की अनुमति देता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियम 109 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री भोगेन्द्र झा के संविधान (संशोधन) विधेयक पर बहस स्थागित की जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री भोगेन्द्र झा के संविधान (संशोधन) विधेयक पर बहस स्थगित की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन)

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : I beg to move :

"That a Bill further to amend the constitution of India be taken into consideration."

The unemployment problem is one of the major problem before the country. The Government was not been able to tackle this problem even within a period of 22 years. Five million educated and ten million un-educated people are unemployed. The Government should solve this problem by 1976, if it is unable to do so, an all-party Government should be formed in the centre after that period.

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए ।]
Shri R. D. Bhandare in the Chair

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमान गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति है ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, I rise on a point of order. According to rule 69, a bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum."

सभापति महोदय : श्री गंगा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यह कोई वित्त विधेयक नहीं है। अतः इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : The unemployment problem should not be taken up lightly. Almost all the parties feel that unless this problem is solved over progress will be hampered.

Thousands of engineers are on the road to-day. The magnitude of unemployment is increasing day by day. It should be checked. We can provide employment to thousands of people if we develop small parts on our coast.

India is Primarily an agricultural country. Inspite of that crores of agricultural labourers are unemployed. Sincere efforts should be made to solve this problem. If this Government fails to solve this problem by 1976 a Coalition Government of all the parties should be formed.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The opposition is responsible for the preventing unemployment in the country. They investigate the people for launching satyagrah. The opposition parties are not prepared to share the responsibility for solving the vital problems facing the country. The unemployment problem can be solved if the opposition parties accept their responsibility.

So far as the question of formation of Coalition Government is concerned I would say that Coalition Governments have already proved failure in many States. So the question of farming a Coalition Government in the Centre does not arise.

Dr. Karan Singh (Bikaner) : It is a serious problem. He should not bring in the party politics by saying that the opposition is responsible for it.

Shri M. Ram Gopal Reddy : The per capita income in West Bengal was highest during the regime of Shri B. C. Roy. But now it is the lowest because the opposition parties are investigating the labour for strikes. The opposition parties are trying to bring a blondy revolution by rendering the people unemployed and thus investigating them against the Government. The people have given a clear mandate in our favour and the opposition parties should not watch and see what we do to solve this problem. We cannot have Coalition Government with any party as their ideals are quite different.

Every year crores of people are comming to our country from Pakistan. It also leads to unemployment in the country. We should not blame the Government as there are many other factors responsible for the prevailing unemployment in the country.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : If we do not solve this problem quickly it will pose a great threat to the democracy. It is true that we have been exploited by the imperial Power and during their regime we could not make much headway. In 1904 our population was about 25 crores which has now risen to 60 crores. In 1990 it will touch 90 crore mark.

Keeping in view the growing population it will not be easy to solve this problem with the limited resources which are at our disposal. We will have to co-ordinate our resources to overcome this problem.

The burreaucracy is passing a big bundle on the way. They are not implementing the programmes formation by the Government. The Government machinery is very slow. If at all we want to achieve something we must keep face with the time. I had visited Thailand recently and I had seen that it had made big strides in agricultural and Industrial spheres. There is no dignity of labour in our country. Youngmen are stay of during work in the workshops. We must pay due dignity to labour.

We can stop the influx of villagers to the cities by providing irrigation facilities in the villages. In this way we can also check unemployment to some extent. Similarly small scale industries should also be set up in the villages. Approach roads should be constructed so that farmers may be able to send their produces to the nearby markets. More attention should be paid to the development of villages. Instead of spending lakhs of rupees on the installation of fountain in Delhi we should spend this amount for the development of villages. In this way we will be able to check the flow of villagers to cities and be able to solve the unemployment problem.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The unemployment problem is becoming serious day by day. It is a matter of regret that Government has no accurate figures regarding unemployed persons. It is time that we have made some progress and that employment opportunities have increased but the number of the unemployed have also increased manifold. About 41 percent villagers have no land of their own. We have failed to give them land and thus have failed to solve the unemployment problem.

The banks were nationalised so that the capitalists may not are the public funds for furthering their own interests. It was also hoped that funds will be used for providing loans to farmers and small enterprises. But the reality is just the opposite. The banks have not provided loans to the unemployed graduates. Even today the 75 per cent loans are granted to monopolists and capitalists. The funds of the banks should be used for developing small scale industries. Unemployed engineers should also be granted loans. We should say good bye to the policy of capitalism which we have been following since independence. Big industries should be taken over by the Government. Land should be alloted to the poor. The Government should impose ceiling on the land holding. With these words I oppose the Bill.

Shri M. C. Daga (Pali) : There very people who are sitting here because of democracy want to put an end to this. Though this Bill. They say that if Government fail to solve the unemployment problem by 1976 President should vital a Coalition Government in the Centre. In this connection I would like to say that people cannot tolerate now Presidents' rule anywhere in the country. Knowing this will there people have brought this Bill.

There is no denying the fact that crores of people are unemployed in our country. It is the responsibility of the Government to provide employment to the people. It is true that Government have enforced Minimum wages Act and have started social welfare schemes. But we have failed to provide employment to the educated.

The unemployment problem impedes the progress of any country. It is the problem which gives birth to bloody revolution.

I think this Bill serves a warning to the Government. Article 43 says : State shall endeavour to secure by suitable legislation.........to workers............standard of life. How long the Government will take to do that ? At present we find that in some families there are more than one earning members while in the others there is none. Employment should be provided to the members of such families where none is an earning member and no employment should be given to a member of such families where there are already earning members and who pay income-tax.

The hon. Member has spoken about the formation of Government of talents in his Bill to which it is difficult to agree. But so far as the question of giving employment to the people is concerned we endorse his views. It would have been better if an earlier date had been fixed to provide employment. Let there be a time bound programme to provide employment. Then alone this problem can be solved.

We want the money be taken from the capitalists and invested in the national works for upgradi ng the poor.

The hon. Member has suggested to impose Presidential Rule. It is against the democratic principles. If we do not take concrete steps, we will be responsible for the consequences.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : आज इस सभा में बेरोजगारी के बारे में दो विधेयक पुरः-स्थापित किये गये हैं और बड़े अफसोस की बात है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है ।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुये।]
[Shri N. K. P. Salve in the Chair]

1953 अथवा 1952 में श्री ए० के० गोपालन ने बेरोजगारी पर एक संकल्प प्रस्तुत किया था। तब से यह प्रश्न बार-बार इस सभा के समक्ष लाया जाता रहा है । चूंकि यह कहना कि यह विधेयक जनसंघ अथवा निर्दलीय सदस्य द्वारा लाया गया है इसलिये यह ध्यान देने योग्य नहीं है, गलत है ।

मैं गत पन्द्रह वर्षों से यह बात बार-बार उठाता आ रहा हूं कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने जा रही है और भारत के लिए यह संभव न होगा कि वह अतिरिक्त जनसंख्या को अपेक्षित काम दे सके । हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम उस प्रकार सफल नहीं हुआ है जैसा हम चाहते हैं । बहुत कम माननीय संसद सदस्यों ने जनता के सम्मुख मंच पर खड़े होकर परिवार नियोजन और बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में जनता को अवगत कराया है । यदि लोगों से उचित ढंग से सम्पर्क किया जाये और उनका सहयोग प्राप्त किया जाये तो मुझे विश्वास है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है । यदि हम प्रतिदिन की 50,000 की वृद्धि को रोक कर 10,000 कर सकें तो बेरोजगारी के इस प्रश्न पर हम काबू पा सकेंगे । किन्तु आज स्थिति यह है कि हम गरीबी बढ़ाते जा रहे हैं । चाहे हम इस सभा में कितने ही विधेयक पारित करें, इनसे हम बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन नहीं कर सकेंगे ।

हमारे संविधान में रोजगार दिये जाने का उल्लेख है। एक बार मैंने स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री को सुझाव दिया था कि यदि प्रधानमंत्री राष्ट्र से अपील करें कि दो वर्ष तक कोई बच्चा न हो तो जनसंख्या कम हो सकती है।

एक वर्ष पहले मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक पत्र लिखा था कि चुनावों के दौरान यदि वह अपने मंच से राष्ट्र से अपील करें कि जनसंख्या की वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है जिसका आज विश्व सामना कर रहा है, तो यह हमारे लिये लाभदायक होगा। प्रधान मंत्री ने जवाब दिया और लिखा कि वह इस बात से सहमत हैं। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि कितने भाषणों में उन्होंने इसको मुख्य लक्ष्य बनाया है। यदि हम गरीबी दूर करने की बात करना चाहते हैं तो फिर जनसंख्या की वृद्धि को एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लेना होगा।

इस समय परिवार नियोजन के जो नारे लगाये जाते हैं, उन नारों से यह जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी जा सकती और फलतः खाद्यान्न, भूख आवास, बेरोजगारी और गरीबी की समस्यायें स्वाभाविक हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मैंने एक वर्ष पहले कही थी। मैं चाहता हूं कि इस बात की घोषणा की जाये कि जो भारतीय नागरिक बेरोजगार हैं, उन्हें पर्याप्त रोजगार दिया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि जनसंघ के माननीय सदस्य द्वारा यह विधेयक लाया गया है। वह चाहते हैं कि सभी दलों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सरकार होनी चाहिये।

कई राज्यों में हमने मिलिजुली सरकारें देखी हैं। वे इस बेरोजगारी की समस्या का कहां तक हल कर सके हैं ?

हमारे माननीय सदस्य ने अभी परिवार नियोजन के बारे में कहा है। उनका दल परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करता है। बहु-दलीय सरकार से हम यह समस्या कैसे सुलझा लेंगे ? अतः मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

बेरोजगारी देश की विकट समस्या है और विशेषकर जब कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत से पुरुष और स्त्रियां बेरोजगार हैं। केवल 2 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है।

यह कहना गलत है कि जो परिणाम रहा है वह नकारात्मक है। कुछ सीमायें हैं। स्वाधीनता के बाद हम अपने देश का निर्माण कर रहे हैं। हमें अपने ही संसाधन जुटाने हैं।

हम अपने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से देश में अपने उद्योग का आधार बना रहे हैं और आगे औद्योगिक विकास के लिये छोटी-छोटी मशीनें बना रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

कृषि का विकास किया जाना चाहिये और उसमें अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। "सरकार हटाओ" के नारे लगाने से समस्या नहीं सुलझेगी।

आजकल लोगों को 2 या 3 रुपये मजदूरी मिलती है। किन्तु उन्हें निःसंदेह आज मजदूरी, बीस वर्ष पहले जो मजदूरी मिल रही थी, उससे अधिक मिल रही है। यह काफी नहीं है क्योंकि मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं।

कुछ राज्यों में मद्य-निषेध को समाप्त कर दिया गया है। इससे मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वे अपनी मजदूरी का आधा पैसा बजाय अपने बच्चों पर खर्च करने के, शराब पीने पर खर्च कर देते हैं, अतः सरकार को इन राज्यों में फिर से मद्य-निषेध लागू कर देना चाहिये।

सरकार को मजदूरों के बच्चों को खाना, शिक्षा, रहने के लिये स्थान और पहनने के लिये कपड़े आदि देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये। जो मजदूर बेरोजगार हैं उन्हें बुनियादी जरूरत की कुछ वस्तुयें भी सरकार द्वारा दी जानी चाहिये ताकि वे अपने को सुरक्षित समझें।

समाजवाद नारे लगाने मात्र से प्राप्त नहीं होगा। अन्य समाजवादी देशों के अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिये कि उन्होंने किस प्रकार इस समस्या को हल किया है।

हमारे यहां अधिक से अधिक सहकारी फार्म स्थापित किये जाने चाहिये। कई स्थानों पर सरकारी भूमि बेकार पड़ी हुई है। हमारे यहां सामूहिक खेती आरम्भ की जानी चाहिये तथा भूमि-हीन लोगों को इन फार्मों में नियुक्त किया जाना चाहिये।

विदेशों में खादी की बहुत मांग है। हमें अधिक से अधिक खादी का निर्यात करना चाहिये। सरकार, विदेशों में हमारे माल की मांग के बारे में कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में अध्ययन कर सकती है और अधिकाधिक निर्यात करके हमारी जनता को अधिकाधिक रोजगार दे सकती है। मेरे विचार से हमारा दल ही समाजवाद ला सकता है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : श्री भारत सिंह चौहान संविधान के अनुच्छेद 43 में परिवर्तन चाहते हैं। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार देहाती क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी लिखा हुआ है।

श्री चौहान चार बातों के बारे में पूछ रहे हैं उनमें से पहली तीन के बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि चौथी के बारे में विधि और न्याय मंत्री बतायेंगे।

जहां तक सब हृष्ट-पुष्ट लोगों को रोजगार देने का प्रश्न है, सरकार इस बात को भली भांति जानती है। सरकार सीमित संसाधनों में से अधिक से अधिक लोगों को यथा संभव रोजगार देगी।

अब यह प्रश्न है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जाना है। यदि संसाधन नहीं होंगे तो विधान पेश करके रोजगार देना संभव नहीं होगा। आर्थिक विकास इस सीमा तक होना चाहिये कि समुचित संसाधन पैदा किये जायें, जिसके परिणामस्वरूप सभी हृष्ट-पुष्ट लोगों को रोजगार देना संभव हो सके। हमारी जानकारी का एकमात्र साधन रोजगार कार्यालय हैं। वे इस बारे में सर्वेक्षण करते रहते हैं।

उन्होंने सर्वेक्षण किया परन्तु कुछ लोगों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में अच्छी नौकरियों के लिये दर्ज करवा रखे थे अतः यह कहना कठिन है कि कितने लोग बेरोजगार हैं।

इस बारे में हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करें और यथार्थ आंकड़ें पेश करें कि वास्तव में कितने लोग बेरोजगार हैं, ताकि कुछ योजनायें की चालू जा सकें।

सरकार को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य की पूरी जानकारी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये हर तरह का प्रयास किया गया है, विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सभी तरह की सहायता प्रदान की जाये जिससे वे अपना भरण-पोषण कर सकें। इसके साथ ही पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान को चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा सबको सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। फलस्वरूप अब छोटे किसान भी एक वर्ष में तीन या चार फसलें लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार वहां रोजगार के अधिक अवसर हो जायेंगे और बेकार पड़े मजदूरों को काम मिलने लगेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर जागरूक हो गये हैं और वे, जहाँ अधिक वेतन मिल सकता है वहां काम करते हैं।

तकनीकी लोगों को और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें विशेष कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्योंकि सभी क्षेत्रों की योजनाएं श्रम प्रधान है इसलिए अधिकतर लोगों को इनमें काम मिल जायेगा।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्या मजूरी स्वतंत्रता के पहले की उसकी क्रय शक्ति के बराबर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि ऐसा होना कठिन ही नहीं है वरन् एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में सोचा भी नहीं जा सकता। यह स्थिति भारत में ही नहीं वरन् बाहर सब जगह है। पर क्रय शक्ति गिरी नहीं है। इसके लिए सरकार ने मजूरी बोर्ड स्थापित किये हैं और समय-समय पर श्रम आयोगों की नियुक्ति की है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 ने श्रमिकों के लिए बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। काम के घण्टे निश्चित करने तथा मजदूरों को सुविधाएं देने के सम्बन्ध में इस अधिनियम ने उत्तम कार्य किया है। पर कानून किस सीमा तक अपना कार्य करे यह सभी दिशाओं से मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करता है। अत इस स्पष्टीकरण के आधार पर मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक विधेयक को वापिस ले लेंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :—इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को चार भागों में बांटा जा सकता है। (1) सभी मजदूरों को काम देना, (2) रुपये की स्वतंत्रता से पूर्व की क्रय शक्ति के बराबर निर्वाह मजूरी (3) प्रत्येक कर्मचारी को काम की ऐसी स्थिति प्रदान करना कि उसे आमोद, सामाजिक और सांस्कृतिक गति विधियों के अवसर मिल सकें और (4) यदि ये सब शर्तें पूरी नहीं तो राष्ट्रपति एक बहुदलीय सरकार का निर्माण करें। इसके लिए प्रस्तावक ने 1976 तक का समय निश्चित किया है।

अधिक रोजगार आर्थिक गति विधियों के बढ़ने पर ही मिल सकता है। इसके लिए सरकार यथा सम्भव प्रयत्न कर रही हैं। पर सरकार, कर्मचारियों और नियोजकों को इसके लिये संयुक्त प्रयत्न करना चाहिए।

सरकार बेरोजगारी की समस्या पर बड़ी ही चिन्तित है और उसके तुरन्त हाल के लिये श्रम प्रधान योजनाओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। 53 सूखा ग्रस्त जिलों के लिए एक ग्रामीण योजना बनाई गई हैं।

लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार से सहायता दे रही है। सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्यमों के साथ सहायक उद्योगों की स्थापना का एक कार्य क्रम बनाया गया है।

युवा तकनीसनों द्वारा लघु उद्योगों और अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं ने विशेष योजनाएं बनाईं हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग भी लघु उद्योगों की स्थापना के लिए क्रय विक्रय की सुविधा दे रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के हल के लिए चालू वर्ष में विशेष उपबन्ध किया गया है।

नियोजित विकास के द्वारा सरकार ने जीवन स्तर को उठाने का सतत प्रयत्न किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता पूर्व की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

जीवन स्तर को उठाने, आय की समानता लाने तथा संसाधनों के बढ़ाने का सरकार का दृढ़ निश्चय है।

संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री-परिषद, जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होता है, की सलाह से कार्य करना है। उसे मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अत: राष्ट्रपति के लिए बहुदलीय सरकार की नियुक्ति करना सम्भव नहीं है। अतः विधेयक में ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को देने का उपबन्ध करना संविधान के प्रतिकूल है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है सरकार का नहीं तथा वह मंत्री-परिषद की सलाह के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

अत: मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Bhart Singh Chauhan : Every body in the house has appreciated the Bill introduced by me, because the state of affair of unemployment prevalent in the country is hampering the growth of the country and this is continuous y going on for the last 24 years.

The Hon. Minister just now state that it is not within the powers of the President to appoint a multy party Government." But when in the states governor's rule could be introduced why can that not be done at the centre after such Continuous failure of the government in all fields. Therefore, I suggest to appoint a multy party Government of the talents of the country.

No succers has been achieved in the co-operative movement, development of small scale industries and the system of education. This is only because of Governments failure

that thousands of trained untrained, and educated youths and engineers are roaming without any work And this problem is assuming disturbing proportions. Bank nationalization too has not yielded much in this direction. The rules of taking loan are so rigid that landless farmers cannot have the benefit of the nationalized banks.

On account of the faulty policies of government the mills are closing the small industries are feeling difficulties in the absence of incentives.

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव लेने से पहले श्री डागा द्वारा पेश किये गये संशोधन पर विचार करना है । वे यहां नहीं हैं । मैं अब संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

(संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ)

(The amendment was put and negatived)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव पारित हुआ

The motion was adopted

श्री भारत सिंह चौहान : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

(The Bill was by leave withdrawn)

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नए अनुच्छेद 16क का रखा जाना)

(Insertion of New Article 16 A)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों में यह संशोधन किया गया है कि प्रत्येक व्यस्क नागरिक को पर्याप्त रोजगार और जीवन यापन के साधन पाने का अधिकार है तथा ऐसा न होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाये ।

यह विधेयक सभा की इच्छा जो कि लगभग सभी दलों के सदस्यों ने प्रकट की है, के अनुकूल है । यदि इस दिशा में कोई समाधान नहीं ढूंढा गया तो इस देश को क्रांति का सामना करना पड़ेगा ।

बेरोजगारी की समस्या ने भारत में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है । भारत

जैसे देश को, जिसे एशिया का नेतृत्व करना चाहता है, जापान जैसे एटम बम्ब से ध्वस्त देन से मार्ग दर्शन लेना चाहिये। वहां बेरोजगारी तो दूर, और लोगों की आवश्यकता है। जो काम जापानी कर सकते हैं हम भी वह अवश्य कर सकते हैं। इस बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में कल प्रधान मंत्री और मंत्री महोदय ने बहुत कुछ कहा है कि जब तक मूलभूत अधिकार के अध्याय का संशोधन नहीं किया जाता इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से देखने पर मेरे संशोधन को स्वीकार करने में सभा को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसमें केवल इतनी ही बात कही गई है कि रोजगार पाने के अपने मूलभूत अधिकार को न पाने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को बेराजगारी भत्ता दिया जा ।

मैं यह जानता हूं कि इस बार भी धन की कमी का बहाना लगाया जायेगा। इस प्रकार का भत्ता देने पर सरकार को 7200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे जिसमें से 80 करोड़ केन्द्र को देने होंगे और शेष राज्यों का भार होगा। मैं समझता हूं कि यह भारत की सामर्थ्य में है।

ऐसा कहा गया है कि "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है। पर जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, यदि उन्हें सरकार काम नहीं दे सकती तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये।

बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी गम्भीर समस्या है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनैतिक दल चिन्तित है। इसलिये देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रमुख समस्या के समाधान में योग दे।

देश का युवक वर्ग आज व्यग्र है। पशु चिकित्सा और कृषि में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र तथा इंजीनियरों में भारी निराशा है।

अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो सम्पूर्ण देश को नक्सल-वाद के संकट का सामना करना पड़ेगा और उस संकट का सरकार निवारण नहीं कर सकेगी। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो इस देश में क्रान्ति हो जायेगी। इस प्रकार की क्रान्ति से बचने के लिये सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान निकाला जाय, जिससे हम राष्ट्र-निर्माण के कार्य में आगे बढ़ सकें।

जन-शक्ति का पूर्ण उपयोग अनिवार्य है। यद्यपि एक लोकतान्त्रिक देश में ऐसा होना सरल नहीं है। अगर हमें अपने देश की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को अक्षुण्ण बनाये रखना है, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होगा, अन्यथा अगली पीढ़ियों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा।

सभी व्यक्तियों को सदैव के लिये मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। 24वें संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान बेकारी, गरीबी और भूखमरी हटाने की बात ही की गई है। अगर अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा, वृद्धावस्था बीमा, नेत्रहीनों और निर्धनों को सहायता देने के बारे में पेश किये गये मेरे विधेयक की तरह यह विधेयक भी पारित नहीं होता है, तो मैं यही कहूंगा कि प्रधान मन्त्री सिर्फ भाषण कर सकती हैं समस्या का समाधान नहीं। इसलिये सरकार या तो अपना विधेयक लाये अथवा इसी विधेयक को स्वीकार करे, ताकि जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके।

Shri M. C. Daga : I beg to move : That the Bill further to amend the constitution of India be referred to a Select committee consisting of a members namely :

(1) Shri Chhutten Lal

(2) Shri Hiralal Doga
(3) Shri R. K. Khadilkar
(4) Choudhari Tayyab Husain Khan
(5) Shri Nathu Ram Mirdha
(6) Shri Nawal Kishore Sharma
(7) Dr. H. P. Sharma
(8) Shri S. N. Singh ; and
(9) Shri Ram Chandra Vikal with instructions to report by the first day of the next session.

It is already provided in the directive principles of the constitution that the State shall take all steps to remove the unemployment. If Government starts giving Unemployment Allowance, the people would not work deliberately. After all, the people should take some initiative. If such a low is framed, then people would not take initiative. The unemployed people should be given work, not the allowance. If is not an easy job to give unemployment allowance to all the unemployed people.

Dr. Karni Singh : The unemployment role is given in America and England.

Shri M. C. Daga : The supporters of this Bill want to tell the people that they had raised the demand for unemployment allowance to the unemployed people. Instead of doing so, they should demand that the unemployed people be provided with job opportunities.

Yesterday, a Bill was passed, which is a right step in the right direction, but the mover of this Bill had opposed that Bill. These ex-rulers and their predecemors had ruled for thousand years, but they did nothing for the welfare of the people. Now they bring forward Bill merely to gain popularity. The Government is engaged in the work of stablishing a welfare state under article 41 of the constitution. The Government should provide opportunities of employment to the unemployed, and not the unemployment allowance or dole.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The motive behind the Bill moved by Dr. Karni Singh is commendable. He wants that right to employment should be included in Fundamental rights and 7,200 crores of rupees should be arranged so that every unemployed person gets a dole of Rs. 100/- per month. If a person gets Rs. 100/- per month as dole, he would not like to work.

This Bill and the principle behind it may be accepted, if all the Rajmatas and exrulers make a provision of 7,200 crores of rupees for the next five years. It is very easy to say a thing, but it is very difficult to implement it. Our resources are limited and we have to develop the country by providing irrigation facilities, approach roads and schools etc.

The people should be encouraged to take initiative. They should not, therefore, be provided with unemployment allowance.

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित अगले दिन इस पर बहस फिर से की जायेगी।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 9 अगस्त, 1971/18 श्रावण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 9, 1971/ Sravana 18, 1893 (Saka)

Ashoka Pringting works Modinagar.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

5 अगस्त, 1971 । 14 श्रावण, 1893 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
130	पंक्ति 4, ` Shastri ` के स्थान पर ` Shashi ` पढ़िये ।
131	पंक्ति 4,7,26 में क्रमश: `किरोल्का ``कोईरोलका, `काईरोल्ह ` के स्थान पर `किरोह्का ` पढ़िये ।
	पंक्ति 5 में ` Kyrolka ' ` के स्थान पर Kyrowhaka ' पढ़िये ।
163	पंक्ति 15, `पारित ` के स्थान पर ``स्वीकृत `पढ़िये ।